



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 887]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 11, 2010/वैशाख 21, 1932

No. 887]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 11, 2010/VAISAKHA 21, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2010

आय-कर

का.आ. 1056(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2010 को प्रवृत्त होंगे।
2. आय-कर नियम, 1962 में, —
(क) नियम 12 में,—
(i) “प्ररूप सं. आ.क.वि.-1” शब्द और अंक के स्थान पर, जहां वे दोनों स्थानों में आते हैं, “प्ररूप सरल-II (आ.क. वि.-1)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
(ii) उप-नियम (1) में,—
(क) “2009” अंकों के स्थान पर “2010” अंक रखे जाएंगे;
(ख) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :
“(क) ऐसे व्यक्ति के मामले में जो व्यक्ति है, जहां कुल आय में निम्नलिखित शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय सम्मिलित है,—
(i) धारा 57 के खंड (ii) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित “वेतन” या कुटुम्ब पेंशन के स्वरूप की आय;
(ii) “गृह संपत्ति से आय”, जहां निर्धारिती के पास एक से अधिक गृह संपत्ति का स्वामित्व नहीं है और शीर्ष के अधीन ली गई कोई अग्रेषित हानि नहीं है;
(iii) लाटरी से जीत या घुड़दौड़ से आय के सिवाए “अन्य स्रोत से आय”
सरल-II प्ररूप में होगी और उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित होगी।
(iii) उप-नियम (5) में “2008” अंक के स्थान पर “2009” अंक रखे जाएंगे।
(ख) परिशिष्ट-2 में, आ.क.वि.-2, आ.क.वि.-3, आ.क.वि.-4, आ.क.वि.-5, आ.क.वि.-6, आ.क.वि.-7 और आ.क.वि. V के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे।

प्रकार	आ.क.वि-2	भारतीय आयकर विवरणी [एसे व्यष्टियों और हिन्दू अभिभक्त कुटुंबों के लिए जिनकी आय कारबार या कृति से नहीं है] [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (संलग्न अनुदेश भी देखिए)	निर्धारण वर्ष	
			2010-1	

भाग क-साधारण		साधारण	
व्यक्तिगत सूचना	प्रथम नाम	माध्य नाम	अंतिम नाम
	पतेट/द्वार/प्लान/सं०	परिसर/भवन/माध्य का नाम	
	भारम/माली/हाकिम/	शेखर/अवस्थान	
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड
	ई मेल पता	(एस्टेडोरी कोड)- फोन नंबर	
विवरण की प्रस्थिति	निर्धारण अधिकारी का पद नाम (वार्ड/सर्किल)		किस धारा के अधीन विवरणी फाइल की गई है -
			(कृपया अनुदेश संलग्न देखिए)
	विवरणी मूल है या पुनरीक्षित है ?		(सही का निशान लगाएं) ☒ मूल ☐ पुनरीक्षित
	यदि पुनरीक्षित है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तिथि/मास/वर्ष)		/ /
	निवास की प्रस्थिति (सही का निशान लगाएं) ☒ निवासी ☐ अनिवासी		अनिवासी होने के कारण निवास नहीं है
	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है ? (सही का निशान लगाएं) ☒ हाँ ☐ नहीं		यदि हाँ है तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -
	(क)	प्रतिनिधि का नाम	
	(ख)	प्रतिनिधि का पता	
	(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)	

भाग ख - कुल आय		कुल आय की संगणना	
कुल आय	1	वेतन (अनुसूची घ वेतन का 6)	1
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह का 3ग) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	2
	3	पूँजी अभिलाभ	
	क	अल्पकालिक	
	i	अल्पकालिक (धारा 111 क के अधीन) अनुसूची पूँज का क 5	3 क i
	ii	अल्पकालिक (अन्य) अनुसूची पूँज का क 6	3 क ii
	iii	कुल अल्पकालिक (3 क i + 3 क ii) (अनुसूची पूँज का क 4)	3 क iii
	ख	दीर्घकालिक (अनुसूची पूँज का ख 5) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3 ख
	ग	कुल पूँजी लाभ (3 क iii + 3 ख) यदि 3ग हानि है तो शून्य लिखें	3 ग
	4	अन्य स्रोतों से आय	
क	बैंड के छोड़ के स्वाभिव से शिन्त और लांसे की की है किन्तु स्थायी से आय (अनुसूची णघ का 3) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	4 क	
ख	बैंड के छोड़ के स्वाभिव से आय (अनुसूची णघ का 4ग) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	4 ख	
ग	योग (क + ख) (यदि 4 ग हानि है तो शून्य लिखें)	4 ग	
5	योग (1+2+3 ग + 4 ग)	5	

इस क्षेत्र में कुछ न लिखें या स्टाप न लगाएं (बाय कोर के लिए स्थान)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

स्थान

तारीख

प्राप्त करने वाले अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

6	5 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2vi और 3vi का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6)	7	
8	7 के विरुद्ध पुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियाँ (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2vi)	8	
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 3vii भी)	9	
10	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची VIक का ढ)	10	
11	कुल आय	11	
12	शुद्ध कृषि आय/ दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छूट प्राप्त आय का 4)	12	
13	'संकलित आय' (11+12)	13	
14	अग्रनीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची अग्रनीत हानि की पक्ति xi का योग)	14	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	कुल आय पर संदेय कर		
		क सामान्य दरों पर कर	1 क	
		ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का 11)	1 ख	
		ग कुल आय पर संदेय कर (1 क + 1 ख)	1 ग	
	2	(1 ग) पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर	2	
	3	सकल कर दायित्व (1 ग + 2)	3	
	4	कर छूट		
		क धारा 89	4 क	
		ख धारा 90	4 ख	
		ग धारा 91	4 ग	
		घ योग (5 क + 5 ख)	4 घ	
	5	सकल कर दायित्व (3 - 4 घ)	5	
संदत कर	6	संदेय ब्याज		
		क विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234 क)	6 क	
		ख अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	6 ख	
		ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234 ग)	6 ग	
		घ कुल संदेय ब्याज (6 क + 6 ख + 6 ग)	6 घ	
	7	संकलित दायित्व (5 + 6घ)	7	
	8	संदत कर		
		क अग्रिम कर (अनुसूची आयकर से)	8 क	
		ख स्रोत पर कटौती किया गया कर (अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 1 के स्तंभ 7 और अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 2 के स्तंभ 7 का योग)	8 ख	
		ग स्व निर्धारण कर (अनुसूची आयकर से)	9 ग	
		घ संदत कुल कर (8क + 8ख + 8ग)	8 घ	
	9	संदेय कर (यदि 7 8घ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)	9	
	10	प्रतिदाय (यदि 8घ 7 से अधिक है तो लिखें और बैंक खाते का नीचे ब्योरा भी दें)	10	
	11	अपना बैंक खाता संख्या लिखें (प्रतिदाय के मामले में आज्ञापक)		
	12	अपना प्रतिदाय किससे चाहते हैं ? ☐ बैंक द्वारा, या ☐ आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके (यदि लागू हो तो सही का निशान लगाएँ)		
	13	यदि आपके बैंक खाते में सीधे जमा किया जाए तो अतिरिक्त ब्योरा दें		
एमआईसीआर कोड			खाता का प्रकार (जो लागू हो वहां सही का निशान लगाएँ)	☐ बचत ☐ चालू

सत्यापन

मैं, के पुत्र/पुत्री हूँ, स्थायी लेखा संख्या, का धारक हूँ, सत्यापन से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दी गई कुल आय व रकम और अन्य विशिष्टियाँ सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2010-2011 से सुसंगत पूर्ण वर्ष की आय कर के लिए प्रभावी आय के संकेत में आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें→

14 यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दे:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		15

अनुसूची वेतन

वेतन से प्राप्त आय का ब्यौरा

नियोजक का नाम

नियोजक का स्थायी खाता संख्या (पैन)

नियोजक का पता

नगर/ शहर

राज्य

पिन कोड

वेतन

1

वेतन (सभी छूट, छूट न प्राप्त भत्ते, परिलब्धियों और वेतन की जगह जो नीचे पृथक रूप से दिखाया गया है)

1

2

धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त भत्ते (नीचे 6 में सम्मिलित नहीं किया जाए) 2

3

छूट न प्राप्त भत्ते (कर्मचारीय से प्ररूप 16 निर्दिष्ट करें)

3

4

परिलब्धियों का मूल्य (कर्मचारीय से प्ररूप 16 निर्दिष्ट करें)

4

5

वेतन की जगह लाभ (कर्मचारीय से प्ररूप 16 निर्दिष्ट करें)

5

6

'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभावी आय (1+3+4+5)

6

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेश देखें)

संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिन कोड
1 (सही का निशान लगाएं) ☒ यदि किराए पर हो ☐ किराएदार का नाम			किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (वैकल्पिक)
क वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त होने योग्य किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो निम्नतम)	1 क		
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1 ख		
ग स्थानीय प्राधिकारियों को सौंप कर	1 ग		
घ योग (1 ख + 1 ग)	1 घ		
ड अतिशेष (1 क - 1 घ)	1 ड		
च 1 ड का 30%	1 च		
छ उधार ली गई पूंजी पर संदेय व्याज	1 छ		
ज योग (1 च + 1 छ)	1 ज		
झ गृह संपत्ति 1 से आय (1 ड - 1 ज)	1 झ		
संपत्ति 2 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिन कोड
2 (सही का निशान लगाएं) ☒ यदि किराए पर हो ☐ किराएदार का नाम			किराएदार का स्थायी खाता संख्या पैन
क वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त होने योग्य किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो निम्नतम)	2 क		
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2 ख		
ग स्थानीय प्राधिकारियों को सौंप कर	2 ग		
घ योग (2 ख + 2 ग)	2 घ		
ड अतिशेष (2 क - 2 घ)	2 ड		
च 2 ड का 30%	2 च		
छ उधार ली गई पूंजी पर संदेय व्याज	2 छ		
ज योग (2 च + 2 छ)	2 ज		
झ गृह संपत्ति 2 से आय (2 ड - 2 ज)	2 झ		

3	“1.ह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय	
क	धारा 25 क/कक के अधीन वसूल किया गया पूर्व वर्ष का किराया	3 क
ख	30% कटौती करने के पश्चात् धारा 25 ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त किराए का बकाया	3 ख
ग	योग (3 क + 3 ख + 1 झ + 2 ङ)	3 ग
टिप्पण ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें		

अनुसूची - पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ

क	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	
1	ऐसे अनिवार्य की दशा में आस्तियों से जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है	1
2	अन्य के मामले में आस्तियों से	
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां	
i	अर्जन की लागत	ख i
ii	सुधार की लागत	ख ii
iii	अंतरण पर व्यय	ख iii
iv	योग (i + ii + iii)	ख iv
ग	अतिशेष (2 क - ख iv)	2 ग
घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन अनदेखी की जाने वाली हानि (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2 घ
ङ	धारा 54 ख/54 घ/के अधीन छूट	2 ङ
च	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2 ग + 2 घ - 2 ङ)	2 च
3	धारा 54 ख/54 घ/54ङ/54घ/54ङघ/54 छ/54 छक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझे जाने वाली रकम	अ 3
4	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 + 2 च + क 3)	अ 4
5	4 में सम्मिलित धारा 111 क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	अ 5
6	धारा 111 क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अ 4 - अ 5)	अ 6
ख	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	
1	ऐसे अनिवार्य की दशा में आस्तियों से जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है	1
2	अन्य आस्तियों से जहां धारा 112(1) के परंतुक का प्रयोग नहीं होता है	
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां	
i	सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात् अर्जन की लागत	ख i
ii	सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात् सुधार की लागत	ख ii
iii	अंतरण पर व्यय	ख iii
iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv
ग	अतिशेष (2 क - ख iv)	2 ग
घ	धारा 54/54 ख/54घ/54 ङ/54 च/54 छ/54 छक के अधीन कटौती	2 घ
ङ	शुद्ध अतिशेष (2 ग - 2 घ)	2 ङ
3	अन्य आस्तियों से जहां धारा 112(1) के परंतुक का प्रयोग होता है	
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3 क
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां	
i	सूचीबद्ध किए बिना अर्जन की लागत	ख i
ii	सूचीबद्ध किए बिना सुधार की लागत	ख ii
iii	अंतरण पर व्यय	ख iii
iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv
ग	अतिशेष (4 क - ख iv)	3 ग
घ	धारा 54/54ख/54घ/54 ङ/54च के अधीन कटौती	3 घ
ङ	शुद्ध अतिशेष (3 ग - 3 घ)	3 ङ
4	धारा 54/54ख/54 घ/54 ङ/54 ङघ/54 च के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझे जाने वाली रकम	ख 4
5	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ का योग 1 + 2 ङ यदि हानि हो तो 2 ङ को शून्य लिखें + 3 ङ (यदि हानि हो तो 3 ङ को शून्य लिखें) + 4	ख 5
ग	“पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 4 + ख 5) यदि हानि हो तो ख 5 को शून्य लिखें	ग
घ	पूंजी अभिलाभ का प्रोदभवन/प्राप्ति के बारे में जानकारी	

पूंजी अभिलाभ

तारीख	15/9 तक (i)	16/9 से 15/12 (ii)	16/12 से 15/3 (iii)	16/3 to 31/3 (iv)
1 दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची में कोड 22 है, कर दर 10 प्रतिशत है : अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद बी3ई से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो।				

2.	दीर्घकालिक, जहाँ धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची में कोड 21 है, कर दर 20 प्रतिशत है ; अनुसूची सीआईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद (बी5-बी3ई) से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो				
3	111ए के अधीन अल्पकालिक- अनुसूची एसआई में कोड 1ए है, कर दर 15 प्रतिशत है ; अनुसूची सीआईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद ए7 से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो				
4.	अल्पकालिक अन्य- सामान्य दर पर कसधेय : अनुसूची सीआईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद ए8 से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो				

टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1	आय		
		क लाभार्थ, सकल	1 क	
		ख ब्याज, सकल	1 ख	
		ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1 ग	
		घ अन्य, सकल (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से आय को छोड़कर 1)	1 घ	
		ड योग (1 क + 1 ख + 1 ग + 1 घ)		1 ड
		च धारा 57 के अधीन कटौतियाँ:-		
		i व्यय/कटौती	च i	
		ii अवक्षयण	च ii	
		iii योग	च iii	
	2	लाटरियों, वर्ग पहलियों, चुबदौड़ आदि जीतना		2
	3	अन्य स्रोतों से आय (दोड़ के घोड़ों और लॉटरी से जीत के स्वामित्व से भिन्न) (1 च + 2) (यदि हानि हो तो 1 च को शून्य लिखें)		3
	4	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय		
		क प्राप्ति	4 क	
		ख (4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	4 ख	
		ग अतिशेष (4 क - 4 ख)		4 ग
	5	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभावी आय (3 + 4 ग) (यदि हानि हो तो 4 ग को शून्य लिखें और 4 ग की हानि के अंकों को अनुसूची सीएफएल में ले जाएँ 1)		5

टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन

चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

चालू वर्ष की हानि का समायोजन	क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि का मुजरा कुल हानि (अनुसूची-गृह संपत्ति का 3ग)	चालू वर्ष की अन्य स्रोत हानि (रेस के घोड़ों से हानि से भिन्न) का मुजरा कुल हानि (अनुसूची-अन्य स्रोत का 3)	मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
			1	2	3	4=1-2-3
		समायोजन की जाने वाली हानि।				
	i	वेतन				
	ii	गृह संपत्ति				
	iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाष				
	iv	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष				
	v	अन्य स्रोत (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ को सम्मिलित करते हुए किंतु लॉटरी से जीत को छोड़कर)				

vi	कुल हानि मुजरा		
vii	2 और 3 का मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि		

अनुसूची : अग्रनीत की गई हानियाँ का समायोजन पूर्व वर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों का समायोजन चालू वर्ष की हानियों के मुजर्रे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजररा	मुजर्रे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3
i	वेतन			
ii	गृह संपत्ति			
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाष			
iv	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष			
v	अन्य स्रोत (जिसके अंतर्गत दीर्घ के छोड़े रखने से लाभ भी है किंतु लॉटरी से जीत को छोड़कर)			
vi	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजररा			
vii	मुजर्रे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय - योग (i3 + ii3 + iii3 + iv3 + v3)			

अनुसूची : अग्रनीत की गई हानियाँ का समायोजन

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने के तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	अन्य स्रोत हानि (दीर्घ के छोड़ों से हानि से भिन्न)
i	2002-03					
ii	2003-04					
iii	2004-05					
iv	2005-06					
v	2006-07					
vi	2007-08					
vii	2008-09					
viii	2009-10					
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग					
x	अनुसूची बीएफएलए में अग्रनीत हानि समायोजन में उपरोक्त हानियों का समायोजन					
xi	2010-11 (चालू वर्ष की हानियाँ)					
xii	अगामी वर्षों के लिए अग्रनीत कुल हानि					

अनुसूची : VI के

अध्याय VI-क (घारा) के अधीन कटीतियां

क्रम सं.	कुल कटीतियां	क 80 ग		ज 80 छ	
		ख 80 ग ग ग	ग 80 ग ग घ	झ 80 छ छ	ञ 80 छ छ क
		घ 80 घ	ड 80 घ घ	ट 80 छ छ ग	ठ 80 ददख
		च 80 घ घ घ	छ 80 ड	ड 80 प	
		ड 80 ड			
		ड कुल कटीतियां (क से ड का योग)			

अनुसूची : निर्धारित आय में सम्मिलित किए जाने योग्य विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) की आय (1,500 रु प्रति बालक के पश्चात् अव्यस्क बालक की आय सम्मिलित की जानी है।)

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या (बैंक/पेपिक)	नातेदारी	आय की प्रकृति	रकम (रु.)
1					
2					
3					

क्र.सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	संदत रकम	संदाय/जमा की तारीख	कटौती किया गया कुल कर	इस वर्ष के लिए दावा की गई (6) से रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						

टिप्पण कृपया अनुसूची टीडीएसआई के स्तंभ 7 और भाग ख टीटीआईके 8ख में अनुसूची टीडीएस 2 के स्तंभ 7 का योग प्रविष्ट करें।

प्रकार	आ.क.वि-3	भारतीय आयकर विवरणी [ऐसे व्यक्तियों/हिन्दू अविभक्त कुटुंबों के लिए जो फर्मों में भागीदार हैं और किसी भागीदारी के अधीन कोई कारबार या वृत्ति नहीं कर रहे हैं] [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए।] (संलग्न अनुदेश भी देखिए)	निर्धारण वर्ष			
			2	0	1	0 - 11

भाग क-साधारण		साधारण	
व्यक्तिगत सूचना	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	प्लेट/द्वार/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/गांव का नाम	
	मार्ग/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थान	
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड
	ई-मेल पता	(एसटीडी कोड)- फोन नंबर	
विवरणी की प्राप्ति	निर्धारण अधिकारी का पद नाम (वार्ड/सर्किल)		किस धारा के अधीन विवरणी फाइल की गई है -
	विवरणी मूल है या पुनरीक्षित है? (सही का निशान लगाएं) ☒ मूल ☐ पुनरीक्षित		
	यदि पुनरीक्षित है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तिथि/मास/वर्ष)		/ /
	निवास की प्राप्ति (सही का निशान लगाएं) ☒ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं		
	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं		
	यदि हां है तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें		
	(क)	प्रतिनिधि का नाम	
	(ख)	प्रतिनिधि का पता	
	(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)	

भाग - ख

भाग ख - कुल आय		कुल आय की संगणना	
कुल आय	1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)	1
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह का 3ग) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	2
	3	कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ (अनुसूची कारबार या वृत्ति का 6 vi) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3
	4	पूँजी अभिलाभ	
	क	अल्पकालिक	
	i	अल्पकालिक (धारा 111 क के अधीन) (अनुसूची गछ का क 5)	4 क i
	ii	अल्पकालिक (अन्य) (अनुसूची गछ का क 6)	4 क ii
	iii	कुल अल्पकालिक (4 क i + 4 क ii) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	4 क iii
	ख	दीर्घकालिक (अनुसूची गछ का ख5) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	4 ख
	ग	कुल पूँजी लाभ (4 क iii + 4 ख) (यदि 4ग कोई हानि है तो शून्य लिखें)	4 ग
5	अन्य स्रोतों से आय		
क	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न स्रोत से आय (अनुसूची गछ का 3) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	5 क	
ख	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से आय (अनुसूची गछ का 4ग) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	5 ख	
ग	योग (5क + 5ख) (यदि 5ग कोई हानि है तो शून्य लिखें)	5 ग	
6	योग (1+2+3 + 4 ग+5 ग)	6	

इस क्षेत्र में कुछ न लिखें या स्टाप न लगाएं (बार कोड के लिए स्थान)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए
रसीद सं.

तारीख

प्राप्त करने वाले अधिकारी की मुहर और
हस्ताक्षर

7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2011, 2011 और 4 11 का योग)	7	
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरों के परचात अतिशेष (6-7) (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन स्तंभ 5 का योग भी)	8	
9	8 के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियाँ (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2vii)	9	
10	सकल कुल आय (8-9) (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2viii नी)	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 1/1क का ग)	11	
12	कुल आय (10-11)	12	
13	शुद्ध कृषि आय/ दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छूट प्राप्त आय का 4)	13	
14	'संकलित आय' (12+13)	14	
15	अग्रनीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची अग्रनीत हानि का xi)	15	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	कुल आय पर संदेय कर			
	क	सामान्य दरों पर कर	1 क		
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का 11)	1 ख		
	ग	कुल आय पर संदेय कर (1 क + 1 ख)		1 ग	
	2	शिक्षा अधिभार, जिसके अंतर्गत 1 ग पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा अधिभार भी है		2	
	3	सकल कर दायित्व (1 ग + 2 + 3)		3	
	4	कर छूट			
	क	धारा 89	4क		
	ख	धारा 90	4ख		
	ग	धारा 91	4ग		
घ	योग (4क + 4ख + 4ग)		4घ		
5	सकल कर दायित्व (3 - 4घ)		5		
6	संदेय ब्याज				
क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234 क)	6क			
ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	6ख			
ग	अग्रिम कर के आरथगन के लिए (धारा 234 ग)	6ग			
घ	कुल संदेय ब्याज (6क + 6ख + 6ग)		6घ		
7	संकलित दायित्व (5+ 6घ)		7		
संदत कर	8	संदत कर			
	क	अग्रिम कर (अनुसूची आयकर से)	8क		
	ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 1 के स्तंभ 7 और अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 2 के स्तंभ 7 का योग)	8ख		
	ग	स्वनिर्धारण कर (अनुसूची आयकर से)	8ग		
	घ	संदत कुल कर (8क + 8ख + 8ग)		8घ	
9	संदेय कर (यदि 8 9घ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)		9		
10	प्रतिदाय (यदि 9घ 8 से अधिक है तो लिखें और बैंक खाते का नीचे ब्योरा भी दें)		10		
प्रतिदाय	11	अपना बैंक खाता संख्या लिखें (प्रतिदाय के मामले में आज्ञापक)			
	12	अपना प्रतिदाय किससे चाहते हैं ? ☐ बैंक द्वारा, या ☐ आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके (जो लागू हो तो सही का निशान लगाएं ☒)			
	13	यदि आपके बैंक खाते में सीधे जमा किया जाए तो अतिरिक्त ब्योरा दें			
एमआईसीआर कोड					
खाता का प्रकार (जो लागू हो वहां सही का निशान लगाएं ☒)		☐ बचत	☐ धातु		

सत्यापन

मैं, जो का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्या का धारक हूँ, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियाँ सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2010-2011 से सुरुवात पूर्व वर्ष की आय-कर के लिए प्रभावी आय के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं।

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें →

14 यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:			
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान से.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहरताक्षर	
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम			15

अनुसूची पंक्ति

वेतन से आय का ब्यौरा

वेतन	नियोजक का नाम		नियोजक का स्थायी खाता संख्या (पैन)	
	नियोजक का पता		नगर/ शहर	राज्य
				पिन कोड
	1 वेतन (सभी भत्तों, परिलब्धियों और वेतन की जगह लाभ को छोड़कर)		1	
	2 धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त भत्ते (नीचे 6 में सम्मिलित नहीं किया जाएगा)	2		
	3 छूट न प्राप्त भत्ते (नियोजक के प्ररूप 16 को देखें)		3	
	4 परिलब्धियों का मूल्य (नियोजक के प्ररूप 16 को देखें)		4	
	5 वेतन की जगह लाभ (नियोजक के प्ररूप 16 को देखें)		5	
6 वेतन शीर्ष के अधीन प्रभावी आय (1+3+4+5)		6		

अनुसूची गृह संपत्ति गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
		(सही का निशान लगाएं) ☒ यदि किराए पर हो ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (वैकल्पिक)	
	क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त होने योग्य किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो निम्नतम)	1 क		
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2 ख		
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2 ग		
	घ	योग (1 ख + 1 ग)	2 घ		
	ड	अतिशेष (1 क - 1 घ)	1 ड		
	च	2 ड का 30%	2 च		
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2 छ		
	ज	योग (2 घ + 2 छ)	1 ज		
	झ	गृह संपत्ति 1 से आय (1 ड - 1 ज)	1 झ		
	2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
		(सही का निशान लगाएं) ☒ यदि किराए पर हो ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी खाता संख्या पैन	
	क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त होने योग्य किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो निम्नतम)	2 क		
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2 ख		
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2 ग			
घ	योग (2 ख + 2 ग)	2 घ			
ड	अतिशेष (2 क - 2 घ)	2 ड			
च	2 ड का 30%	2 च			
छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2 छ			
ज	योग (2 घ + 2 छ)	2 ज			
झ	गृह संपत्ति 2 से आय (2 ड - 2 ज)	2 झ			
3	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय				
क	धारा 25 क/ क के अधीन वसूल किया गया पूर्व वर्ष का किराया	3 क			
ख	30 % कटौती करने के पश्चात धारा 25 ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त किराए का बकाया	3 ख			
ग	योग (3 क + 3 ख + 1 झ + 2 झ)	3 ग			

टिप्पण: कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची कार्यालय फर्म की जानकारी उन भागीदारी फर्मों के संबंध में सूचना जिसमें आप भागीदार हैं

उन फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हो						
क्रम सं०	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी खाता संख्या	फर्म के लाभ में अंश का प्रतिशत	अंश की रकम		फर्म में 31 मार्च को पूंजी अतिशेष
				i	ii	
1						
2						
3						
4						
5						
6	योग					

अनुसूची कार्यालय या वृत्ति जिसका भागीदार है, उन फर्मों से ऐसा ब्यौरा

क्रम सं०	फर्म संख्या (अनुसूची आईएफ से)	फर्म से प्राप्त वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक	फर्म से पूंजी पर प्राप्त ब्याज	योग ii + iii	iv से संबंधित व्यय	शुद्ध आय iv - v
		ii	iii	iv	v	vi
1						
2						
3						
4						
5						
6	योग					

टिप्पण ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची-विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची - पूंजी अभिलाष पूंजी अभिलाष

अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाष		1	2
	1	2		
अ	1	ऐसे अनिवार्य की दशा में आस्तियों से जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है	1	
	2	अन्य के मामले में आस्तियों से		
		क प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क	
		ख धारा 48 के अधीन कटौती		
		i अर्जन की लागत	ख i	
		ii सुधार की लागत	ख ii	
		iii अंतरण पर व्यय	ख iii	
		iv योग (i + ii + iii)	ख iv	
		ग अतिशेष (2 क - ख iv)	2 ग	
		घ धारा 94(7) या 94(8) के अधीन अनदेखी की जाने वाली हानि (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2 घ	
		ङ धारा 54 ख/54 घ के अधीन कटौती	2 ङ	
		च अल्पकालिक पूंजी अभिलाष (2 ग - 2 घ - 2 ङ)	2 च	
आ	3	धारा 54 ख/54 घ/54 ङ/54 ङ/54 ङ के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाष समझे जाने वाली रकम	अ3	
	4	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाष (1 + 2 च + क3)	4	
	5	4 में सम्मिलित धारा 111 क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाष	अ5	
	6	धारा 111 क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाष (अ4 - अ5)	अ6	
	आ दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष			
	1	ऐसे अनिवार्य की दशा में आस्तियों से जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है	1	
	2	अन्य की दशा में आस्तियों, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है		
		क प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क	
		ख धारा 48 के अधीन कटौती		
		i सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात अर्जन की लागत	ख i	
		ii सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात सुधार की लागत	ख ii	
		iii अंतरण पर व्यय	ख iii	
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
		ग अतिशेष (2 क - ख iv)	2 ग	
		घ धारा 54/54 ख/54 घ/54 ङ/54 ङ/54 ङ के अधीन कटौती	2 घ	
		ङ शुद्ध अतिशेष (2 ग - 2 घ)	2 ङ	
	3	अन्य दशा में आस्तियों जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त किया जाता है		
पूंजी अभिलाष		क प्रतिफल का पूरा मूल्य	3 क	
		ख धारा 48 के अधीन कटौतियां		
		i सूचीबद्ध किए बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii सूचीबद्ध किए बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii अंतरण पर व्यय	ख iii	
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	

ग	अतिशेष (4 क - ख iv)	3 ग	
घ	धारा 54/54 ब / 54 घ/54 ङ/54 च के अधीन कटौती	3 घ	
ङ	शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)		3ङ
4	धारा 54/54ख/54 घ/54 ङ/54 च/54 छ के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष समझे जाने वाली रकम		आ 4
5	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष का योग (1 + 2 ङ + (यदि हानि है तो 2क को शून्य लिखें) + 3 ङ (यदि हानि है तो 3ङ को शून्य लिखें) + 4।		आ5
इ	"पूँजी अभिलाष" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 6 + ख 5) (यदि हानि है तो ख 5 को शून्य लिखें)		इ
ई	पूँजी अभिलाष का प्रोदम्बन/प्राप्ति के बारे में जानकारी		

तारीख	15/9 तक (i)	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 to 31/3
1. दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची में कोड 22 है, कर दर 10 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद बी3ई से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो				
2. दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची में कोड 21 है, कर दर 20 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद (बी5-बी3ई) से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो				
3. 111ए के अधीन अल्पकालिक- अनुसूची एसआई में कोड 1ए है, कर दर 15 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद ए7से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो				
4. अल्पकालिक अन्य- सामान्य दर पर कराधेय ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद ए8से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो				
टिप्पण► कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें				

अनुसूची-अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत

1	आय		
	क लाभों, सकल	1 क	
	ख ब्याज, सकल	1 ख	
	ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1 ग	
	घ अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से हुई आय को छोड़कर)	1 घ	
	ङ योग (1 क + 1 ख + 1 ग + 1 घ)		1 ङ
	च धारा 57 के अधीन कटौतियाँ:-		
	i व्यय/ कटौतियाँ	च i	
	ii अवक्षयण	च ii	
	iii योग	च iii	
	छ अतिशेष (1 ङ - च iii)		1 छ
2	लाटरियों, पहलियों, घुड़दौड़ आदि जीतना		2
3	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1 छ + 2) (यदि हानि है तो 1छ को शून्य लिखें)		3
4	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय		
	क प्राप्ति	4 क	
	ख (4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	4 ख	
	ग अतिशेष (4 क - 4 ख)		4 ग
5	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (3 + 4 ग) (यदि हानि है तो 4ग को शून्य लिखें और 4ग की हानि के अंकों को अनुसूची चालू वर्ष की हानि के समायोजन में लें)		5

टिप्पण ► कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन

चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि का मुजरा कुल हानि (अनुसूची-गृह संपत्ति का 3ग)	कारबार हानि कुल हानि (अनुसूची का.वृ का 6 vi)	चालू वर्ष की अन्य स्रोत हानि (रेस के घोड़ों से हानि से भिन्न)का मुजरा कुल हानि (अनुसूची-अन्य स्रोत का 3)	मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय 5=1-2-3-4
----------	-------------------	---	---	--	---	---

		1	2	3		
i	वेतन					
ii	गृह संपत्ति					
iii	कारबार या वृत्ति					
iv	अल्पकालिक पूँजी अभिलाष					
v	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाष					
vi	अन्य स्रोत (जिसके अंतर्गत ढौड़ के घोड़े रखने से लाभ भी किंतु लॉटरी से जीत सम्मिलित नहीं है)					
vii	कुल हानि मुजरा					
viii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

अनुसूची - अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन पूर्व वर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजररा के पश्चात् आय का ब्यौरा

क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3
i	वेतन			
ii	गृह संपत्ति			
iii	कारबार या वृत्ति			
iv	अल्पकालिक पूंजी अभिलाष			
v	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष			
vi	अन्य स्रोत (जिसके अंतर्गत ढोड़ के छोड़े रखने से लाभ भी है किंतु लॉटरी से जीत सम्मिलित नहीं है))			
vii	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा			
viii	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय - योग (i3 + ii3 + iii3 + iv3 + v3 + vi3)			

अनुसूची: अग्रणीत हानि आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	कारवार या वृत्ति	अत्यकालिक पूजी हानि	दीर्घकालिक पूजी हानि	अन्य खोत हानि (ढोड़ के छोड़ों से हानि से भिन्न)	अन्य खोत हानि (ढोड़ के छोड़ों के स्वामित्व से)
i	2002-03							
ii	2003-04							
iii	2004-05							
iv	2005-06							
v	2006-07							
vi	2007-08							
vii	2008-09							
viii	2009-10							
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग							
x	अनुसूची अग्रणीत हानि समायोजन में उपरोक्त हानियों का समायोजन							
xi	2008-09 (दालू वर्ष की हानियाँ)							
xii	आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत कुल हानि							

अनुसूची- VI के अध्याय VI-क (धारा) के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां	क 80 ग	ज 80 छ	
	ख 80 ग ग ग	झ 80 छ छ	
	ग 80 ग ग घ	ञ 80 छ छ क	
	घ 80 घ	ट 80 छ छ ग	
	ड 80 घ घ	ढ 80 थथख	
	च 80 घ घ ख	ड 80 ददख	
	छ 80 ड	ढ 80 प	
ण कुल कटौतियां (क से ढ का योग)			ण

अनुसूची विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय

निर्धारित की आय में सम्मिलित किए जाने योग्य विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या	संबंध	आय की प्रकृति	रकम (रु.)
1					
2					
3					

अनुसूची विशेष आय

विशेष दरों पर आयकर से प्रभाव आय । कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए ।

क्रम सं.	सेक्सन कोड	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii	क्रम सं.	सेक्सन कोड	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1	1ए	15			6				
2	22	10			7				
3	21	20			8				
4	5 बीबी	30			9				
5					10				
11									

योग (11 से 10 ii)

अनुसूची छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय)

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या	संबंध	आय की प्रकृति	रकम (रु.)
1	ब्याज से आय				
2	लामारा से आय				
3	दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाष जिसपर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया जाता है				
4	शुद्ध कृषि आय/ दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय				
5	फर्म के लाभ में अंश/एओपी आदि				
6	अन्य				
7	योग (1+2+3+4+5+6)				

अनुसूची कार्पिक सूचना विवरणी

अन्य सूचना (वार्षिक सूचना विवरणी के माध्यम से रिपोर्ट किए गए संव्यवहार) । कृपया कोड के लिए अनुदेश सं. 9 (ii) देखिए।

क्रम सं.	संव्यवहार का कोड	रकम (रु.)	क्रम सं.	संव्यवहार का कोड	रकम (रु.)
1	001		5	005	
2	002		6	006	
3	003		7	007	
4	004		8	008	

अनुसूची आयकर

आयकर का अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरा

क्रम सं.	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)
i					
ii					
iii					
iv					
v					

टिप्पण : भाग ख - टीटीआई की क्रम सं. 9क और 9ग में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें

अनुसूची कर कटौती 1

वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा । नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार।

क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम और पता	वेतन के अधीन प्रभाव आय	अध्याय VI-क के अधीन कटौती	संदेय कर (जिसके अंतर्गत अधिभार और शिक्षा उपकर भी हैं)	कटौती किया गया कर	संदेय/प्रतिदेय कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							

अनुसूची कर कटौती 2

अन्य आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा । नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी प्ररूप 16क के अनुसार।

क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	संदत रकम	संदाय/जमा की तारीख	स्रोत पर कटौती किया गया कर	(6) से रकम जिसका इस वर्ष के लिए दावा किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						
iii						

टिप्पण : कृपया भाग ख-टीटीआई की 9(ख) में अनुसूची टीडीएस-1 और अनुसूची टीडीएस-2 के स्तंभ 7 का योग प्रविष्ट करें ।

प्ररूप आकवि-4	भारतीय आय-कर विवरणी (किसी सांपत्तिक कारबार या वृत्ति से आय वाले व्यक्ति और हिन्दू अभिभक्त कुटुंब) कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए (संलग्न अनुदेश भी देखिए)	निर्धारण वर्ष
		2010 - 11

भाग 4, अनुदेश 1	साधारण			
व्यक्तिगत जानकारी	पहला नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम	स्थायी लेखा सं०
	फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम		प्रास्थिति (चिह्नित करें) ☒ ☐ व्यक्ति ☐ हिन्दू अभिभक्त कुटुंब
	सड़क/ गली/ब्लॉक घर	क्षेत्र/अवस्थान		जन्म की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) (व्यक्ति की दशा में)
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड	लिंग (व्यक्ति की दशा में) (चिह्नित करें) ☒ ☐ पुरुष ☐ महिला
	ई-मेल पता	(एसडी कोड)-फोन नं०		नियोजक प्रवर्ग (यदि नियोजन में है) (चिह्नित करें) ☒ ☐ सरकारी ☐ लो.से.उ. ☐ अन्य
फाइल करने की प्रास्थिति	निर्धारण अधिकारी का पद नाम (वार्ड/सर्किल)		धारा के अधीन फाइल की गई विवरणी	
	क्या विवरणी मूल या पुनरीक्षित है ? (चिह्नित करें) ☒ ☐ मूल ☐ पुनरीक्षित		/ कृपया अनुदेश सं० 9(ii) देखिए	
	यदि पुनरीक्षित है तो रशीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष)			
	आवासीय प्रास्थिति (चिह्नित करें) ☒ ☐ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किन्तु साधारण तौर पर निवासी नहीं			
	क्या वह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है ? (चिह्नित करें) ☒ ☐ हाँ ☐ नहीं			
लेखा परीक्षा जानकारी	यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -			
	(क)	प्रतिनिधि का नाम		
	(ख)	प्रतिनिधि का पता		
	(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)		
	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? (चिह्नित करें) ☒ ☐ हाँ ☐ नहीं			
क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं ? (चिह्नित करें) ☒ ☐ हाँ ☐ नहीं, यदि हाँ तो निम्नलिखित जानकारी दें-				
(क)	कर के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम			
(ख)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या			
(ग)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)			
(घ)	संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन)			
(ङ)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख			

कारबार की प्रकृति	कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक है तो तीन मुख्य क्रियाकलापों/ उत्पादों को उपदर्शित करें			
	क्र०सं०	कोड [कृपया अनुदेश सं० 9(ii) देखें]	संपत्तिक का नाम, यदि कोई है	वर्णन
	(i)			
	(ii)			
	(iii)			

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

रसीद सं०

तारीख

प्राप्त कर्ता पदधारी की मूहर और हस्ताक्षर

भाग क - तुलनपत्र

सांपत्तिक कारवार का 31 मार्च, 2040 को तुलनपत्र

(मद 1 से 5 भरे यदि नियमित लेखा बहिया रखी जाती है, अन्यथा मद 6 भरे)

निधियों के स्रोत

1	स्वामी की निधि		
	क	स्वामी की पूजी	क
ख	आरक्षित और अधिशेष		
	i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खा
	ii	पूजी आरक्षिति	खii
	iii	कानुनी आरक्षिति	खiii
	iv	कोई अन्य आरक्षिति	खiv
	v	योग (खा + खii + खiii + खiv)	खv
ग	कुल भागीदारों की निधि (क + खv)		1ग
2	ऋण निधियां		
	क	प्रतिभूत ऋण	
ख	i	विदेशी मुद्रा ऋण	का
	ii	रूपए में ऋण	
	अ	बैंकों से ऋण	काअ
	आ	अन्य से	काआ
	इ	योग (काअ + काआ)	काइ
	iii	योग (का + काइ)	काiii
ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अंतर्गत निक्षेप राशि भी है)		
	i	बैंकों से ऋण	खi
	ii	अन्य से	खii
	iii	योग (खi + खii)	खiii
ग	योग ऋण निधि (काiii + खiii)		2ग
3	आस्थगित कर दायित्व		3
4	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3)		4
1	स्थिर आस्तियां		
	क	सकल : ब्लाक	1क
ख	अवशयण		1ख
	ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1ग
	घ	चल रहा पूजी कार्य	1घ
	ड	योग (1ग + 1घ)	1ड
2	विनिधान		
	क	दीर्घकालिक विनिधान	
ख	i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	का
	ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	काii
	iii	योग (का + काii)	काiii
ख	अल्पकालिक विनिधान		
	i	साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खi
	ii	अस्थिमानी शेयर	खii
	iii	डिविडेंड	खiii
	iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv
ग	कुल विनिधान (काiii + खiv)		2ग
3	चातू आस्तियां, ऋण और अग्रिम		

कोई लेखा माफला नहीं	क चालू अस्तियां		
	i बीजक		
	अ मंडार, जिसके अंतर्गत खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है	iअ	
	आ कच्ची सामग्री	iआ	
	इ कार्यगत मंडार	iइ	
	ई तैयार माल / व्यापार माल	iई	
	उ योग (iअ + iआ + iइ + iई)		iउ
	ii अन्यान्य ऋणी		का
	iii नकद और बैंक अतिशेष		
	अ हस्तगत नकदी	iiiअ	
	आ बैंक के पास अतिशेष	iiiआ	
	इ योग (iiiअ + iiiआ)		iiiइ
	iv अन्य चालू अस्तियां		काiv
	v कुल चालू अस्तियां (iउ + का + iiiइ + काiv)		काv
	ख ऋण और अग्रिम		
	i नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खा	
	ii निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	खii	
	iii राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	खiii	
	iv योग (खा + खii + खiii)		खiv
	ग चालू अस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (का + खiv)		3ग
	घ चालू दायित्व और उपबंध		
	i चालू दायित्व		
	अ अन्यान्य लेनदार	iअ	
	आ पट्टाधृत अस्तियों के लिए दायित्व	iआ	
	इ उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज	iइ	
	ई उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शीघ्र नहीं है	iई	
	उ योग (iअ + iआ + iइ + iई)		iउ
	ii उपबंध		
	अ आयकर के लिए उपबंध	iiअ	
	आ धन कर के लिए उपबंध	iiआ	
	इ छुट्टी भुनाने/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध	iiइ	
	ई अन्य उपबंध	iiई	
	उ योग (iiअ + iiआ + iiइ + iiई)		iiउ
	iii योग (iउ + iiउ)		घiii
	ङ शुद्ध चालू अस्तियां (3ग - घiii)		3ङ
4	क अबलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यव	4क	
	ख आस्थगित कर अस्ति	4ख	
	ग लाभ और हानि लेखा/संचित अतिशेष	4ग	
	घ योग (4क + 4ख + 4ग)		4घ
5 निधियों के उपयोग का योग (1ङ + 2ग + 3ङ + 4घ)			5
6	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती हैं - (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2010 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)		
	क अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम		6क
	ख अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम		6ख
	ग व्यापारगत स्टॉक की कुल रकम		6ग
	घ नकदी बकाया की रकम		6घ

भाग क लाभ और हानि

सांपत्तिक कारबार के पूर्व वर्ष 2009-10 के लिए लाभ और हानि लेखा

(उस दशा में जहां नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं, मद 1 से मद 50 भरे, अन्यथा मद 51 भरे)

लाभ और हानि
लेखा को

1	कारबार या वृत्ति का विक्रय /सकल रसीद (शुद्ध विवरणियां और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर यदि कोई हो)	I	
2	विक्रय किए गए माल और प्रदाय की गई सेवा के संबंध में प्राप्त या प्राप्य योग्य शुल्क, कर और उपकर		
	क संघ उत्पाद शुल्क	2क	
	ख सेवा कर	2ख	

	ग	मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	2ग		
	घ	कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	2घ		
	ङ	प्राप्त या प्राप्त योग्य कुल शुल्क, कर और उपकर (2क+2ख+2ग+2घ)		2ङ	
3	अन्य आय				
	क	किराया	3क		
	ख	कमीशन	3ख		
	ग	लाभांश	3ग		
	घ	व्याज	3घ		
	ङ	स्थिर आस्तियों के विक्रय पर लाभ	3ङ		
	च	प्रतिभूति संयवहार कर से प्रभार्य प्रतिभूतियों के विनिधान के विक्रय पर लाभ	3च		
	छ	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	3छ		
	ज	चालू उतार चढ़ाव मद्दे लाभ	3ज		
	झ	कृषि आय	3झ		
	ञ	कोई अन्य आय	3ञ		
	ट	अन्य आय का योग (3क से 3ञ)		3ट	
4	असिम स्टाक				4
5	लाभ और हानि लेखा से लेनदारों का योग (1+2ङ+3ट+4)				5
6	आरंभिक स्टाक				6
7	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)				7
8	क्रय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में संदत या संदेय शुल्क और कर				
	क	सीमा-शुल्क	8क		
	ख	प्रति शुल्क	8ख		
	ग	विशेष अतिरिक्त शुल्क	8ग		
	घ	संघ उत्पाद-शुल्क	8घ		
	ङ	सेवा कर	8ङ		
	च	मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	8च		
	ज	संदत या संदेय कोई अन्य कर	8ज		
	झ	योग (8क+8ख+8ग+8घ+8ङ+8च+8ज)		8झ	
9	भाड़ा				9
10	भंडार और अतिरिक्त पूर्जा की खपत				10
11	विद्युत और ईंधन				11
12	किराया				12
13	भवन की मरम्मत				13
14	मशीनरी की मरम्मत				14
15	कर्मचारियों को प्रतिकर				
	क	धेन और मजदूरी	15क		
	ख	बोनस	15ख		
	ग	विकित्तीय व्यय की प्रतिपूर्ति	15ग		
	घ	छुट्टी मुनाया जाना	15घ		
	ङ	छुट्टी यात्रा फायदे	15ङ		
	च	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	15च		
	छ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	15छ		
	ज	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	15ज		
	झ	किसी अन्य निधि में अभिदाय	15झ		
	ञ	किसी कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा जिनके संबंध में व्यय उद्भूत हुआ है	15ञ		
	ट	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (15क+15ख+15ग+15घ+15ङ+15च+15छ+15ज+15झ+15ञ)		15ट	
16	बीमा				
	क	विकित्ता बीमा	16क		
	ख	जीवन बीमा	16ख		
	ग	की मेन बीमा	16ग		
	घ	अन्य बीमा	16घ		
	ङ	बीमा पर कुल व्यय (16क+16ख+16ग+16घ)		16ङ	
17	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याण व्यय				17
18	मनोरंजन				18

19	सत्कार	19
20	सम्मेलन	20
21	विक्रय संबंधन जिसके अन्तर्गत प्रचार भी है (विज्ञापन से भिन्न)	21
22	विज्ञापन	22
23	कमीशन	23
24	होटल, बोर्डिंग और लोजिंग	24
25	यात्रा व्यय जिसके अन्तर्गत विदेश यात्रा भी है	25
26	वाहन व्यय	26
27	टेलीफोन व्यय	27
28	अतिथि गृह व्यय	28
29	क्लब व्यय	29
30	स्नानाहार आयोजन व्यय	30
31	छात्रवृत्ति	31
32	दान	32
33	सदान	33
34	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (जिसके अन्तर्गत आय पर कर भी है)	
	क संच उत्पाद शुल्क	34क
	ख सेवा कर	34ख
	ग मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	34ग
	घ उपकर	34घ
	ङ कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर	34ङ
	च संदत्त या संदेय कुल दरें और कर (34क+34ख+34ग+34घ+34ङ)	34च
35	लेखा परीक्षा शुल्क	35
36	अन्य व्यय	36
37	सूबत ऋण	37
38	सूबत और शकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	38
39	अन्य उपबंध	39
40	ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [5 - (6 + 7 + 8ज + 9 to 14 + 15 ट + 16ड + 17 to 33 + 34च + 35 से 39)]	40
41	ब्याज	41
42	अवक्षयण	42
43	करों से पूर्व लाभ (40-41-42)	43
44	चालू कर के लिए उपबंध	44
45	अस्थागित कर के लिए उपबंध	45
46	कर के पश्चात् लाभ (43 - 44 - 45)	46
47	पूर्व वर्ष से अग्रणीत किया गया बकाया	47
48	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (46 + 47)	48
49	आराधितियों और अधिशेष को अंतरित	49
50	स्वामी के लेखा में तुलनपत्र में अग्रणीत बकाया (48 - 49)	50
51	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नहीं रखी जाती हैं वहां कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2009-10 के लिए निम्नलिखित जानकारी दे-	
	क सकल प्राप्तियां	51क
	ख सकल लाभ	51ख
	ग व्यय	51ग
	घ शुद्ध लाभ	51घ

कर उपबंध और विनियोग

कोई लेखा मामला नहीं

भाग क - अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (उस दशा में विकल्प पर जहां धारा 44 कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी नहीं है)

1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति	(विहित करें) ☒ ☐ वाणिज्यिक ☐ नकद
2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(विहित करें) ☒ ☐ हाँ ☐ नहीं
3	धारा 145क के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति में विकलन के कारण, यदि कोई हो लाभ पर प्रभाव	3
4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के पद्धति	
	क कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)	☐
	ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)	☐
	ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (विहित करें) ☒ ☐ हाँ ☐ नहीं	

अन्य जानकारी

5 धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विकलन के कारण, यदि कोई हो लाभ या हानि पर प्रभाव		4घ
5 लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है:-		
क धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क	
ख जहां प्रत्यय, वापसी या प्रतिदाय संबंधित प्राधिकारियों द्वारा शोध्य रूप में प्राप्त हैं वहां प्रत्यय, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद-शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय, वित्तिय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रोफार्मा	5ख	
ग पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावें	5ग	
घ आय की कोई अन्य मद	5घ	
ङ पूंजी रशीद, यदि कोई है	5ङ	
च लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च	
6 धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय न की गई सीमा तक लाभ और हानि लेखा से विकलित रकम :-		
क स्टॉक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए सीमा हेतु संदत प्रीमियम	6क	
ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत प्रीमियम	6ख	
ग दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभभंश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी	6ग	
घ उधार ली गई पूंजी के संबंध में संदत ब्याज की रकम	6घ	
ङ शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ	
च किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम	6च	
छ किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम	6छ	
ज किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम	6ज	
झ किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम	6झ	
ञ दूबत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ	
ट दूबत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	6ट	
ठ किसी विशेष अराक्षित को अंतरित रकम	6ठ	
ड कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय	6ड	
ढ कर्मचारी राज्य बीमा के अधीन स्थापित किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या किसी निधि अथवा देय तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ढ	
ण कोई अन्य अननुज्ञेय	6ण	
त धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)	6त	
7 धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा से विकलित रकम		
क व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय	7क	
ख किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रैक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय ;	7ख	
ग तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय ;	7ग	
घ कोई अन्य शास्ति या जुर्माना ;	7घ	
ङ किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय ;	7ङ	
च किसी आकास्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च	
छ आय के संबंध में जो कुल आय का भाग नहीं है व्यय की रकम	7छ	
ज धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कोई अन्य रकम	7ज	
झ धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)	7झ	
8 धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा से विकलित रकम		
क अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(ik) और धारा 40 (क)(iii) के अक अधीन अननुज्ञेय रकम		
ख प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में संदत रकम	अख	
ग अनुपंगी लाभ कर के रूप में संदत रकम	अग	
घ धनकर के रूप में संदत रकम	अघ	
ङ लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अङ	
च किसी भागीदार या सदस्य को संदत ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम	अच	
छ कोई अन्य अननुज्ञेय	अछ	
ज धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अछ का योग)	8अ	
आ किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम	8आ	
9 धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		

क	धारा 40क (2) (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम;	9क	
ख	धारा 40क(3) के अधीन एकाउन्ट पेई चेक या एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी व्यक्ति के संदत्त बीस हजार रुपए से अधिक रकम-100 प्रतिशत अनुज्ञेय ;	9ख	
ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध;	9ग	
घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यक्ति निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि ;	9घ	
ङ	कोई अन्य अनुज्ञेय	9ङ	
च	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग)	9च	
10	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम		
क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग	
घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य आंदयोगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
ङ	किसी अनुसूचित बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
च	छुट्टी भुनाने के मदे संदेय कोई राशि	10च	
छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)	10छ	
11	किसी पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम:-		
क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क	
ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग	
घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य आंदयोगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	
ङ	किसी अनुसूचित बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ	
च	छुट्टी भुनाने के मदे संदेय कोई राशि	11च	
छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क to 11च का योग)	11छ	
12	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम		
क	संघ उत्पाद शुल्क	12क	
ख	सेवा कर	12ख	
ग	मुल्य बधित कर/ विक्रय कर	12ग	
घ	कोई अन्य कर	12घ	
ङ	बकाया कुल रकम (12क से 12घ का योग)	12ङ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या 33कग के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम	13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभाव्य लाभ की कोई रकम	14	
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम	15	

भाग क - मात्रात्मक व्यौर (उस दशा में विकल्प जिसमें धारा 44कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी नहीं है)

मात्रात्मक व्यौर	(क) किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में		
	1 आरंभिक स्टाक	1	
	2 पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2	
	3 पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3	
	4 अंतिम स्टाक	4	
	5 कमी / अधिक यदि कोई हो	5	
	(ख) किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में		
	6 कच्ची सामग्री		
	क आरंभिक स्टाक	6क	
	ख पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख	
	ग पूर्व वर्ष के दौरान खपत	6ग	

	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
	ङ	अंतिम स्टाक	6ङ	
	च	प्राप्त तैयार माल	6च	
	छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ	
	ज	कमी/अधिक, यदि कोई हो	6ज	
7		तैयार माल/उत्पाद		
	क	आरंभिक स्टाक	7क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
	ङ	अंतिम स्टाक	7ङ	
	च	कमी/अधिक, यदि कोई हो	7च	

भाग ख - कुल आय

कुल आय की संगणना

1	वेतन (अनुसूची घ का 6)	1	
2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2	
3	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि		
	i सट्टे के कारबार से निम्न कारबार से लाभ और हानि (अनुसूची-कारबार या वृत्ति का क37) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3i	
	ii सट्टे के कारबार से लाभ और हानि (अनुसूची-कारबार या वृत्ति का ख 41) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3ii	
	iii योग (3i + 3ii) (यदि 3 iii हानि है तो शून्य लिखें)	3iii	
4	पूजी अभिलाष		
	क अल्पकालिक		
	i अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन) (अनुसूची पूजी अभिलाष का 4का)	4का	
	ii अल्पकालिक (अन्य) (अनुसूची-पूजी अभिलाष का क8)	4कii	
	iii कुल अल्पकालिक (4का + 4कii)	4कiii	
	ख दीर्घकालिक (अनुसूची-पूजी अभिलाष का ख6) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	4ख	
	ग कुल पूजी अभिलाष (4कiii + 4ख) (यदि 4ग कोई हानि है तो शून्य लिखें)	4ग	
5	अन्य स्रोतों से आय		
	क दीड के घोड़ों के स्वामित्व से निम्न स्रोतों से (अनुसूची-अन्य स्रोत का 5क) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	5क	
	ख दीड के घोड़ों के स्वामित्व से (अनुसूची-अन्य स्रोत का 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	5ख	
	ग कुल (5क + 5ख)	5ग	
6	कुल योग (1 + 2 + 3iii + 4ग + 5ग)	6	
7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची चालू वर्ष की हानि के 2vii, 3vii and 4vii का योग)	7	
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 - 7)	8	
9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियाँ (अनुसूची चालू वर्ष की हानि के 2vii, 3vii and 4vii का योग)	9	
10	सकल कुल आय (8-9) (अनुसूची अग्रणीत हानि के केवल 5viii)	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ VI-क (अनुसूची VIक का थ)	11	
12	कुल आय (10 - 11)	12	
13	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 4)	13	
14	'औषत आय' (12 + 13)	14	
15	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (सीएफएल के xi का योग)	15	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर		
	क सामान्य दरों पर कर	1क	
	ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस आई का 11)	1ख	
2	कुल आय पर संदेय कर (1क + 1ख)	2	
3	(2 + 3) पर शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर भी हैं	3	
4	कुल कर दायित्व (2 + 3)	4	
5	कर राहत		
	क धारा 89	5क	
	ख धारा 90	5ख	

ग	धारा 91	5ग	
घ	कुल (6क + 6ख + 6ग)	5घ	
6	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6घ)	6	
7	संदेय व्याज		
	क विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234क)	7क	
	ख अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	7ख	
	ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234ग)	7ग	
	घ संदेय कुल व्याज (9क+9ख+9ग)	7घ	
8	औषत दायित्व (6 + 7घ)	8	
9	संदत कर		
	क अग्रिम कर (अनुसूची आईटी से)	9क	
	ख स्रोत पर कर की कटौती (अनुसूची स्रोत पर कर की कटौती 1 के तहत) और अनुसूची स्रोत पर की कटौती 2 के तहत 8 का संग)	9ख	
	ग टीसीएस (अनुसूची टीसीएस का तहत 1)	9ग	
	घ स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची आईटी से)	9घ	
	ड संदत कुल कर (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	9ड	
10	संदेय रकम (यदि 9ड से अधिक है तो 8 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)	10	
11	प्रतिदाय (यदि 8 9ड से अधिक है तो बैंक लेखा के ब्यारे भी नीचे दें)	11	
12	अपना बैंक खाता सं० प्रविष्ट करें (प्रतिदाय की दशा में आवश्यक)		
13	क्या आप अपना प्रतिदाय ☐ बैंक द्वारा, या ☐ अपने बैंक खाते में जमा कराना चाहते हैं? (जो लागू हो उसे ☒ चिह्नित करें)		
14	अपने बैंक खाते में सीधे जमा कराने की दशा में अतिरिक्त ब्यारे दें		
एमआईसीआर कोड		खाते की प्रकार (जो लागू हो उसे ☒ चिह्नित करें)	☐ बचत ☐ गैर

सत्यापन

मैं, जी, का पुरस्कर्ता हूँ क्योंकि लेखा संख्या का वास्तविक रूप से शायदही से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दोषित कुल भाग की रकम और अन्य विशिष्टता सत्य कथित की गई है और अधिमान्त वर्ष 2010-11 से सुरुवात पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय कर से अपनने प्राप्त कर संकाय में आय कर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों का अनुसरण है।

स्थान →

तारीख

हस्ताक्षर

15 यदि विवरणी किसी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो और नीचे और ब्यारे दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं०	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी के प्रति हस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम.....	16	

अनुसूची एस	वतन से आय के ब्यारे	नियोक्ता का स्थायी लेखा संख्या (पैन) (वैकल्पिक)
नियोक्ता का नाम		
नियोक्ता का पता	नगर/शहर	राज्य
		पिन कोड
वतन	1 वेतन (वेतन के स्थान पर सभी भत्तों, परिलब्धियों और लाभ का छेड़ कर).....	1
	2 धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त भत्ते (नीचे 6 में सम्मिलित).....	2
	3 भत्ते जो छूट प्राप्त नहीं हैं (नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए).....	3
	4 परिलब्धियों का मूल्य (नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए).....	4
	5 वेतन के स्थान पर लाभ (नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए).....	5
	6 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रमाय आय (1+3+4+5).....	6

अनुसूची गृह संपत्ति गृह संपत्ति से आय के ब्यारे (कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें)

संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिन कोड
यदि किराए पर है तो ☒ (चिह्नित करें) ☐	किराए दार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा सं० (वैकल्पिक)	
क वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/ किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो निम्नतर)	1क		
ख किराए की रकम जो निर्माहित नहीं की जा सकती है	1ख		
ग स्थानीय प्राधिकारियों को सदत कर	1ग		
घ कुल (1ख + 1ग)	1घ		
ड बकाया (1क - 1घ)		1ड	
च 1ड का 30%	1च		

क	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1क	
ज	कुल (1क + 1ख)	1ज	
झ	गृह संपत्ति 1 से आय (1क - 1ज)	1झ	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/शहर	राज्य
			पिन कोड
	यदि किराए पर है तो ☒ (विहित) करे ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्वामी लेखा सं० (वैकल्पिक)
क	वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो निम्नतर)	2क	
ख	किराए की रकम जो निर्मोचित नहीं की जा सकती है	2ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग	
घ	कुल (2ख + 2ग)	2घ	
ङ	बकाया (2क - 2घ)	2ङ	
च	2ङ का 30%	2च	
छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2छ	
ज	कुल (2ङ + 2छ)	2ज	
झ	गृह संपत्ति 2 से आय (2ङ - 2ज)	2झ	
3	संपत्ति 3 का पता	नगर/शहर	राज्य
			पिन कोड
	यदि किराए पर है तो ☒ (विहित) करे ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्वामी लेखा सं० (वैकल्पिक)
क	वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो निम्नतर)	3क	
ख	किराए की रकम जो निर्मोचित नहीं की जा सकती है	3ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	3ग	
घ	कुल (3ख + 3ग)	3घ	
ङ	बकाया (3क - 3घ)	3ङ	
च	3ङ का 30%	3च	
छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	3छ	
ज	कुल (3च + 3छ)	3ज	
झ	गृह संपत्ति 3 से आय 3 (3ङ - 3ज)	3झ	
4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय		
क	धारा 25क/कक के अधीन निर्मोचित पूर्व वर्षों का किराया	4क	
ख	30% कटौती करने के पश्चात् धारा 25ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त किराए का बकाया	4ख	
ग	कुल (4क + 4ख + 1झ + 2झ + 3झ)	4ग	

टिप्पणी ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुरागी - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति	
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क पी और एल का नं० 43 या मद 51घ)	1
2	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	2
3	आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में जमा आय/रसीदें	3
4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कङ/44ख/44खख/44खखक/44खखख/44घ/44घक/अध्याय 12ख/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	4
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है	
	क फर्मों से आय का अंश	5क
	ख एओपी/बीओआई से आय का अंश	5ख
	ग आय से कोई अन्य छूट	5ग
	घ कुल छूट प्राप्त आय	5घ
6	बकाया (1 - 2 - 3 - 4 - 5घ)	6
7	आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	7
8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित	8
9	कुल (7 + 8)	9
10	समायोजित लाभ या हानि (6 + 9)	10
11	9 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में विकलित अवज्ञायण	11
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवज्ञायण	
	i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवज्ञायण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	12i
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवज्ञायण (अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क	12ii
	iii कुल (12i + 12ii)	12iii

13	अवकाश के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 6त)	14
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 7अ)	15
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 8कछ)	16
17	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 9ड)	17
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय है	18
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज	19
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20
21	धारा 33कख/ 33कखक/ 33कखख/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21
22	धारा 28 से 44घ के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मद	22
23	कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस से जिसमें कोई व्यक्ति/ हिंदू अभिमक्त कुटुंब/ स्वामित्वधारी समुत्पन्न भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है)	23
24	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22+23)	24
25	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25
26	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची इसआर का मद vii (4))	26
27	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम (भाग-णञ का 8क)	27
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग-णञ का 10छ)	28
29	धारा 35 कग के अधीन कटौती	29
	क लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	29क
	ख कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	29ख
	ग लाभ कटौती के रूप में अनुज्ञेय अधिक रकम	29ग
30	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	30
31	कुल (25 + 26+27+28+29ग+ 30)	31
32	आय (13+ 24 - 31)	32
33	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -	
	i धारा 44कघ	33i
	ii धारा 44कड	33ii
	iii धारा 44कच	33iii
	iv धारा 44ख	33iv
	v धारा 44खख	33v
	vi धारा 44खखक	33vi
	vii धारा 44खखख	33vii
	viii धारा 44घ	33viii
	ix धारा 44घक	33ix
	x अध्याय-XII-छ	33x
	xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	33 xi
	xii कुल(33i से 33xi)	33xii
34	धारा 10क/10कक/10ख/10खक के अधीन कटौती से पूर्व लाभ या हानि (32 + 33xii)	34
35	निम्नलिखित धारा के अधीन कटौतियां-	
	i 10क (अनुसूची 10क का क)	35i
	ii 10कक (अनुसूची 10कक का घ)	35ii
	iii 10ख (अनुसूची 10ख का च)	35iii
	iv 10खक (अनुसूची 10खक का घ)	35i
	v योग	35v
36	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34- 35v)	36
37	कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् विशेष कारबार की सिवाय वही जो उमर 36 में है)	37
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना	
38	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	38

39	धारा 28 से 44 तक के अनुसार परिवर्धन	39
40	धारा 28 से 44 तक के अनुसार कटौतियां	40
41	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38+39-40)	आ 41
इ	'लाभ और हानि' शीर्ष के अधीन प्रभावी आय (अ 37 + आ 41)	ई

टिप्पण ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी						
		15	30	40	50	60	80	100
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3 + 4 - 5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो							
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो							
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)							
15	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
16	धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाम/हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 15) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)							
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6 + 9 - 14) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	भवन			फर्निचर और फिटिंगे	अंमूल्य आस्तिया	पोत
		5	10	100	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य						
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण						
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3 + 4 - 5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन						
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण						
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण						
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण						
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण यदि कोई हो						

13	पर अतिरिक्त अवक्षयण यदि कोई हो					
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)					
15	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय					
16	धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5+8-3-4-7-15) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)					
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6+9-14) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)					

अनुसूची आस्तियों पर अवक्षयण का सार आस्तियों पर अवक्षयण का सार

1	संवंत्र और मशीनरी				
क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14i)	1क			
ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14ii)	1ख			
ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14iii)	1ग			
घ	50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14iv)	1घ			
ङ	60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14v)	1ङ			
च	80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14vi)	1च			
छ	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14vii)	1छ			
ज	संवंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	1ज			
2	भवन				
क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14i)	2क			
ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii)	2ख			
ग	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii)	2ग			
घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))	2घ			
3	फर्नीचर और फिटिंग अनुसूची डीओए 14iv)		3		
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14v)		4		
5	पोत (अनुसूची डीओए 14vi)		5		
6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)		6		

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर सम्प्राप्ता पूंजी अभिलाभ

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संवंत्र और मशीनरी				
क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16i)	1क			
ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16ii)	1ख			
ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16iii)	1ग			
घ	50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16iv)	1घ			
ङ	60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16v)	1ङ			
च	80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16vi)	1च			
छ	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16vii)	1छ			
ज	संवंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)	ज			
2	भवन				
क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 16i)	2क			

ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 16ii)	2ख	
ग	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 16iii)	2ग	
घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ
3	कर्मचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 16iv)		3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 16v)		4
5	पोत (अनुसूची डीओए 16vi)		5
6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)		6

अनुसूची 2एअर धारा 35 के अधीन कटौतें

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यव	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती की रकम	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अ)			
vi	35(2अअ)			
vii	योग			

अनुसूची पूंजी अभिलाभ पूंजी अभिलाभ

अ अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ				
1	मंदा में विक्रय से			
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क		
ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख		
ग	मंदा में विक्रय से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग		
घ	धारा 54ख/54घ के अधीन कटौतियां	1घ		
ड	मंदा में विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग-1घ)		1ड	
2	ऐसे अनिवारी के मामले में आस्तियों से, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू है		2	
3	अन्य आस्तियों से			
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क		
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
i	अर्जन की लागत	खi		
ii	सुधार की लागत	खii		
iii	अंतरण पर व्यव	खiii		
iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	खiv		
ग	अतिशेष (3क-खiv)	3ग		
घ	हानि, यदि कोई हो, की धारा 94(7) या 94(8) के अधीन (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	3घ		
ड	धारा 54ख/54घ/54छ/54छक के अधीन कटौतियां	3ड		
च	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (3ग-3घ-3ड)		3च	
4	अवक्षयणीय योग्य आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)		4	
5	धारा 54ख/54घ/54ङग/54ङघ/54छ/54छक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में मानी गई रकमें		5	
6	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ड+2+3च+4+5)		6	
7	6 में सम्मिलित धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		7	
8	धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (6-7)		अ8	
आ दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ				
1	मंदा में विक्रय से			
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क		
ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख		
ग	मंदा में विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग		
घ	धारा 54ख/54घ/54ङग/54ङघ/54छ/54छक के अधीन कटौतियां	1घ		
ड	मंदा में विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग-1घ)			
2	ऐसे अनिवारी के मामले में आस्तियों, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू है		2	
3	ऐसी अन्य आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है			
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क		
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
i	सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi		
ii	सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii		

	iii अतिरेश पर व्यय	खiii	
	iv योग (खi+खii+खiii)	खiv	
ग	अतिशेष (3क- खiv)	3ग	
घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङग/54च / 54छ/ 54छक के अधीन 3घ		
ड	शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)		3ड
4	ऐसी अन्य के मामले में आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के अधीन परंतुक का प्रयोग किया गया		
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	4क	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi	
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii	
	iii अतिरेश पर व्यय	खiii	
	iv योग (खi + खii + खiii)	खiv	
ग	अतिशेष (4क- खiv)	4ग	
घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङग/54चघ/54छ/54छक के अधीन 4घ		
ड	शुद्ध अतिशेष		
5	धारा 54/54ख/54घ/54ङग/54चघ/54छ/54छक के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में मानी गई रकमे		5
6	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ड (यदि हानि है तो शून्य लिखें)+2+3ड (यदि हानि है तो शून्य लिखें) (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +5)		आ6
इ	"पूँजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (अ6+ आ6) (यदि हानि है तो ख6 को शून्य लिखें)		इ

ई	पूँजी अभिलाभ का प्रोदभात/प्राप्ति के संबंध में सूचना	15/9 तक (i)	16/9 से 15/12 (ii)	16/12 से 15/3 (iii)	16/3 to 31/3 (iv)
1	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची में कोड 22 है, कर दर 10 प्रतिशत है : अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद बी4ग से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करे, यदि कोई हो				
2	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची में कोड 21 है, कर दर 20 प्रतिशत है : अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद (बी6-बी4सी) से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करे, यदि कोई हो				
3	111ए के अधीन अल्पकालिक- अनुसूची एसआई में कोड 1ए है, कर दर 15 प्रतिशत है : अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद ए7से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करे, यदि कोई हो				
4	अल्पकालिक अन्य- सामान्य दर पर करदेय : अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद ए8से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करे, यदि कोई हो				
टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसआई में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें					

अनुसूची अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

1	(दोड़ के घोड़ों) के स्वामित्व से होने वाली आय से भिन्न आय		
क	लाभांश, सकल	1क	
ख	व्याज, सकल	1ख	
ग	मशीनरी, संयंत्र, भवन के किराए से आय	1ग	
घ	अन्य सकल (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से होने वाली आय को छोड़कर)	1घ	
या	योग (1क+1ख+1ग+1घ)		1ड
च	धारा 57 के अधीन कटौतियां :-		
	i व्यय/कटौती	च i	
	ii अवक्षयण	च ii	
	iii योग	च iii	
छ	शेष (1ड- च iii)		1छ
2	लाटरी, वर्ग पहली, दोड़ों आदि से जीत		2
3	अन्य स्रोतों से आय (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1छ + 2)		3
4	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनको रखने से आय		
क	प्राप्तियां	4क	

ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	4 ख	
ग	शेष (2 क - 2 ख)		4 ग
5	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (3 + 4 ग) (यदि हानि है तो 4ग को शून्य लिखें और 4ग हानि के अंकों को अनुसूची सीएफएल में लें)		5

टिप्पणी ► इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय कृपया अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय को सम्मिलित करें

अनुसूची सीआईएलए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस सतम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो।)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		कुल हानि (अनुसूची एचपी का 4ग)	कुल हानि (अनुसूची बीपी का 31)	कुल हानि (अनुसूची ओएस का 3)		
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	वेतन					
ii	गृह संपत्तियाँ					
iii	कारबार (सट्टेबाजी लाभ सहित)					
iv	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
v	दीर्घकालिक अभिलाभ					
vi	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ सहित किन्तु लॉटरी से जीत को छोड़कर)					
vii	मुजरा की गई कुल हानि					
viii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

अनुसूची टीएफएलए पहले के वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	अनुसूची (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे) के 5 के अनुसार, मुजरा करने के पश्चात्, यदि कोई हो, आय	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्तियाँ					
ii	कारबार (सट्टेबाजी लाभ सहित)					
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
iv	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
v	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ किन्तु लॉटरी से जीत को छोड़कर)					
vi	अग्रणीत हानियों के मुजरा का योग					
vii	कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + vi5)					

अनुसूची सीएफएल भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के व्यौरे

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख (ता/ मास/वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारबार हानि	सट्टेबाजी से भिन्न हानि	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	अन्य स्रोतों से हानि (घुड़दौड़ से भिन्न)	अन्य स्रोतों से हानि (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से)
i	2002-03								
ii	2003-04								
iii	2004-05								
iv	2005-06								
v	2006-07								
vi	2007-08								

हानियों का अग्रणीत

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

vii	2008-09								
viii	2009-10								
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग								
x	अनुसूची बीएफएलए में पूर्वोक्त हानियों का समायोजन								
xi	2010-11 (या लू वर्ष की हानियाँ)								
xii	अगले वर्षों में अग्रनीत की गई कुल हानि								

अनुसूची 10 क धारा 10 क के अधीन कटीती

धारा 10क के अधीन कटीती

1	राफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थित इकाइयों की बाबत कटीती								
	क उपक्रम संख्या 1				1क				
	ख उपक्रम संख्या 2				1ख				
	ग उपक्रम संख्या 3				1ग				
	घ उपक्रम संख्या 4				1घ				
	ङ उपक्रम संख्या 5				1ङ				
	योग (1 क + 1 ख + 1 ग + 1 घ + 1 ङ)								
2	इलेक्ट्रॉनिक हाईवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थित इकाइयों की बाबत कटीती								
	क उपक्रम संख्या 1				2क				
	ख उपक्रम संख्या 2				2ख				
	ग उपक्रम संख्या 3				2ग				
	घ योग (2 क + 2 ख + 2 ग)								
3	भुक्त व्यापार जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटीती								
	क उपक्रम संख्या 1				3क				
	ख उपक्रम संख्या 2				3ख				
	ग उपक्रम संख्या 3				3ग				
	घ योग (3 क + 3 ख + 3 ग)								
4	निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटीती								
	क उपक्रम संख्या 1				4क				
	ख उपक्रम संख्या 2				4ख				
	ग उपक्रम संख्या 3				4ग				
	घ योग (4 क + 4 ख + 4 ग)								
5	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटीती								
	क उपक्रम संख्या 1				5क				
	ख उपक्रम संख्या 2				5ख				
	ग उपक्रम संख्या 3				5ग				
	घ योग (5 क + 5 ख + 5 ग)								
6	धारा 10क के अधीन कुल कटीतियाँ (1घ + 2 घ + 3घ + 4घ + 5घ)								

अनुसूची 10कक धारा 10कक के अधीन कटीती

धारा 10कक के अधीन

विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटीती									
क उपक्रम संख्या 1					5क				
ख उपक्रम संख्या 2					5ख				
ग उपक्रम संख्या 3					5ग				
घ योग (क + ख + ग)									

अनुसूची 10ख धारा 10ख के अधीन कटीती

धारा 10ख के अधीन कटीती

शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाइयों की बाबत कटीती									
क उपक्रम संख्या 1					क				
ख उपक्रम संख्या 2					ख				
ग उपक्रम संख्या 3					ग				
घ उपक्रम संख्या 4					घ				
ङ उपक्रम संख्या 5					ङ				
च योग (क + ख + ग + घ + ङ)									

अनुसूची 10खक धारा 10खक के अधीन कटीती

धारा 10खक के अधीन

हस्तनिर्मित काष्ठ वस्तुओं के निर्यात की बाबत कटीती									
क उपक्रम संख्या 1					क				
ख उपक्रम संख्या 2					ख				
ग उपक्रम संख्या 3					ग				

घ	उपक्रम संख्या.4	घ	
ड	उपक्रम संख्या.5	ड	
च	योग (क + ख+ ग+ घ+ ड)	च	

अनुसूची 80 18 धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए हकदार संदानों के व्योरे

संदानों के व्योरे

क	शतप्रतिशत कटौती के लिए हकदार संदान		
	आदाता का नाम और पता		संदान की रकम
	i		का
	ii		काii
	iii		काiii
	iv		काiv
	v		काv
	vi	योग	काvi
ख	जहां आदाता का धारा 80छ(5) (vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है, 50% कटौती के लिए अनुज्ञात संदान		
	आदाता का नाम और पता		संदान की रकम
	i		खा
	ii		खाii
	iii		खाiii
	iv		खाiv
	v		खाv
	vi	योग	खाvi
	ग	जहां आदाता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है, 50 % कटौती के लिए अनुज्ञात संदान	
	आदाता का नाम और पता	आदाता का स्थायी लेखा संख्या	संदान की रकम
	i		गा
	ii		गाii
	iii		गाiii
	iv		गाiv
	v		गाv
	vi	योग	गाvi
	घ	कुल संदान (काvi + खा + गाvi)	

अनुसूची 80अक धारा 80अक के अधीन कटौतियां

धारा 80अक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80अक(4)(i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (अवसरचना सुविधा)	क	
	ख	धारा 80अक(4)(ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	ख	
	ग	धारा 80अक(4)(iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विशेष आर्थिक जोनों में औद्योगिक पार्क)	ग	
	घ	धारा 80अक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत)	घ	
	ड	धारा 80अक(4)(v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत उत्पादन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80अक (4)(vi) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभ की बाबत कटौती (पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ड	
	च	धारा 80अक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख + ग + घ)	च	

अनुसूची-80- झख धारा 80अख के अधीन कटौतियां

धारा 80अख के अधीन कटौतियां	क	धारा 80अख(3) में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (लघु उद्योग)	क	
	ख	जम्मू-कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(4))	ख	
	ग	आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(4))	ग	

घ औद्योगिक रूप से पिघड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटीतियां (धारा 80अख(5))	घ
ङ मल्टीप्लेक्स थियेट्रो की बाबत कटीतियां (धारा 80अख(7 क))	ङ
च पारंपरिक केंद्रों की बाबत कटीतियां (धारा 80अख(7 ख))	च
छ वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटीतियां (धारा 80अख(8 क))	छ
ज ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटीतियां (धारा 80अख(9))	ज
झ ऐसे उपक्रमों की दशा में कटीतियां जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80अख(10))	झ
ञ ऐसे उपक्रमों की दशा में कटीतियां जो प्रशीतन भूखंड सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए हैं (धारा 80अख(11))	ञ
ट पट्टनों और सड़ियों के प्रसंस्करण, परिष्करण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटीतियां (धारा 80अख(11))	ट
ठ खाद्यान्नों, उठाई-धराई बंदारण और परिवहन के कारखानों में लगे हुए उपक्रम की दशा कटीती (धारा 80अख(11 क))	ठ
ड ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और रखरखाव में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटीतियां (धारा 80अख(11 ख))	ड
द धारा 80अख के अधीन कुल कटीतियां (क से ड का योग)	द

अनुसूची-80- अंग या 80अड धारा 80अंग या 80 अड के अधीन कटीतियां

1 सिक्किम में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटीतियां	1
2 हिमाचल प्रदेश में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटीतियां	2
3 उत्तरांचल में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटीतियां	3
4 पूर्वोत्तर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटीतियां	
क असम	4क
ख अरुणाचल प्रदेश	4ख
ग मणिपुर	4ग
घ मिजोरम	4घ
ङ मेघालय	4ङ
च नागालैंड	4च
छ त्रिपुरा	4छ
ज पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों के लिए कटीतियों का कुल योग (4क से 4छ का योग)	4 ज
5 धारा 80अंग या 80अड के अधीन कुल कटीतियां (1 + 2 + 3 + 4 ज)	5

अनुसूची-6 क अध्याय 6 क के अधीन कटीतियां (धारा)

क 80 ग	ट 80 अंग (अनुसूची 80अक का 80)
ख 80 ग ग	ठ 80 अख (अनुसूची 80अक का 2)
ग 80 ग घ	ज 80 अंग (अनुसूची 80अक का 4)
घ 80 घ	ड 80 अंग/80अख (अनुसूची 80अक/80अख का 5)
ङ 80 घघ	ण 80अघ/अजकक
च 80घघख	त 80 टक
छ 80 उ	थ 80 थधख
ज 80 छ	द 80 ददख
झ 80छछ/छकक	घ 80 प
ञ 80 छछा	
ड अध्याय 6 क के अधीन कुल कटीतियां (क से झ का कुल योग)	घ

अनुसूची - विशिष्ट व्यक्तियों की आय

विशिष्ट व्यक्तियों की आय (पत्नी/पत्नी, अवसरक बालक आदि) निर्धारितियों की आय में शामिल है।

वृद्धम सं. व्यक्ति का नाम व्यक्ति का स्थायी लेखा सं. नातेदारी आय की प्रकृति रकम (रुपए)

[illegible]

अनुसूची विशेष दर

विशेष दर से प्रभाष्य आय-कर झरू (कृपया अनुभाग कोड और कर की दर के लिए अनुदेश सं. 9 (iii) देखें)

क्र.सं.	अनुभाग कोड	☒ विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii	क्र.सं.	अनुभाग कोड	☒ विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii
विशेष दर	1क	☐ 15			6	☐			
	2	☐ 10			7	☐			
	3	☐ 20			8	☐			
	4	☐ 30			9	☐			
	5	☐			10	☐			
11	कुल (11 to 10 ii)								

अनुसूची - आईएफ

उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं

फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं

फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं

फर्म सं.	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्यांक	फर्म की लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर की रकम	31 मार्च को फर्म में पूजी अतिशेष
				I	II
1					
2					
3					
4					
5					
6	योग				

फर्म जिनमें भागीदार हैं

अनुसूची : छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय)

कुट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय	1
	2	लाभांश से आय	2
	3	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया गया है	3
	4	सुद्ध कृषि आय (नियम 7, 7क, 7ख या 8 के अधीन अपवर्जित की जाने वाली आय से भिन्न)	4
	5	फर्म के लाभ में शेयर / एओपी इत्यादि	5
	6	अन्य	6
	7	योग (1+2+3+4+5+6)	7

**अनुसूची-वार्षिक
सूचना विवरणी**

अन्य सूचना (वार्षिक सूचना विवरणी के संबंध में सूचना रिपोर्ट) | कृपया कोड के लिए अनुदेश सं. 9(iv) देखिए।

क्र.सं.	संयवहार का कोड	☒	रकम (रु.)	क्र.सं.	संयवहार का कोड	☒	रकम (रु.)
1	001	☐		5	005	☐	
2	002	☐		6	006	☐	
3	003	☐		7	007	☐	
4	004	☐		8	008	☐	

અનુસૂચી પ્રાપ્ત કર

आय-कर के अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण के कर संदय के व्यौरे

क्र.सं.	बैंक का नाम और शाखा	बीएसआर कोड	नियुक्ति की तारीख/दिन मास वर्ष	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए)
i					
ii					
iii					
iv					
v					

भाग ख-टीटीआई के कम सं. 11क और 11घ में अग्रिम कार और स्वतः निर्धारण कर का योग 20

कर कटौती 1 वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा नियोजक द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार							
क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम और पता	वेतन के अधीन प्रभावी आय	अध्याय V-I के अधीन कटौती	संदेय कर (जिसके कटौती किया गया अंतर्गत शिक्षा उपकर भी हैं)	संदेय/प्रतिदेय कर कुल कर	संदेय/प्रतिदेय कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							

अनुसूची का कर कटौती 2 आग से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा | नियोजक द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार |

क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	संदत रकम	संदाय/जमा की तारीख	कटौती किया गया कुल कर	(6) से रकम जिसका इस वर्ष के लिए दावा किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						
iii						

टिप्पण :- कृपया भाग ख टीटीआई1 के 11ख में अनुसूची टीडीएस1 के स्तंभ 7 और अनुसूची टीडीएस2 के स्तंभ 7 का योग भरें।

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर संग्रहित कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27ध के अनुसार)						
क्रम सं.	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक (टीएएन)	संग्रहाक का नाम और पता	प्राप्त/विकलन की रकम	प्राप्त/विकलन की तारीख	काटा गया कुल कर	वर्ष के दौरान अनुज्ञात किए जाने वाले (6) से रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						

टिप्पण : भाग ख-टीटीआई के क्रम सं.17ग में स्तंभ (7) की कुल रकम प्रविष्ट करें

प्ररूप आ.का.वि-5	भारतीय आयकर विवरणी फर्मों, एओपी और बीओआई के लिए (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें) (संलग्न अनुदेश भी देखें)	निर्धारण वर्ष
		20 1 - 1 1

व्यक्तिगत जानकारी	भाग के साधारण		साधारण		स्थायी लेखा संख्यांक	
	नाम					
	क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, कृपया पुराना नाम दें					
	फ्लैट/घर/क्लाक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम		विवरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		
	सड़क/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थान		प्राप्ति (कर्म-1, स्थानीय प्राप्ति-2, सहकारी बैंक-3, सहकारी सोसाइटी-4, अन्य एओपी/ बीओआई कृतिम विधि-5)		
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिनकोड	धारा- के अधीन फाइल की गई विवरणी (कोड प्रविष्ट करें)	आय कर	
	ई-मेल पता	(एसटीडी कोड) फोन नं०		/ कृपया अनुदेश सं० 9(i) देखें/	अनुवर्गी फायदे	
	निर्धारण अधिकारी का पदान	क्षेत्र कोड	एओ टाइप			
	विवरणी मूल या पुनरीक्षित? (सही का निशान लगाएं) ☒ मूल ☐ पुनरीक्षित					
	यदि पुनरीक्षित है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं० और फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)					
निवास संबंधी प्राप्ति (सही का निशान लगाएं) ☒ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं						
अनिवासी की दशा में, क्या भारत में कोई स्थायी स्थापन है ? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं						
फाइल करने की प्राप्ति	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं					
	यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें-					
	(क)	प्रतिनिधि का नाम				
	(ख)	प्रतिनिधि का पता				
	(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा सं०				
संपरीक्षा जानकारी	क्या आप धारा 44क के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं					
	क्या आप धारा 44क के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं, यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें					
	(क)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम				
	(ख)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या				
	(ग)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)				
	(घ)	संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं०)				
	(ङ)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख				

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

प्राप्ति सं०

तारीख

प्राप्तकर्ता पदधारी की मोहर और हस्ताक्षर

[illegible]

कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति है तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं		
क्र.सं.	कोड (कृपया अनुदेश सं० 9(ii) देखें)	वर्णन
(i)		
(ii)		
(iii)		

भाग क-तीरस 31 मार्च, 2010 को गथाविद्यमान तुलन पत्र (अदि नियमित लेखा बहिर्गत् रखी जाती हैं तो मद 1 से 5 भरे अन्यथा 6 भरे)

निधियों के खोत	1	भागीदार/सदस्यता निधि			
		क	भागीदार/सदस्यता पूंजी	क	
		ख	आरक्षितियां और अधिशेष		
			i पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खi	
			ii पूंजी आरक्षिति	खii	
			iii कानूनी आरक्षिति	खiii	
			iv कोई अन्य आरक्षिति	खiv	
			v योग (खi+खii+खiii+खiv)	खv	
		ग	कुल भागीदारी निधि (क + खv)	1ग	
	2	ऋण निधि			
		क	प्रतिभूत ऋण		
			i विदेशी करेंसी ऋण	का	
			ii रुपए ऋण		
			अ बैंको से	iiअ	
			आ अन्य से	iiआ	
			इ योग (iiअ+iiआ)	iiइ	
		iii	योग (का+ii ग)	काiii	
		ख	अप्रतिभूत ऋण (निकष सहित)		
			i बैंको से ऋण	खi	
			ii अन्य से	खii	
			iii योग (खi + खii)	खiii	
		ग	योग ऋण निधि (काiii + खiii)	2ग	
	3	आस्थगित कर दायित्व		3	
	4	निधि के खोत (1ग+2ग+3)		4	
	1	नियत आस्तियां			
		क	सकल :समूह	1क	
		ख	अवक्षयण	1ख	

	ग शुद्ध समूह (क-ख)	1ग	
	घ प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ	
	ङ योग (1ग+1घ)		1ङ
2	विनिधान		
	क दीर्घकालिक विनिधान		
	i सरकारी और अन्य प्रतिभूतियाँ-कोट की गई	का	
	ii सरकारी और अन्य प्रतिभूतियाँ-कोट न की गई	काii	
	iii योग (का+काii)		काiii
	ख अल्पकालिक विनिधान		
	i साधारण शेयर	खा	
	ii अशिमान्नी शेयर	खii	
	iii डिविडेंड	खiii	
	iv योग (खा+खii+खiii)		खiv
	ग कुल विनिधान (काiii+खiv)		2ग
3	चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम		
	क चालू आस्तियाँ		
	i सूचियाँ		
	अ भंडार, रसायन और पैकिंग सामग्री	iअ	
	आ कच्चा माल	iआ	
	इ प्रगतिगत स्टॉक	iइ	
	ई तैयार माल/व्यापारगत माल	iइ	
	उ योग (iअ+iआ+iइ+iई)		iउ
	ii विविध देनदार		काii
	iii नकदी और बैंक अतिशेष		
	अ हाथ में नकदी	iiiअ	
	आ बैंक में अतिशेष	iiiआ	
	इ योग (iiiअ+iiiआ)		iiiइ
	iv अन्य चालू आस्तियाँ		काiv
	v कुल चालू आस्तियाँ (iउ+ काii+iiiइ+ क iv)		कv
	ख ऋण और अग्रिम		
	i नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खा	
	ii निक्षेप उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य	खii	
	iii राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशेष, आदि	खiii	
	iv योग (खा + खii + खiii)		खiv
	ग योग (क v + ख v)		3ग
	घ विद्यमान दायित्व और उपबंध		
	i विद्यमान दायित्व और उपबंध		
	अ विविध देनदार	iअ	
	आ प्रदत्त आस्तियों के लिए दायित्व	iआ	
	इ उपरोक्त पर प्रोद्भूत ब्याज	iइ	
	ई ऋण पर प्रोद्भूत किन्तु शोध नहीं ब्याज	iइ	
	उ योग (iअ+iआ +iइ +iई)		iउ
	ii उपबंध		
	अ आकर्षक के लिए उपबंध	iiअ	
	आ अनुबंधित फायदा कर के लिए उपबंध	iiआ	
	इ धन कर के लिए उपबंध	iiइ	
	ई छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्षिता-उपदान के लिए उपबंध	iiई	
	उ अन्य उपबंध	iiउ	
	ए योग (iiअ+iiआ +iiइ +iiई+iiउ +iiऊ +iiए)		ii ए
	iii योग (iउ+ii ए)		घiii
	ङ शुद्ध चालू आस्तियाँ (3ग-घiii)		3ङ
4	क अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क	
	ख अपलिखित कर आस्ति	4ख	

कि लेखा न होना दशा	ग लाभ और हानि लेखा/एकत्रित शेष	4ग	
	घ योग (4क + 4ख + 4ग)		4घ
	5 निधियों के उपयोजन का योग (1ङ + 2ग + 3ङ + 4घ)		5
	6 उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, कारबार या वृत्ति की लागत 31 मार्च, 2010 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें		
	क विविध देनदारों की कुल रकम		6क
	ख विविध लेनदारों की कुल रकम		6ख
	ग व्यवसायगत स्टॉक की कुल रकम		6ग
	घ नकद अतिशेष की रकम		6घ

भाग क लाभ और हानि पूर्ववर्ष 2009-10 के लिए लाभ और हानि (उस दशा में जहां नियमित लेखा पुरस्के रखी जाती है, मद 1 से 51 भरे, अ-अध 52 भरे)

लाभ हानि लेखे में जमा	1 कारबार या वृत्ति के विक्रय/सकल प्राप्तियां (शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो)		1
	2 विक्रीत या प्रदत्त माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर		
	क संघ उत्पाद शुल्क	2क	
	ख सेवा कर	2ख	
	ग मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर	2ग	
	घ कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	2घ	
	ङ प्राप्त या प्राप्य शुल्कों, करों और उपकर का योग (1क+1ख+1ग+1घ)		2ङ
	3 अन्य आय		
	क किराया	3क	
	ख कमीशन	3ख	
लाभ हानि लेखे से विकसित	ग लाभान्श	3ग	
	घ ब्याज	3घ	
	ङ विक्रय या नियत आस्तियों पर लाभ	3ङ	
	च ऐसे विनिधान के विक्रय पर लाभ, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य प्रतिभूतियां हैं	3च	
	छ अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	3छ	
	ज करैसी उत्तार-चढ़ाव पर लाभ	3ज	
	झ कृषि आय	3झ	
	ञ कोई अन्य आय	3ञ	
	ट अन्य आय का योग [(i) से (x)]		3ट
	4 बंद स्टॉक		4
	5 लाभ हानि लेखे में जमा का योग (1+2ङ+3ट+4)		5
	6 आरंभिक स्टॉक		6
	7 क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)		7
	8 क्रय किए गए माल और सेवाओं की बाबत संवत्त या संदेय शुल्क और कर		
	क सीमा शुल्क	8क	
	ख प्रति शुल्क	8ख	
	ग विशेष अतिरिक्त शुल्क	8ग	
	घ संघ उत्पाद शुल्क	8घ	
	ङ सेवा कर	8ङ	
	च मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	8च	
	छ कोई अन्य कर, संवत्त या संदेय	8छ	
	ज योग (8क+8ख+8ग+8घ+8ङ+8च+8छ)		8ज
	9 भाड़ा		9
	10 मंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपयोग		10
	11 विद्युत और ईंधन		11
	12 किराया		12
	13 भवन की मरम्मत		13
	14 मशीनरी की मरम्मत		14
	15 कर्मचारियों को प्रतिकर		
	क वेतन और मजदूरी	15क	
	ख बोनस	15ख	

	ग	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	15ग		
	घ	छुट्टी नकदीकरण	15घ		
	ङ	छुट्टी यात्रा फायदा	15ङ		
	च	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	15च		
	छ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	15छ		
	ज	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	15ज		
	झ	किसी अन्य निधि में अभिदाय	15झ		
	ञ	कर्मचारियों को कोई ऐसा अन्य फायदा, जिसकी बाबत कोई व्यय उपगत किया गया है	15ञ		
	ट	संदत और संदेय अनुबंधी फायदा कर	15ट		
	ठ	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (15क+15ख+15ग+15घ+15ङ+15च+15छ+15ज+15झ+15ञ+15ट)	15ठ		
16	बीमा				
	क	चिकित्सा बीमा	16क		
	ख	जीवन बीमा	16ख		
	ग	प्रमुख व्यक्ति का बीमा	16ग		
	घ	अन्य बीमा	16घ		
	ङ	बीमा पर कुल व्यय (16क+16ख+16ग+16घ)	16ङ		
17	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय				17
18	मनोरंजन				18
19	सत्कार				19
20	सम्मेलन				20
21	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)				21
22	विज्ञापन				22
23	कमीशन				23
24	होटल, बोर्डिंग और वासा				24
25	विदेश यात्रा सहित यात्रा व्यय				25
26	वाहन खर्च				26
27	टेलीफोन व्यय				27
28	अतिथि गृह व्यय				28
29	क्लब व्यय				29
30	उत्सव समारोह व्यय				30
31	छात्रवृत्ति				31
32	दान				32
33	संदान				33
34	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत या संदेय रेट और कर (आय पर करों को छोड़कर)				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	34क		
	ख	सेवा कर	34ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	34ग		
	घ	उपकर	34घ		
	ङ	एसटीटी सहित कोई अन्य रेट, कर, शुल्क या उपकर	34ङ		
	च	संदत या संदेय कुल रेट और कर (34क+34ख+34ग+34घ+34ङ)	34च		
35	लेखा परीक्षा शुल्क				35
36	अन्य व्यय				36
37	डूबंत ऋण				37
38	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध				38
39	अन्य उपबंध				39
40	व्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [5 + (6+7+8छ +9से 14+15ठ +16क +17से 33+34घ+35 से 39)]				40
41	व्याज				41
42	अवक्षयण				42
43	कर पूर्व लाभ (40-41-42)				43
44	चातू कर के लिए उपबंध				44
45	अनुबंधी फायदा कर के लिए उपबंध				45
46	आस्थगित कर के लिए उपबंध				46
47	कर परचातू लाभ (43-44-45-46)				47

कर और विनिर्माण के लिए उपबंध

48	पूर्व वर्ष से अग्रणीत बकाया	48	
49	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम	49	
50	आरक्षितियों और अधिशेष में अंतरित	50	
51	भागीदार के लेख में तुलन पत्र में लिया गया बकाया (49-50)	51	
52	उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, कारबार या वृत्ति की बाबत पूर्व वर्ष 2008-09 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें		
	क सकल प्राप्ति	52क	
	ख सकल लाभ	52ख	
	ग व्यय	52ग	
	घ शुद्ध लाभ	52घ	

भाग क- अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)

1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) ☒ ☐ वाणिज्य ☐ नकद	
2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) ☒ ☐ हा ☐ नहीं	
3	धारा 145 के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति में विचलन के कारण, यदि कोई हो, लाभ पर प्रभाव	3	
4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति		
	क कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐
	ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐
	ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)		☐
	घ धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	4घ	
5	लाभ-हानि लेख में जमा न की गई रकम, जो:		
	क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क	
	ख सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवाकर का प्रोफार्मा जमा, वापसी, प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रतिदाय, जहां ऐसा जमा, वापसी या प्रतिदायों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा देय माना गया है	5ख	
	ग पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग	
	घ आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ	
	च लाभ-हानि लेख में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च	
6	धारा 36 के अधीन नामजूर सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकम-		
	क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम गढ़े बीमा के लिए संदत प्रीमियम	6क	
	ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत प्रीमियम	6ख	
	ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभान्ध के रूप में अन्यथा संदेय थी		
	घ उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत ब्याज की कोई रकम	6घ	
	ङ जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ	
	च किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6च	
	छ अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम	6छ	
	ज मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6ज	
	झ किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6झ	
	ञ डूबत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ	
	ट डूबत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	6ट	
	ठ किसी विशेष आरक्षित में अंतरित रकम	6ठ	
	ड कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय	6ड	
	ढ नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदायों के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ढ	
	ण कोई अन्य अननुज्ञेय	6ण	
	त धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)	6त	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकम		
	क व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय	7क	

अन्य जानकारी

लेखा न होने का मामला

7	ख	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय	7ख	
	ग	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ग	
	घ	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7घ	
	ङ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7ङ	
	च	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च	
	छ	ऐसी आय के संबंध में व्यय की रकम, जो कुल आय का भाग नहीं बनती	7छ	
	ज	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ज	
	अ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)	7अ	
8	अ	धारा 80 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(िक) और धारा 40 (क)(iii) के अंतर्गत अधीन अनुज्ञेय रकम		
	ख	अनुषंगी लाभ कर की रकम में सदत्त रकम	अख	
	ग	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अग	
	घ	धनकर के रूप में सदत्त रकम	अघ	
	ङ	किसी भागीदार या सदस्य को सदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम	अङ	
	च	कोई अन्य अनुज्ञेय	अच	
	छ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक से अच का योग)	अछ	
			8अछ	
	आ	किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में धारा 80 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम		8आ
9	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखों में विकलित रकमें			
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को सदत्त रकमें	9क	
	ख	एकाउन्ट पेई बैंक या एकाउन्ट पेई बैंक ड्रफ्ट से भिन्न सदत्त धारा 40क(3) के अंतर्गत अनुज्ञेय -100 % अनुज्ञेय	9ख	
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध	9ग	
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एसोप या वीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा सदत्त कोई राशि	9घ	
	ङ	कोई अन्य अनुज्ञेय	9ङ	
	च	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (9क और 9ड का योग)	9च	
			9च	
			10	
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च	
	छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)	10छ	
			10छ	
11	पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखों में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ	

च	छुट्टी नकदीकरण मद् संदेय कोई रकम	11च	
छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11च से 11घ का योग)		11छ
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम		
क	सिघ उत्पाद शुल्क	12क	
ख	सेवा कर	12ख	
ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग	
घ	कोई अन्य कर	12घ	
ङ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12घ का योग)		12ङ
13	धारा 33कख या धारा 33कख या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें		13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभावं लाभ की कोई रकम		14
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकसित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम		15

भाग क-परिणात्मक व्यौरा परिणात्मक व्यौरा (धारा 44कख के अधीन संप्रवेश के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)

(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में		
1	आरंभिक स्टाक	1	
2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2	
3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3	
4	बंद स्टाक	4	
5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	5	
(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में		
6	कच्ची सामग्री		
क	आरंभिक स्टाक	6क	
ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख	
ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6ग	
घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
ङ	बंद स्टाक	6ङ	
च	प्राप्त तैयार उत्पाद	6च	
छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ	
ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज	
7.	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद		
क	आरंभिक स्टाक	7क	
ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
ङ	बंद स्टाक	7ङ	
च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च	

भाग ख-कुल आय कुल आय की संगणना

1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 4मं (यदि जानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	1	
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ		
i	सहदेबाजी के कारबार से गिन कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी का ए 37) (यदि जानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2i	
ii	सहदेबाजी के कारबार से लाभ और हानि (अनुसूची बीपी का सी 41) (यदि जानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2ii	
iii	योग (2i+2ii) शून्य प्रविष्ट करें यदि जानि और यह संकेत अनुसूची सीआईएलए की जानि में है	2iii	
3	पूजी अभिलाभ		
क	अल्पकालिक		
i	अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन) (अनुसूची सी में का 3क7) (यदि जानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3कi	
ii	अल्पकालिक (अन्य) (धारा 111क के अधीन) (अनुसूची सीजी का क8) (यदि जानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3कii	
iii	कुल अल्पकालिक (3कi+3कii)	3कiii	
ख	दीर्घकालिक (अनुसूची-सीजी का 4ी6) (यदि जानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3ख	
ग	कुल पूजी अभिलाभ (3कiii+3ख) (अनुसूची सीआईएलए का समयाजित आकडे ले)	3ग	

4	अन्य स्रोतों से आय	
	क दीड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न स्रोत से (अनुसूची ओएस का 4क) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4क
	ख दीड़ के घोड़ों के स्वामित्व से (अनुसूची ओएस का 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4ख
	ग योग (4क+4ख)	4ग
5	योग (1+2ग+3ग+4ग)	5
6	6 के संबंध में मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2vii, 3vii और 4vii का योग)	6
7	चालू वर्ष की हानि के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (6-7)	7
8	6 के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानि या (अनुसूची बीएफएलए के 2vii, 3vii और 4vii का योग)	8
9	सफल कुल आय (6-7-8) (अनुसूची बीएफएलए के 5viii भी)	9
10	अध्याय 6-क के अधीन कटौतियां (अनुसूची 6क का ट)	10
11	कुल आय (10-11)	11
12	सेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 4)	12
13	कुल आय (11+12)	13
14	अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची सीएफएल के xi का योग)	14

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर	
	क सामान्य दरों पर कर	1क
	ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का 11)	1ख
2	कुल आय पर संदेय कर (1क+1ख)	2
3	2 पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा सहित शिक्षा उपकर	3
4	सफल कर दायित्व (2+3)	4
5	कर राहत	
	क धारा 90	5क
	ख धारा 91	5ख
	ग योग (5क+5ख)	5ग
6	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग)	6
7	संदेय ब्याज	
	क विवरणी प्रस्तुत करने में व्यक्तिगत के लिए (धारा 234क)	7क
	ख अग्रिम कर के संदाय में व्यक्तिगत के लिए (धारा 234ख)	7ख
	ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234ग)	7ग
	घ संदेय कुल बकाया (7क+7ख+7ग)	7घ
8	कुल दायित्व (6+7घ)	8
9	संदत कर	
	क अग्रिम कर (अनुसूची-आईटी से)	9क
	ख स्रोत पर काटा गया कर (अनुसूची-टसीएस2 का स्तंभ 9)	9ख
	ग टीसीएस (अनुसूची-सीटीएस का स्तंभ 8)	9ग
	घ स्वतः निर्धारण (अनुसूची-आईटी से)	9घ
	ङ कुल संदत कर (9क+9ख+9ग+9घ)	9ङ
10	संदेय रकम (यदि 8, 9ङ से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)	10
12	प्रतिदाय (यदि 9ङ, 8 से अधिक है, अनुसूची-बीए में बैंक खाते के बारे में दी)	11

संदत कर

सत्यापन

मैं, जो का पुत्र/पुत्री हूँ, स्थायी लेखा संख्या का धारक हूँ, सत्यनिष्ठ से यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और उरामे दर्शित कुल आय/अनुबंधी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां निर्धारण वर्ष 2010-11 से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए आयकर से प्रभावी आय और अनुबंधी फायदों की बाबत सही कथित की गई हैं और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं की अपनी हैसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी देने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें→

अनुसूची-ए	प्रतिदाय की दशा में, कृपया उस बैंक खाते की बाबत निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें, जिसमें प्रतिदाय जमा किया जाना है।
1	अपना बैंक खाता संख्यांक लिखें (प्रतिदाय की दशा में अनिवार्य)
2	क्या आप अपना प्रतिदाय ☐ चेक, या ☐ आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके चाहते हैं? (जैसा लागू हो सही का निशान लगाएँ)
3	आपके बैंक खाते में सीधे जमा करने की दशा में, अतिरिक्त व्योरे दें
एमआईसीआर कोड	खाते का प्रकार (जैसा लागू हो सही का निशान लगाएँ) ☐ बचत ☐ वावु

अनुसूची-एचपी	गृह संपत्ति से आय के व्योरे (कृपया अनुदेश निर्दिष्ट करें)			
1	संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिनकोड
	सही का निशान ☒ यदि किराए पर दिया है ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)	
क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त किराया (अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)	1क		
ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख		
ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को सौंपा किया जाता है	1ग		
घ	योग (1ख+1ग)	1घ		
ङ	बकाया (1क-1घ)		1ङ	
च	1ङ का 30%	1च		
छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1छ		
ज	योग (1च+1छ)		1ज	
झ	गृह संपत्ति से आय 1 (1ङ-1ज)		1झ	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिनकोड
	सही का निशान ☒ यदि किराए पर दिया है ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)	
क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त किराया (अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)	2क		
ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख		
ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को सौंपा किया जाता है	2ग		
घ	योग (2ख+2ग)	2घ		
ङ	बकाया (2क-2घ)	2ङ		
च	2ङ का 30%	2च		
छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2छ		
ज	योग (2च+2छ)		2ज	
झ	गृह संपत्ति से आय 2 (2ङ-2ज)		2झ	
3	संपत्ति 3 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिनकोड
	सही का निशान ☒ यदि किराए पर दिया है ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)	
क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त किराया (अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)	3क		
ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती	3ख		
ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को सौंपा किया जाता है	3ग		
घ	योग (3ख+3ग)	3घ		
ङ	बकाया (3क-3घ)	3ङ		
च	3ङ का 30%	3च		
छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	3छ		
ज	योग (3च+3छ)		3ज	
झ	गृह संपत्ति से आय 3 (3ङ-3ज)		3झ	
4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय			
क	धारा 25क/कक के अधीन वसूल किया गया पूर्ववर्ष का किराया	4क		
ख	30% की कटौती करने के पश्चात् धारा 25ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया कर	4ख		
ग	योग (4क+4ख+1i+2i+3i)	4ग		

अनुसूची - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति			
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क पी और एल का मद 43 या मद 52घ)	1	
2	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	2	
3	आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में जमा आय/रशीदें	3	
4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कड/44खख/44खखक/44खखख/अध्याय 12घ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	4	
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
	क छूट प्राप्त आय	5क	
	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5ख	
	व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय से आय का अंश	5ग	
	कुल छूट प्राप्त आय	5घ	
6	बकाया (1 - 2 - 3 - 4 - 5घ)	6	
7	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	7	
8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	8	
9	कुल (7 + 8)	9	
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10	
11	9 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में विकलित अवज्ञायण	11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवज्ञायण		
	i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवज्ञायण (अनुसूची आईपी का रतम 6)	12i	
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवज्ञायण (अपनी संगणना करे और आयकर नियमों की प्रविष्टि-धारा को देखें)	12ii	
	iii कुल (12i + 12ii)	12iii	
13	अवज्ञायण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13	
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 6त)	14	
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 7झ)	15	
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 8कझ)	16	
17	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 9च)	17	
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय है (भाग ओआई 11छ)	18	
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय व्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 33कख/ 33कखक/ 35कखख/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	22	
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (किन्तु वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से व्याज जिसमें निर्धारित मागीदार है)	23	
24	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22+23)	24	
25	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25	
26	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची ई धाराआर का मद VII (4))	26	
27	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 30 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम (भाग ओआई का 8घ)	27	
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग ओआई का 10)	28	
29	धारा 35 कग के अधीन कटौती	29	
	क लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	29 क	
	ख अनुज्ञेय कटौती	29ख	
	ग लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय	29ग	
30	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	30	
31	कुल (25 + 26 + 27 + 28 + 29ग + 30)	31	
32	आय (13 + 24 - 31)	32	
33	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ	33i	
	ii धारा 44कड	33ii	

iii धारा 44कच	33iii	
iv धारा 44ख	33iv	
v धारा 44खख	33v	
vi धारा 44खखक	33vi	
vii धारा 44खखख	33vii	
viii धारा 44घ	33	
ix धारा 44घक	33ix	
x अध्याय-XII-छ	33x	
xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	33 xi	
xii कुल(33i से 33xi)		33xii
34 धारा 10क/10कक/10ख/10खक के अधीन कटौती से पूर्व लाभ या हानि (32 + 33x)		34
35 निम्नलिखित के अधीन कटौतियां-		
i 10क (अनुसूची 10क का 6)	35i	
ii 10कक (अनुसूची 10कक का घ)	35ii	
iii 10ख (अनुसूची 10ख का च)	35iii	
iv 10खक (अनुसूची 10खक का च)	35iv	
v योग (35 i+ 35 ii+ 35 iii+ 35 iv)		35x
36 सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34- 35x)		36
37 नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि		अ 37
आ सट्टे के कारबार से आय की संगणना		
38 लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		38
39 धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		39
40 धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां		40
41 सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38+39-40)		आ
इ 'लाभ और हानि' शीर्ष के अधीन प्रभाव्य आय (अ 37 + आ 41)		

अनुसूची-संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण

1	आस्ति-समूह	संयंत्र और मशीनरी						
		15	30	40	50	60	80	100
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन को अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	उया 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली							
6	वह रकम जिस पर पूर्ण दर पर अवक्षयण अनुज्ञात किया जाना है (3 + 4 -5) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक हो)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिन से अन्यून की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली							
9	वह रकम जिस पर आधी दर पर अवक्षयण अनुज्ञात किया जाना है (7-8) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक हो)							
10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण							
11	9 पर आधी दर पर अवक्षयण							
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो							
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो							
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)							
15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
16	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि* (5 + 8 -3-4 -7 -15) (नकारात्मक लिखें यदि ब्याक विद्यमान नहीं रहता है)							
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य* (6+ 9 -14) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक हो)							

संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण

21/6/10

11/5

- 11/5/10

240X

भाग II खण्ड 3(ii)

भारत का राजपत्र : असाधारण

49

अनुसूची-अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

आर्ति-समूह	भवन			फर्नीचर और फिटिंग अमूर्त आस्तियाँ		पोत
	5	10	100	10	25	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
3 पूर्व वर्ष के पहले दिन को अवलिखित मूल्य						
4 पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
5 उपा 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
6 रकम जिस पर अवक्षयण पूर्ण दर पर अनुज्ञात है (3+4-5) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
7 पूर्व वर्ष में 180 दिन से अन्यून की अवधि के लिए परिवर्धन						
8 7 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
9 रकम जिस पर अवक्षयण आधी दर पर अनुज्ञात है 7-8 (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
10 6 पर पूरी दर से अवक्षयण						
11 9 पर आधी दर पर अवक्षयण						
12 4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो						
13 7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो						
14 कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)						
15 आर्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय						
16 उपा 50 के अधीन पूजी अभिलाष/हानि* (5+8-3-4-7-15)						
17 पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य* (6+9-14)						

अनुसूची-आस्तियों पर अवक्षयण का सार

आस्तियों पर अवक्षयण का सार

आस्तियों पर अवक्षयण का सार	1 संयंत्र और मशीनरी		
	क 15 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14i)	1क	
	ख 30 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14ii)	1ख	
	ग 40 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14iii)	1ग	
	घ 50 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14iv)	1घ	
	ङ 60 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14v)	1ङ	
	च 80 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14vi)	1च	
	छ 100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14vii)	1छ	
	ज संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)	1ज	
	2 भवन		
	क 5 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14i)	2क	
	ख 10 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14ii)	2ख	
	ग 100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14iii)	2ग	
	घ भवन पर कुल अवक्षयण (2क + 2ख + 2ग)	2घ	
3 फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए -14iv)		3	
4 अमूर्त आस्तियाँ (अनुसूची डीओए -14v)		4	
5 पोत (अनुसूची डाओए -14vi)		5	
6 कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)		6	

अनुसूची डीपीएम-16

अवश्यणीय आस्तियों के विक्रय पर समझे गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी		
क	15 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16i)	1क	
ख	30 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16ii)	1ख	
ग	40 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16iii)	1ग	
घ	50 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16iv)	1घ	
ङ	60 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16v)	1ङ	
च	80 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16vi)	1च	
छ	100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16vii)	1छ	
ज	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)	1ज	
2	भवन		
क	5 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीओए -16i)	2क	
ख	10 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीओए -16ii)	2ख	
ग	100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीओए -16ii)	2ग	
घ	कुल (2क+2ख+2ग)	2घ	
3	कर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीपीएम-16iv)		3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीपीएम-16v)		4
5	पोत (अनुसूची डीपीएम-16vi)		5
6	योग (1ज+2घ+3+4+5)		6

अनुसूची 35(1)

धारा 35 के अधीन कटौती

क्र. सं.	धारा	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अअ)			
vi	35(2अअ)			
vii	योग			

अनुसूची पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग+1घ)		
1	मंद विक्रय से		
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क	
ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख	
ग	मंद विक्रय से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग	
घ	धारा 54ख/54घ/54ङ/54छ के अधीन कटौती	1घ	
ङ	मंद विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग + 1घ)		1ङ
2	अनिवासी की दशा में, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है, आस्तियों से		2
3	अन्य आस्तियों से		
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
i	अर्जन की लागत	खi	
ii	सुधार की लागत	खii	
iii	अंतरण पर व्यय	खiii	
iv	योग (खi+ खii+ खiii)	खiv	
ग	बकाया (3क-खiv)	3ग	
घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन उपेक्षा की जाने वाली हानि, यदि कोई हो (केवल धनात्मक मूल्य लिखें)	3घ	

ड धारा 54ख/54घ के अधीन छूट		3ड				
घ अल्पकालिक पूंजी अभिलाष (3ग+3घ-3ड) (शून्य लिखें यदि हानि है)			3घ			
4	अवक्षयी आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाष (अनुसूची-डीसीजी का 6)		4			
5	धारा 54ख/54घ/54ङग/54ङघ/54छ/54छक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाष समझी गई रकम		5			
6	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाष (1ड+2+3घ+4+5)		6			
7	6 में सम्मिलित धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाष		7			
8	धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाष (6-7)		अ8			
आ दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष						
1	मंदी में विक्रय से					
क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		1क				
ख उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य		1ख				
ग मंदी में विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष		1ग				
घ धारा 54ख/54घ/54ङग/54ङघ/54छ/54छक के अधीन		1घ				
ड मंद विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष (1ग-1घ)			1ड			
2	अनिवार्य की दशा में, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है, आस्ति		2			
3	आस्तियों से, जिनके लिए 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया					
क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		3क				
ख धारा 48 के अधीन कटौतियां						
i सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत		खi				
ii सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत		खii				
iii अंतरण पर व्यय		खiii				
iv योग (खi+खii+खiii)		खiv				
ग	अतिशेष (3क-खiv)		3ग			
घ	धारा 54ख/54घ/54ङग/54ङघ/54छ/54छक के अधीन कटौती		3घ			
ड	शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)		3ड			
4	अन्य आस्तियों से, जिनके लिए 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया					
क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		4क				
ख धारा 48 के अधीन कटौतियां						
i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		खi				
ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		खii				
iii अंतरण पर व्यय		खiii				
iv योग (खi+खii+खiii)		खiv				
ग	अतिशेष (4क-खiv)		4ग			
घ	धारा 54ख/54घ/54ङग/54ङघ/54छ/54छक के अधीन कटौती		4घ			
ड	शुद्ध अतिशेष		4ड			
5	धारा 54ख/54घ/54ङग/54ङघ/54छ/54छक के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष समझी जाने वाली रकम		5			
6	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष (1ड*+2+3ड*+4ड*+5) * (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि है)		आ6			
इ	“पूंजी अभिलाष” शीर्ष के अधीन पूंजी अभिलाष (अ6+ आ 6) (आ6 के लिए शून्य यदि हानि हो)		इ			
ई	पूंजी अभिलाष के प्रोद्भवन/प्राप्ति के बारे में जानकारी					
	तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 तक (ii)	16/9 से 15/12 तक (iii)	16/12 से 15/3 तक (iii)	16/3 से 31/3 तक (iv)
1	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची में कोड 22 है, कर दर 10 प्रतिशत है : अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद बी4सी से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
2	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है (सूचीकरण के साथ)- एसआई अनुसूची में कोड 21 है, कर दर 20 प्रतिशत है : अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद बी6-बी4सी से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
3	111क के अधीन अल्पकालिक- अनुसूची एसआई में कोड 1क है, कर दर 15 प्रतिशत है : अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद क7से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
4	अल्पकालिक अन्य- सामान्य दर पर कराशेष : अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद क8से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					

टैप्पण

कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

1	घुड़दौड़ के स्वामित्व से भिन्न आय		
क	लाभोश, सकल	1क	
ख	व्याज, सकल	1ख	
ग	मशीनरी, संयंत्र, भवन से किराए की आय	1ग	
घ	अन्य, सकल	1घ	
ङ	योग (1क+1ख+1ग+1घ)		1ङ
च	धारा 57 के अधीन कटौती		
	i व्यय/कटौती	चा	
	ii अवक्षयण	चाii	
	iii योग	चाiii	
छ	अतिशेष (1ङ-चाiii)		1छ
2	लाटरी, बग पहेली, दौड़ आदि से जीत		2
3	अन्य स्रोत से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1छ+2)		3
4	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से आय		
क	प्राप्तियाँ	4क	
ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	4ख	
ग	अतिशेष (2क-2ख)		4ग
5	"अन्य स्रोत से आय" शीर्ष के अधीन प्रभाव आय (3+4ग) (गंदे हानि इ. तो 4ग को शून्य दिलाए और 4ग की हानि को अनुसूची सीएफएल में दिखाने)		5

अनुसूची सीवाईएलए

चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौर

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें की गृह संपत्ति हानि यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति हानि (अनुसूची एचपी का 4ग)	मुजरा की गई चालू वर्ष की कारवार हानि (सट्टे की हानि से भिन्न) कुल हानि (अनुसूची बीपी का अ37)	मुजरा की गई चालू वर्ष की अन्य स्रोत से हानि (घुड़दौड़ से हानि से भिन्न) कुल हानि (अनुसूची ओएस का 3)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5 1 2 3 4
i	गृह संपत्ति					
ii	कारवार (जिसके अंतर्गत सट्टे का लाभ भी है)					
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
iv	दीर्घकालिक अभिलाभ					
v	अन्य स्रोत (घुड़दौड़ का स्वामित्व से लाभ परन्तु लाटरी से जीत को छोड़कर)					
vi	मुजरा की गई कल हानि					
vii	मुजरे के पश्चात् शेष बची हानि					

अनुसूची बीएफएलए

पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के व्यौर

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के पश्चात्	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत बची चालू वर्ष की आय भौक	
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति					
ii	कारतार (जिसके अंतर्गत सट्टे का लाभ भी है)					
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
iv	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
v	अन्य स्रोत (घुड़दौड़ के स्वामित्व से लाभ परन्तु लाटरी से जीत को छोड़कर)					
vi	योग					
vii						

अग्रणीत हानि समायोजन

योग (iS + iiS + iiiS + ivS + vS)

योग (i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v 5)

अनुसूची-सीएफएल

भावी वर्षों को अग्रनयन की जाने वाली हानि के बारे

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि सट्टे के कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि	सट्टे के कारबार से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	अन्य स्रोत हानि (घुड़दौड़ से हानि से भिन्न)	अन्य स्रोत हानि (घुड़दौड़ के स्वामित्व से)
i	2002-03							
ii	2003-04							
iii	2004-05							
iv	2005-06							
v	2006-07							
vi	2007-08							
vii	2008-09							
viii	2009-10							
ix	पूर्ववर्ष की हानियों का योग							
x	अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन							
xi	2010-11 (चालू वर्ष की हानि)							
xii	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि							

हानि का अग्रनयन

अनुसूची-10क

धारा 10क के अधीन कटौती

1 साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती

क	उपक्रम सं0 1	1क
ख	उपक्रम सं0 2	1ख
ग	उपक्रम सं0 3	1ग
घ	उपक्रम सं0 4	1घ
ङ	उपक्रम सं0 5	1ङ
च	योग (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ)	1च

2 इलेक्ट्रॉनिक हाईवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती

क	उपक्रम सं0 1	2क
ख	उपक्रम सं0 2	2ख
ग	उपक्रम सं0 3	2ग
घ	योग (2क+2ख+2ग)	2घ

3 मुक्त व्यापार क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती

क	उपक्रम सं0 1	3क
ख	उपक्रम सं0 2	3ख
ग	उपक्रम सं0 3	3ग
घ	योग (3क+3ख+3ग)	3घ

4 निर्यात प्रसरण करने में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती

क	उपक्रम सं0 1	4क
ख	उपक्रम सं0 2	4ख
ग	उपक्रम सं0 3	4ग
घ	योग (4क+4ख+4ग)	4घ

5 विशेष आर्थिक प्रसरण करने में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती

क	उपक्रम सं0 1	5क
ख	उपक्रम सं0 2	5ख
ग	उपक्रम सं0 3	5ग
घ	योग (5क+5ख+5ग)	5घ

6 धारा 10क के अधीन कुल कटौती (1च+2घ+3घ+4घ+5घ)

6

धारा 10क के अधीन कटौती

अनुसूची-10कक

धारा 10कक के अधीन कटौती

विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौतियाँ

क	उपक्रम सं0 1	क
ख	उपक्रम सं0 2	ख
ग	उपक्रम सं0 3	ग
घ	योग (क+ख+ग)	घ

धारा 10कक के अधीन कटौती

अनुसूची-10ख

धारा 10ख के अधीन कटौती

धारा 10ख के अधीन कटौती	शत प्रतिशत निर्यातानुमुख यूनिटों की बाबत कटौती			
	क	उपक्रम सं० 1	क	
	ख	उपक्रम सं० 2	ख	
	ग	उपक्रम सं० 3	ग	
	घ	उपक्रम सं० 4	घ	
	ङ	उपक्रम सं० 5	ङ	
च	योग (क+ख+ग+घ+ङ)			च

अनुसूची-10खक

धारा 10खक के अधीन कटौती

धारा 10खक के अधीन कटौती	शत प्रतिशत निर्यातानुमुख यूनिटों की बाबत कटौती			
	क	उपक्रम सं० 1	क	
	ख	उपक्रम सं० 2	ख	
	ग	उपक्रम सं० 3	ग	
	घ	उपक्रम सं० 4	घ	
	ङ	उपक्रम सं० 5	ङ	
च	योग (क+ख+ग+घ+ङ)			च

अनुसूची-80छ

धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए पात्र संदानों के व्यौरे

संदानों के व्यौरे	अ 100% कटौती के लिए पात्र संदान			
	अदाता का नाम और पता		संदान की रकम	
	i		आi	
	ii		आii	
	iii		आiii	
	iv		आiv	
	v		आv	
	vi	योग	आvi	
	आ जहाँ अदाता का धारा 80छ(5)(vi)के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है, वहां 50% कटौती के लिए पात्र संदान			
	अदाता का नाम और पता		संदान की रकम	
	i		आi	
	ii		आii	
	iii		आiii	
	iv		आiv	
	v		आv	
	vi	योग	आvi	
	इ जहाँ अदाता का धारा 80छ(5)(vi)के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है, वहां 50% कटौती के लिए पात्र संदान			
	अदाता का नाम और पता		अदाता का स्थायी लेखा सं०	
	i		इi	संदान की रकम
	ii		इii	
	iii		इiii	
	iv		इiv	
	v		इv	
	vi	योग	इvi	
ख	कुल संदान (आvi + आvi + इvi)			ख

अनुसूची-80-झक

धारा 80-झक के अधीन कटौतियां

धारा 80-झक के अधीन कटौतियां	क धारा 80-झक(4)(i) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (अवसररचना सुविधा)		क	
	ख धारा 80-झक(4)(ii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (दूरसंचार सेवाएं)		ख	
	ग धारा 80-झक(4)(iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोन)		ग	
	घ धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)		घ	

ड धारा 80-अक(4)(v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80-अक (vi) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (क्षेत्र पार प्राकृतिक गैर-वितरण नेटवर्क)	ड	
च धारा 80-अक के अधीन कुल कटौती (क+ख+ग+घ+ड)	च	

अनुसूची-80-अख	धारा 80-अख के अधीन कटौतियां	
क धारा 80-अख(3) में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम की बाबत उपक्रम की बाबत कटौती (लघु उद्योग)	क	
ख जम्मू-कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा 80-अख(4))	ख	
ग आठवीं अनुसूची में त्रिनिदिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा 80-अख(4))	ग	
घ औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा 80-अख(5))	घ	
ड बहुविध थियेटर की दशा में कटौती (धारा 80-अख(7क))	ड	
च कन्वेंशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा 80-अख(7ख))	च	
छ वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौती (धारा 80-अख(8क))	छ	
ज ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा 80-अख(9))	ज	
झ गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80-अख(10))	झ	
ञ प्रशीतन श्रृंखला सुविधा का प्रचालन करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80-अख(11))	ञ	
ट फल और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80-अख(11क))	ट	
ठ अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80-अख(11क))	ठ	
ड ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80-अख(11ख))	ड	
ढ धारा 80-अख के अधीन कुल कटौती (क से ड का योग)	ढ	

अनुसूची-80-अग या 80-अड	धारा 80-अग या धारा 80-अड के अधीन कटौतियां	
1 सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	1	
2 हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	2	
3 उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	3	
4 पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		
क असम	4क	
ख अरुणाचल प्रदेश	4ख	
ग मणिपुर	4ग	
घ मिजोरम	4घ	
ड मेघालय	4ड	
च नागालैंड	4च	
छ त्रिपुरा	4छ	
ज पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (4क से 4छ का योग)	4ज	
5 धारा 80-अग या धारा 80-अड के अधीन कुल कटौती (1+2+3+4ज)	5	

अनुसूची-6क	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां	
क 80छ	च 80अख (अनुसूची 80-अग का ड)	
ख 80छक	छ 80अग/80अड (अनुसूची 80-अग/80अड का 5)	
ग 80छग	ज 80अघ/80अजक	
घ 80अक (अनुसूची 80अक का च)	झ 80छक	
ड 80अकख	ञ 80त	
ट अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (क से ज का योग)	ट	

अनुसूची-एसआई

विशेष दर इनसे आयकर से प्रभाय आय (पारा कोड और कर की दर के लिए कृपया अंश स0 9 (iii) देखें)

क्र.सं.	धारा कोड	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii	क्र.सं.	धारा कोड	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1	1क	15			6				
2	22	10			7				
3	21	20			8				
4	51क	30			9				
5					10				
11					योग (1ii से 10ii)				

अनुसूची-फूट प्राप्त आय

फूट प्राप्त आय के व्यौर (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय)

1	ब्याज आय	1
2	लाभांश आय	2
3	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष, जिन पर प्रतिभूति सख्यवहार कर संवत् किया गया है	3
4	शुद्ध कृषि आय (नियम 7, 7क, 7ख या 8 के अधीन अपवर्जित की जाने वाली आय से भिन्न)	4
5	फर्म/एओपी आदि पर लाभांश	5
6	अन्य	6
7	योग (1+2+3+4+5+6)	7

अनुसूची-आयकर

अग्रिम कर और आयकर के स्वतः निर्धारण कर संदायों के व्यौर

क्र.सं.	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चाहतन का क्रम स0	रकम (रु0)
i					
ii					
iii					

टिप्पण : भाग ख-टीटीआई के क्र0स0 11क और 11घ में अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।

अनुसूची-स्रोत पर कर

कटौती 2

क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टेन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	संवत् रकम	संदाय/जमा की तारीख	कुल कटौती किया गया कर	(6) से रकम जिसका इस वर्ष के लिए खाता किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
i						
ii						
iii						
टिप्पण : भाग ख-टीटीआई के अनुसूची टीटीएस 1 और टीटीएस 2 के नियम 7 का योग प्रविष्ट करें						

अनुसूची-टीटीएस

अन्य आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर का व्यौर [प्रारूप 27ग के अनुसार]

क्र.सं.	संग्रहकर्ता का कर संग्रहण एकाउंट नंबर और कर कटौती	कलक्टर का नाम और पता	प्रतिष्ठान/चाहतन की तारीख	प्रतिष्ठान/चाहतन की तारीख	कुल कर कटौती	वर्ष के दौरान (6) में से प्रत्येक वर्ष में संग्रहण की गई रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						
iii						

टिप्पण : भाग ख-टीटीआई के क्रम संख्या 11ग में स्वतः का योग प्रविष्ट करें।

21/6/10

11/5

07/05/10

240X

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

57

प्ररूप	आकावि -6	भारतीय आयकर विवरणी [धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के लिए] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (संलग्न अनुदेशों को भी देखें)	निर्धारण वर्ष			
			2	0	1	0

भाग क-साधारण

साधारण

व्यक्तिगत सूचना	नाम						स्थायी लेखा संख्यांक					
	क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें											
	फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०				परिसर/भवन/ग्राम का नाम				निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)			
	सड़क /मार्ग/ढाक घर				क्षेत्र/अवस्थान				यदि देशी कंपनी है (निशान लगाएं) ☒			
	कस्बा/शहर/जिला				राज्य		पिन कोड		यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी है तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित) ☐			
फाइल करने की प्रारिथि	ई मेल पता				(एसटीडी कोड)-दूरभाष संख्या							
	निर्धारण अधिकारी का पदनाम				क्षेत्र कोड	नि०आ० प्रकार	रेज कोड	नि.आ. सं०	धारा के अधीन फाइल की गई विवरणी (प्रविष्टि कोड) [कृपया अनुदेश सं० 9(i) देखें]		आयकर	
											अनुषंगी फायदे	
	विवरणी मूल है या पुनरीक्षित (निशान लगाएं) ☒ मूल ☐ पुनरीक्षित ☐											
	यदि पुनरीक्षित है, तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) प्रविष्टि करें											
संपरिक्षा जानकारी	आवासीय प्रारिथि (निशान लगाएं) ☒ निवासी ☐ अनिवासी ☐											
	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं ☐											
	क्या निर्धारती के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं ☐											
	यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें											
	(क)	प्रतिनिधि का नाम										
	(ख)	प्रतिनिधि का पता										
	(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक										
	क्या आप धारा 44क के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं ☐											
	क्या आप धारा 44ख के अधीन संपरिक्षा के लिए दायी हैं (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं ☐											
	यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें											
(क)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम											
(ख)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या											
(ग)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)											
(घ)	संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं०)											
(ङ)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख											

कार्यालय प्रयोग के लिए

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

रसीद संख्या

तारीख

प्राप्तकर्ता पदधारी की मुद्रा और हस्ताक्षर

धारक प्राप्ति	कंपनी का स्वरूप (यदि धारक कंपनी है तो 1 लिखें, यदि समनुषंगी कंपनी है तो 2 लिखें), यदि दोनों हैं तो 3 लिखें, यदि कोई अन्य है तो 4 लिखें				☐
	यदि समनुषंगी कंपनी है तो धारक कंपनी के नाम, पते और स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख करें				
	यदि धारक कंपनी है तो समनुषंगी कंपनी के नाम, पते और स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख करें				
	समामेलक कंपनी की दशा में, सामामेलित कंपनी का नाम लिखें				
	समामेलित कंपनी की दशा में, सामामेलक कंपनी का नाम लिखें				
कारबार संगठन	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी का नाम लिखें				
	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी का नाम लिखें				
प्रमुख व्यक्ति	प्रबंध निदेशकों, निदेशक सचिव और प्रधान अधिकारी, (अधिकारियों) की विशिष्टियां जो पूर्व वर्ष के दौरान पद धारित किए हुए पर थे				
	क्रम सं०	नाम	पद नाम	आवास का पता	स्थायी लेखा संख्यांक
शेयर धारकों की सूचना	उन व्यक्तियों की विशिष्टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय 10% से अल्पमत मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे				
	क्रम सं०	नाम	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक	
कंपनी का स्वरूप और उसका कारबार	कंपनी का स्वरूप				(निशान लगाएं) ☒
	1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क) में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं			☐ हां ☐ नहीं
	2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी हैं			☐ हां ☐ नहीं
	3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अल्पमत शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं।			☐ हां ☐ नहीं
	4	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी हैं			☐ हां ☐ नहीं
	5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक हैं			☐ हां ☐ नहीं
	6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी हैं (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)			☐ हां ☐ नहीं
	7	क्या आप गैर सरकारी वित्तीय संस्थान की कंपनी हैं			☐ हां ☐ नहीं
	कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें				
	क्र. सं.	कोड	वर्णन		
	[कृपया अनुदेश संख्या 9 (ii) देखें]				
(i)					
(ii)					
(iii)					

भाग क तुलन पत्र

31 मार्च, 2010 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

निधियों के स्रोत

निधियों के उपयोग

1	शेयर धारक की निधि				
	क शेयर पूंजी				
	i	प्राधिकृत	का		
	ii	पुरोचूत, अभिदत्त और संदत्त	काii		
	iii	शेयर उपयोगन धन	काiii		
	iv	कुल (काii + काiii)		काiv	
	ख आरक्षित और अधिशेष				
	i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	खा		
	ii	पूँजी आरक्षित	खाii		
	iii	पूँजी मोचन आरक्षित	खाiii		
	iv	प्रतिभूति प्रिमियम लेखा	खाiv		
	v	डिबेन्चर मोचन आरक्षित	खv		
	vi	कानूनी आरक्षित	खvi		
	vii	साधारण आरक्षित	खvii		
	viii	लाम और हानि लेखा	खviii		
	ix	कुल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi + खvii + खviii)		खाix	
	ग	कुल शेयर धारक निधि (काiv + खाix)		1 ग	
2	ऋण निधि				
	क प्रतिभूत ऋण				
	i	डिबेन्चर	का		
	ii	विदेशी करेन्सी ऋण	काii		
	iii	रुपए ऋण			
		क बैंकों से	iii क		
		ख अन्य से	iii ख		
		ग योग (iii क + iii ख)	iii ग		
	iv	योग (का + काii + iii ग)		काiv	
	ख अप्रतिभूत ऋण (जिनके अंतर्गत निक्षेप भी हैं)				
	i	दीर्घकालिक			
		क बैंकों से	i क		
		ख अन्य से	i ख		
		ग कुल (i क + i ख)	i ग		
	ii	अल्पकालिक			
		क बैंकों से	ii क		
		ख अन्य से	ii ख		
		ग कुल (ii क + ii ख)	ii ग		
	iii	योग (i ग + ii ग)		खाiii	
	ग	योग ऋण निधि (काiv + खाiii)		2 ग	
3	आस्थगित कर दायित्व				3
4	निधि के स्रोत (1 ग + 2 ग + 3)				4
1	स्थिर आस्ति				
	क	सकल ब्लाक	1 क		
	ख	अवक्षयण	1 ख		
	ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1 ग		
	घ	पूँजी कार्य में प्रगति	1 घ		
	ड	कुल (1 ग + 1 घ)		1 घ	
2	विनिधान				
	क दीर्घकालिक विनिधान				
	i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियाँ - कोट की गई	का		
	ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियाँ - कोट न की गई	काii		

	iii	कुल (का + काii)			काiii
ख	अल्पकालिक विनिधान				
	i	साधारण शेयर	खi		
	ii	अधिमानी शेयर	खii		
	iii	डिवेन्चर	खiii		
	iv	कुल (खi + खii + खiii)		biv	
ग	कुल विनिधान (काiii + खiv)				2c
3	चालू आस्ति ऋण और अग्रिम				
	a	चालू आस्तियां			
	i	सूचियां			
		क भंडार, खपत योग्य और पैकिंग सामग्री	i क		
		ख कच्चा माल	i ख		
		ग प्रक्रियागत स्टॉक	i ग		
		घ तैयार माल/व्यवसाय किया गया माल	i घ		
		ङ कुल (i क + i ख + i ग + i घ)		i ङ	
	ii	विविध देनदार			
		क छह मास से अधिक	ii क		
		ख अन्य	ii ख		
		ग कुल (ii क + ii ख)		ii ग	
	iii	नकदी और बैंक अतिशेष			
		क हाथ में नकदी	iii क		
		ख बैंक में अतिशेष	iii ख		
		ग कुल (iii क + iii ख)		iii ग	
	iv	अन्य चालू आस्तियां			
	v	कुल चालू आस्तियां (i ङ + ii ग + iii ग + काiv)			
	ख	ऋण और अग्रिम			
	i	समनुषंगी कंपनियों को ऋण	खi		
	ii	नकद में या वस्तु में वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त करने योग्य मूल्य के लिए	खii		
	iii	निक्षेप	खiii		
	iv	राजस्व प्राधिकरणों आदि के पास अतिशेष	खiv		
	v	कुल (खi + खii + खiii + खiv)		खv	
ग	कुल (कv + खv)				3 ग
घ	चालू दायित्व और उपबंध				
	i	चालू दायित्व			
		क विविध लेनदार	i क		
		ख पट्टाकृत आस्तियों के लिए दायित्व	i ख		
		ग असंदत लाभांश	i ग		
		घ असंदत परिपक्व डिवेन्चर	i घ		
		ङ असंदत मांग राशि	i ङ		
		च उपरोक्त पर प्रोद्भूत व्याज	i च		
		छ ऋण पर प्रोद्भूत किंतु शोध्य नहीं व्याज	i छ		
		ज कुल (i क + i ख + i ग + i घ + i ङ + i च + i छ)		i ज	
	ii	उपबंध			
		क आयकर के लिए उपबंध	ii क		
		ख अनुषंगी लाभ कर के लिए उपबंध	ii ख		
		ग धन कर के लिए उपबंध	ii ग		
		घ छुट्टी भुनाने/अधिवार्षिकी/उपदान के लिए उपबंध	ii घ		
		ङ अन्य उपबंध	ii ङ		
		च प्रस्तावित लाभांश	ii च		
		छ लाभांश पर कर	ii ज		

		ज योग (ii क + ii ख + ii ग + ii घ + ii ङ + ii च + ii छ)		ii ज	
		iii कुल (i ज + ii ज)		चiiii	
	ङ शुद्ध चालू आस्ति (3ग - चiiii)			3 ङ	
4	क प्रकीर्ण व्यय, जो अपलिखित या समायोजित नहीं किया गया	4 क			
	ख आस्थगित कर आस्ति	4ख			
	ग लाभ हानि लेखा / संघित अतिशेष	4 ग			
	घ कुल (4 क + 4 ख + 4 ग)			4घ	
5	कुल, निधियों का उपयोजन (1 ङ + 2 ग + 3 ङ + 4घ)			5	

भाग क-लाभ और हानि वर्ष 2009-10 के लिए लाभ हानि लेखा
(उस दशा में जहां लेखा की नियमित बहियां का अनुस्क्षण किया जाता है मद 1 से 50 भरे, अन्यथा मद 51 भरे)

जमा	1	कारबार या वृत्ति के विक्रय/सकल प्राप्तियां (शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो)	1	
	2	विक्रीत या प्रदत्त माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर		
		क संघ उत्पाद शुल्क	2क	
		ख सेवा कर	2ख	
		ग मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर	2ग	
		घ कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	2घ	
		ङ प्राप्त या प्राप्य शुल्कों, करों और उपकर का योग (2क+2ख+2ग+2घ)	2ङ	
	3	अन्य आय		
		क किराया	3क	
		ख कमीशन	3ख	
		ग लाभांश	3ग	
		घ ब्याज	3घ	
		ङ विक्रय या नियत आस्तियों पर लाभ	3ङ	
		च ऐसे विनिधान के विक्रय पर लाभ, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य प्रतिभूतियां हैं	3च	
		छ अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	3छ	
		ज करंसी उतार-चढ़ाव के मद्दे लाभ	3ज	
		झ कृषि आय	3झ	
		ञ कोई अन्य आय	3ञ	
		ट अन्य आय का योग [(क) से (ञ)]	3ट	
	4	बंद स्टॉक	4	
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा का योग (1+2ङ+3ट+4)	5	
	6	आरंभिक स्टॉक	6	
	7	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)	7	
	8	क्रय किए गए माल और सेवाओं की बाबत संदत्त या संदेय शुल्क और कर		
		क सीमा शुल्क	8क	
		ख प्रति शुल्क	8ख	
		ग विशेष अतिरिक्त शुल्क	8ग	
		घ संघ उत्पाद शुल्क	8घ	
		ङ सेवा कर	8ङ	
		च मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	8च	
		छ कोई अन्य कर, संदत्त या संदेय	8छ	
		ज योग (8क+8ख+8ग+8घ+8ङ+8च+8छ)	8ज	
	9	भाड़ा	9	
	10	भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग	10	
	11	विद्युत और ईंधन	11	
	12	किराया	12	
	13	भवन की मरम्मत	13	
	14	मशीनरी की मरम्मत	14	
	15	कर्मचारियों को प्रतिकर		
		क वेतन और मजदूरी	15क	

लाभ-हानि लेखे से विकलन

	ख बीनस	15ख	
	ग चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	15ग	
	घ छुट्टी नकदीकरण	15घ	
	ङ छुट्टी यात्रा फायदा	15ङ	
	च अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	15च	
	छ मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	15छ	
	ज मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	15ज	
	झ किसी अन्य निधि में अभिदाय	15झ	
	ञ कर्मचारियों को कोई ऐसा अन्य फायदा, जिसकी बाबत कोई व्यय उपगत किया गया है	15ञ	
	ट संदत्त और संदेय अनुषंगी फायदा कर	15ट	
	ठ कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (15क+15ख+15ग+15घ+15ङ +15च+15छ+15ज+15झ+15ञ+15ट)	15ठ	
16	बीमा		
	क चिकित्सा बीमा	16क	
	ख जीवन बीमा	16ख	
	ग प्रमुख व्यक्ति का बीमा	16ग	
	घ कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि सहित अन्य बीमा	16घ	
	ङ बीमा पर कुल व्यय (16क+16ख+16ग+16घ)	16ङ	
17	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	17	
18	मनोरंजन	18	
19	सत्कार	19	
20	सम्मेलन	20	
21	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)	21	
22	विज्ञापन	22	
23	कमीशन	23	
24	होटल, बोर्डिंग और वासा	24	
25	विदेश यात्रा सहित यात्रा व्यय	25	
26	वाहन खर्च	26	
27	टेलीफोन व्यय	27	
28	अतिथि गृह व्यय	28	
29	क्लब व्यय	29	
30	उत्सव समारोह व्यय	30	
31	छात्रवृत्ति	31	
32	दान	32	
33	संदान	33	
34	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय रेट और कर (आय पर करों को छोड़कर)		
	क संघ उत्पाद शुल्क	34क	
	ख सेवा कर	34ख	
	ग मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	34ग	
	घ उपकर	34घ	
	ङ एसटीटी सहित कोई अन्य रेट, कर, शुल्क या उपकर	34ङ	
	च संदत्त या संदेय कुल रेट और कर (34क+34ख+34ग+34घ+34ङ)	34च	
35	लेखा परीक्षा शुल्क	35	
36	अन्य व्यय	36	
37	दूबत ऋण	37	
38	दूबत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	38	
39	अन्य उपबंध	39	
40	व्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ $ 5 \cdot (6+7+8छ +9से 14+15ठ +16क +17से 33+34च+35 से 39) $	40	
41	व्याज	41	
42	अवक्षयण	42	
43	कर पूर्व लाभ (39-40-41)	43	

कर और विनियोग के लिए उपबंध	44	चालू कर के लिए उपबंध	44	
	45	अनुषंगी लाभ कर के लिए उपबंध	45	
	46	आस्थित कर के लिए उपबंध	46	
	47	कर पश्चात् लाभ (43 - 44 - 45 - 46)	47	
	48	पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष	48	
	49	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (48 + 48)	49	
	50	विनियोग		
		क आरक्षित और अधिशेष में अंतरण	50 क	
		ख प्रस्तावित लाभान्श / अंतरिम लाभान्श	50 ख	
		ग लाभान्श पर कर/पूर्व वर्षों के लिए लाभान्श पर कर	50 ग	
		घ कोई अन्य विनियोग	50 घ	
		ङ कुल (50 क + 50 ख + 50 ग + 50 घ)	50 ङ	
	51	तुलन पत्र पर लिया गया अतिशेष (49 - 50 ङ)	51	

भाग क-अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति (विहित करें) ☒ वाणिज्य ☐ नकद	
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (विहित करें) ☒ हां ☐ नहीं	
	3	धारा 145 के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति में विचलन के कारण, यदि कोई हो, लाभ पर प्रभाव	3
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	
		क कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	☐
		ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	☐
		ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (विहित करें) ☒ हां ☐ नहीं	☐
		घ धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	4घ
	5	लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई रकम, जो-	
		क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क
		ख सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवाकर का प्रोफार्मा जमा, वापसी, प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रतिदाय, जहां ऐसा जमा, वापसी या प्रतिदायों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा देय माना गया है	5ख
		ग पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग
		घ आय की कोई अन्य मद	5घ
		ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ
		व लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5व
	6	धारा 36 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखों में विकलित रकम-	
		क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम महे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम	6क
		ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम	6ख
		ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभान्श के रूप में अन्यथा संदेय थी	
		घ उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम	6घ
		ङ जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ
		च किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6च
		छ अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम	6छ
		ज मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6ज
		झ किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6झ
		ञ डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ
		ट डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	6ट
		ठ किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम	6ठ
		ड कर्मचारियों की बीघ परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय	6ड

ड	नियत ताराख का या उससे पूर्व कर्मचारी क खात में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ड	
ण	कोई अन्य अननुज्ञेय	6ण	
त	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)		6त
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकमें		
क	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय	7क	
ख	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय	7ख	
ग	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ग	
घ	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7घ	
ड	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7ड	
च	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च	
छ	ऐसी आय के संबंध में व्यय की रकम, जो कुल आय का भाग नहीं बनती	7छ	
ज	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ज	
झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)		7झ
8	अ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
	क अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(ik) और धारा 40 (क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम		
	ख अनुषंगी लाभ कर के रूप में संदत्त रकम	अख	
	ग लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अग	
	घ धनकर के रूप में संदत्त रकम	अघ	
	ड किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त व्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम	अड	
	च कोई अन्य अननुज्ञेय	अच	
	छ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अच का योग)	अछ	
			8अ
आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकमें		
क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क	
ख	धारा 40(3) के अधीन एकाउन्ट पेई चेक या एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट से भिन्न संदत्त रकम-100% अननुज्ञेय	9ख	
ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध	9ग	
घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एसोपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि	9घ	
ड	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ड	
च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम		9च
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम		
क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग	
घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर व्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
ड	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर व्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ड	
च	कुटुंबी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च	
छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)		10छ
11	पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेख में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम		

21/10/10 NCS

04500

240 X 2

क	किसी ग्राहक के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फास का प्रकृत की कोई राशि	11क	
ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग	
घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	
ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ	
च	छुट्टी नकदीकरण में संदेय कोई रकम	11च	
छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11च का योग)		11छ
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम		
क	संघ उत्पाद शुल्क	12क	
ख	सेवा कर	12ख	
ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग	
घ	कोई अन्य कर	12घ	
ङ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12घ का योग)		12ङ
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें		13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभाव्य लाभ की कोई रकम		14
15	लाभ-हानि लेख में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम		15

मात्रात्मक व्यय

भाग क - मात्रात्मक व्यय		मात्रात्मक व्यय (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक जिसमें धारा 44कख के अधीन दायी नहीं है)	
(क) व्यवसायगत समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टॉक	1
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3
	4	अंतिम स्टॉक	4
	5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	5
(ख) विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
	6	कच्चा माल	
	क	आरंभिक स्टॉक	6 क
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6 ख
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6 ग
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6 घ
	ङ	अंतिम स्टॉक	6 ङ
	च	प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च
	छ	प्राप्त का प्रतिशत	6 छ
	ज	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6 ज
	7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद	
	क	आरंभिक स्टॉक	7 क
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7 ख
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7 घ
	ङ	अंतिम स्टॉक	7 ङ
	च	कमी/आधिक्य यदि कोई हो	7 च

भाग ख कुल आय

कुल आय की संगणना

1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 4ग) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	1
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सट्टे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि	
1	सट्टे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची बीपी का क33) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	21

ii	स्टट का कारबार स लाभ हानि (अनुसूचा -वापा का क37) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	2ii	
iii	कुल (2i+2ii)		2iii
3	पूजी अभिलाम		
क	अल्पकालिक		
i	अल्पकालिक (111क के अधीन) (अनुसूची सीजी का ए7)	3 क	
ii	अल्पकालिक (अन्य) (अनुसूची सीजी का ए8)	3 कii	
iii	कुल अल्पकालिक (3क i+ 3कii) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	3 कiii	
ख	दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी का ख6) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	3 ख	
ग	कुल पूजी अभिलाम (3 कiii + 3 ख)		3 ग
4	अन्य स्रोतों से आय		
क	घुड़दौड़ के स्वामित्व से भिन्न स्रोतों से (ओएस अनुसूची का 3) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	4 क	
ख	घुड़दौड़ के स्वामित्व से (ओएस अनुसूची का 4ग) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	4 ख	
ग	कुल (क+ ख)		4 ग
5	कुल (1 + 2ग + 3ग + 4ग)		5
6	5 के लिए मुजरे के चालू वर्ष की हानियां (सीवाईएलए अनुसूची का कुल 2वीआई, 3वीआई तथा 4वीआई)		6
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेष (5-6)		7
8	7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रनीत हानि लाए(बीएफएलए अनुसूची का कुल 2वीआई, 3वीआई तथा 4वीआई)		8
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए का 5 vii भी)		9
10	अध्याय 6-क के अधीन कटीतियां (अनुसूची 6क का ठ)		10
11	कुल आय (9-10)		11
12	शुद्ध कृषि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 4)		12
13	“सकल आय” (11 + 12)		13
14	चालू वर्ष की हानिया जो अग्रनीत की जानी हैं (अनुसूची सीएफएल का xi) का योग		14
15	धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 6)		15

भाग ख - कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	धारा 15 जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 7)		1
2	भाग ख-ii की मद 11 कुल आय पर संदेय कर		
क	मामूली दरों पर कर	2 क	
ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस आई का 11)	2 ख	
ग	भाग ख-टीआई (2क + ख)की मद 11 में कुल आय पर संदेय कर		2 ग
3	सकल संदेय कर (2ग और 1 की उच्चतर प्रविष्ट करें)		3
4	पूर्ववर्ष में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2ग 1 से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का साथ)		4
5	धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर (3-4)		5
6	5 पर अधिभार		6
7	(5+6) पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर		7
8	सकल कर दायित्व (5+6+7)		8
9	कर अनुतोष		
	क धारा 90	9क	
	ख धारा 91	9ख	
	ग कुल (9क + 9ख)		9ग
10	शुद्ध कर दायित्व (8 -9ग)		10
11	संदेय ब्याज		
	क विवरणी देने में चूक के लिए (धारा 234क)	11क	
	ख अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए (धारा 234ख)	11ख	
	ग अग्रिम कर आस्थगन के लिए	11ग	
	घ कुल संदेय ब्याज (11 क+11 ख+11 ग)		11घ
12	सकल दायित्व (10 + 11 घ)		12

कर दायित्व की संगणना

13	सदत कर			
	क	अग्रिम कर (अनुसूची आईटी से)	13 क	
	ख	टीडीएस (अनुसूची टीडीएस 2 का स्तंभ 8)	13 ख	
	ग	टीसीएस (अनुसूची टीसीएस 2 का स्तंभ 8)	13 ग	
	घ	स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची आईटी से)	13 घ	
	ड	कुल सदत कर (13क+13ख+13ग + 13घ)	13 ड	
14	संदेय रकम (यदि 12 13ड से अधिक है तो शून्य प्रविष्टि करें)			14
15	प्रतिदाय (यदि 13ड 12 से अधिक है) अनुसूची बीए बैंक लेखा ब्योरे दें			15

सत्यापन

मैं, जो का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्यां, का धारक हूँ, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय/अनुबंधी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2010-2011 से सुरुसंगत पूर्व वर्ष के कर के लिए प्रभाय अनुबंधी फायदों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं की हैसियत में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

स्थान.....

तारीख.....

यहां हस्ताक्षर करें

अनुसूची खक	प्रतिदाय के मामले में कृपया उस बैंक खाते के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें जिसमें प्रतिदाय का प्रत्यय किया जाना है									
1	बैंक खाता सं० प्रविष्टि करें (प्रतिदाय के मामले में अनिवार्य)									
2	क्या आप अपना प्रतिदाय ☐ बैंक या ☐ अपने बैंक खाते में सीधे जमा करके चाहते हैं? (जैसा लागू हो सही निशान लगाएं ☒)									
3	अपने बैंक खाते के अतिरिक्त ब्योरे दें									
एमआईसीआर कोड					खाते का प्रकार (जैसा लागू हो सही निशान लगाएं ☒)					☐ बचत ☐ गानू

अनुसूची जत गृह संपत्ति से आय का ब्योरा

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
		☒ निशान लगाएं, यदि किराए पर दिया गया है) ☐ किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)		
	क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)			
	ख	किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती है	1 ख		
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1 ग		
	घ	कुल (1 ख + 1 ग)	1 घ		
	ड	शेष (1 क - 1 घ)	1 ड		
	च	1 ड का 30%	1 च		
	छ	उधार ली गई संपत्ति पर संदेय ब्याज	1 छ		
	ज	कुल (1 च + 1 छ)	1 ज		
	झ	गृह संपत्ति से आय 1 (1 ड - 1 ज)	1 झ		
	2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
		☒ निशान लगाएं, यदि किराए पर दिया गया) ☐ किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)		
	क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)			
	ख	किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती	2 ख		
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2 ग		
	घ	कुल (2 ख + 2 ग)	2 घ		
	ड	शेष (2 क - 2 घ)	2 ड		
	च	2 ड का 30%	2 च		

छ उधार ला गई पूजा पर सदैव ब्याज		2 छ		
ज कुल (2 च + 2 छ)		2 ज		
झ गृह संपत्ति 2 से आय (2 ड - 2 ज)		2 झ		
3	संपत्ति 3 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
☒ निशान लगाएं, यदि किराये पर दिया गया ☐		किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)	
क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)	3 क		
ख	किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती	3 ख		
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	3 ग		
घ	कुल (3 ख + 3 ग)	3 घ		
ड	शेष (3 क - 3 घ)	3 ड		
च	3 ड का 30%	3 च		
छ	उधार ली गई पूजा पर सदैव ब्याज	3 छ		
ज	कुल (3 च + 3 छ)	3 ज		
झ	गृह संपत्ति 3 से आय (3 ड - 3 ज)	3 झ		
4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय			
क	धारा 25क / कक के अधीन वसूल किया गया किराया	4 क		
ख	30 % कटौती के पश्चात धारा 25क / कक के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया किराया	4 ख		
ग	कुल (4 क + 4ख + 1 झ + 2 झ + 3 झ)	4 ग		

अनुसूची - कारबार या वृत्ति		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना	
कारबार या वृत्ति से आय	अ सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति		
	1 लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क पी और एल का मद 43 या 52घ)	1	
	2 1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	2	
	3 आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में जमा आय/रशीदे	3	
	4 1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कड/44कच/44खख/44खखख/44खखख/अध्याय 12छ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	4	
	5 (1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
	क फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क	
	एओपी/बीओए से आय के शेयर	5ख	
	कोई अन्य छूट प्राप्त आय	5ग	
	कुल आय पर छूट	5घ	
	6 बकाया (1 - 2 - 3 - 4 - 5घ)	6	
	7 आय के अन्य शीर्षों के विचाराधीन	7	
	8 लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है	8	
	9 कुल (7 + 8)	9	
	10 समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10	
	11 9 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में विकलित अवज्ञायण	11	
	12 आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवज्ञायण		
	i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवज्ञायण (अनुसूची डीईपी का संग 6)	12i	
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवज्ञायण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए रकम अपनी)	12ii	
	iii कुल (12i + 12ii)	12iii	
13 अवज्ञायण के लिए समायोजन के पश्चात लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13		
14 धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 6त)	14		
15 धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 7ज)	15		
16 धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 8कछ)	16		
17 धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 9ड)	17		
18 पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय है	18		
19 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय व्याज	19		
20 धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20		

21	धारा 33कख/ 33कखख/ 33कखख/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 28 से 44घ के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	22	
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिससे कंपनी)	23	
24	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22+23)	24	
25	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25	
26	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची II एसआर का मद vii (4) यदि रकम लाभ और हानि लेखा की विकलित रकम से कम है तो यह मद 23 में जाएगी)	26	
27	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम	27	
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग णझ का 8ख)	28	
29	धारा 35 कग के अधीन कटौती	29	
	क लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	29 क	
	ख कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	29ख	
	ग लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय	29ग	
30	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम (धारा 35कघ के अधीन कटौती समेत)	30	
31	कुल (25 + 26+27+28+29ग + 30)	31	
32	आय (13+ 24 – 31)	32	
33	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ	33i	
	ii धारा 44कड	33ii	
	iii धारा 44कच	33iii	
	iv धारा 44ख	33iv	
	v धारा 44खख	33v	
	vi धारा 44खखक	33vi	
	vii धारा 44खखख	33vii	
	viii धारा 44ग	33viii	
	ix धारा 44घक	33ix	
	x अध्याय-XII-छ	33x	
	xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	33 xi	
	xii कुल(33i से 33xi)	33x	
34	धारा 10क/10कक/10ख/10खक के अधीन कटौती से पूर्व लाभ या हानि (32 + 33)	34	
35	निम्नलिखित के अधीन कटौतियां-		
	i 10क (अनुसूची 10क का 6)	35i	
	ii 10कक (अनुसूची 10कक का घ)	35ii	
	iii 10ख (अनुसूची 10ख का च)	35iii	
	iv 10खक (अनुसूची 10खक का न)	35iv	
	v योग (35i + 35ii+ 35iii+ 35iv)	35v	
36	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34– 35v)	36	
37	नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् विशेष कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 36 में है)	अ 37	
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना		
	38 लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	38	
	39 धारा 28 to 44घ के अनुसार परिवर्धन	39	
	40 धारा 28 to 44घ के अनुसार कटौतियां	40	
	41 सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38+39-40)	आ 41	
इ	'लाभ और हानि' शीर्ष के अधीन प्रभाव आय (अ 37 + आ 41)		

टिप्पण ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण		संयंत्र और मशीनरी						
1	आस्तियों का ब्लाक							
2	दर (%)	15	30	40	50	60	80	100
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन को लिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली							
6	वह रकम जिस पर पूर्ण दर पर अवक्षयण अनुज्ञात है (3+ 4+ 5) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिन से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य सुव्यवस्थीकरण							
9	वह रकम जिस पर अवक्षयण आधे दर पर अनुज्ञात है (7-8) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है)							
10	पूर्ण दर पर 6 का अवक्षयण							
11	आधी दर पर 9 का अवक्षयण							
12	अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो, 4 पर							
13	अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो, 7 पर							
14	कुल अवक्षयण * (10 + 11 + 12 + 13)							
15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
16	धारा 50* के अधीन पूंजी अमिताम/हानि (5+ 8-3-4-7-15) (शून्य प्रविष्ट करें यदि ब्लाक नहीं रहता है)							
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अपलिखित मूल्य (6+ 9-14) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है)							

अनुरूप अन्य आस्तियों पर अवक्षयण		अन्य आस्तियों पर अवक्षयण					
1	आस्ति-समूह	भवन			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
2	दर (%)	5	10	100	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन को अवलिखित मूल्य						
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
6	रकम जिस पर अवक्षयण पूर्ण दर पर अनुज्ञात है (3+4-5) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
7	पूर्व वर्ष में 180 दिन से अन्यून की अवधि के लिए परिवर्धन						
8	7 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
9	रकम जिस पर अवक्षयण आधी दर पर अनुज्ञात है 7-8 (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण						
11	9 पर आधी दर पर अवक्षयण						
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो						
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो						
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)						
15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय						

16	घात 56 के अधिन पूजा आभूषण/हान* (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 15) (केवल नकारात्मक तिथि यदि ब्लॉक नहीं रहता)						
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य* (6 + 9 - 14) (वदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य तिथि)						

अनुसूची-डीडी

आस्ति पर अवक्षयण सारांश

आस्ति पर अवक्षयण का सार	1	संयंत्र और मशीनरी		
	क	15 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-14i)	1 क	
	ख	30 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-14ii)	1 ख	
	ग	40 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-14iii)	1 ग	
	घ	50 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-14iv)	1 घ	
	ङ	60 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-14v)	1 ङ	
	च	80 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-14vi)	1 च	
	छ	100 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-14vii)	1 छ	
	ज	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च + 1छ)	1 ज	
	2	भवन		
	क	5 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लॉक (अनुसूची डीओए-14i)	2 क	
	ख	10 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लॉक (अनुसूची डीओए-14ii)	2 ख	
	ग	100 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लॉक (अनुसूची डीओए-14iii)	2 ग	
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (2क + 2ख + 2ग)	2 घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंग्स (अनुसूची डीओए - 14iv)	3	
	4	अमूल आस्तियां (अनुसूची डीओए - 14v)	4	
	5	पोत (अनुसूची डीओए - 14vi)	5	
	6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)	6	

अनुसूची डीडीडी

अवक्षयी आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाष

1	संयंत्र और मशीनरी		
क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16i)	1क	
ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16ii)	1ख	
ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16iii)	1ग	
घ	50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16iv)	1घ	
ङ	60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16v)	1ङ	
च	80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16vi)	1च	
छ	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16vii)	1छ	
ज	योग (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)		1ज
2	भवन		
क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16i)	2क	

ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16ii)	2ख	
ग	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16iii)	2ग	
घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ
3	फनीचर और फिटिंग्स (अनुसूची डीओए - 16iv)		3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए - 16v)		4
5	पोत (अनुसूची डीओए - 16vi)		5
6	योग (1ज+2घ+3+4+5)		6

अनुसूची इएसआर

धारा 35 के अधीन कटौती

क्र. सं.	धारा (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अ)			
vi	35(2अआ)			
vii	योग			

अनुसूची सीजी

पूँजी अभिलाम

पूँजी अभिलाम	अ अल्पकालिक पूँजी अभिलाम				
	1	मंदी में विक्रय से			
		क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क		
		ख उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख		
		ग मंदी में विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाम	1ग		
		घ धारा 54ख / 54 घ के अधीन कटौतियां	1घ		
		ड मंदी में विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (1ग-1घ)		1ड	
	2	ऐसे अनिवासी के मामले में आस्तियों से, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है		2	
	3	अन्य आस्तियों से			
		क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क		
		ख धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i अर्जन की लागत	खi		
		ii सुधार की लागत	खii		
		iii अंतरण पर व्यय	खiii		
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	खiv		
		ग अतिशेष (3क-खiv)	3ग		
		घ धारा 94(7) या 94(8) के अधीन अनदेखी की जाने वाली हानि, यदि कोई (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	3घ		
		ड धारा 54ख/54घ/54छ/54ज के अधीन कटौती	3ड		
		च अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (3ग-3घ-3ड)		3च	
	4	अवक्षयी आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूँजी अभिलाम		4	
	5	धारा 54ख/54घ/54छ/54ज के अधीन अल्पकालिक पूँजी अभिलाम के रूप में मानी गई रकमें		5	
	6	कुल अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (1ड+2+3च+4+5)		6	
	7	6 में सम्मिलित किया गया धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूँजी अभिलाम		7	
	8	धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (6-7)		8	
	आ दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम				
	1	मंदी में विक्रय से			
		क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क		
		ख उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख		
		ग मंदी में विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम	1ग		
		घ धारा 54ख/54घ के अधीन छूट	1घ		
		ड मंदी में विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (1ग-1घ)		1ड	
	2	ऐसे अनिवासी के मामले में आस्तियां, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है		2	
	3	ऐसी अन्य आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है			
		क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क		
		ख धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi		

21/6/10

N/S

offset

240 x 2

		ii सूचीकरण के पश्चात् सुधार का लागत	खii				
			iii अंतरण पर व्यय	खiii			
			iv योग (खi + खii + खiii)	खiv			
			ग अतिशेष (3क-खiv)	3ग			
		घ धारा 54ख/54घ/54ङ/54च/54छ के अधीन कटौती	3घ				
		ड शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)		3ड			
		4 ऐसी अन्य आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है					
		क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	4क				
		ख धारा 48 के अधीन कटौतियां					
				i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi		
ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii						
iii अंतरण पर व्यय	खiii						
iv योग (खi + खii + खiii)	खiv						
ग अतिशेष (4क-खiv)	4ग						
घ धारा 54ख/54घ/ 54ङ/54च/54छ के अधीन छूट	4घ						
ड शुद्ध अतिशेष				4ड			
5 धारा 50ख/54घ/54ङ/54च/54छ के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में मानी गई रकमे		5					
6 कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ड (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +2+3ड (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +4ड (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +5)		आ6					
इ "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (आ6+आ8)(यदि हानि है तो आ8 कुछ नहीं के रूप में प्रविष्ट करें)		इ					
ई पूंजी अभिलाभ के प्रोद्भव/प्राप्ति के बारे में जानकारी							
		तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 तक (ii)	16/9 से 15/12 तक (iii)	16/12 से 15/3 तक (iii)	16/3 से 31/3 (iv)
		1 दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची में कोड 22 है, कर दर 10 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद बी4सी से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
		2 दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है (सूचीकरण के साथ)- एसआई अनुसूची में कोड 21 है, कर दर 20 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद (बी6-बी4सी) से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
		3 111क के अधीन अल्पकालिक- अनुसूची एसआई में कोड 1क है, कर दर 15 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद क7से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
		4 अल्पकालिक अन्य- सामान्य दर पर कराधेय ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद क8से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
टिप्पण		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निदिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें					

टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची ओएस

अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1	दोड़ के घोड़ें (घोड़ों) के स्वामित्व से होने वाली आय से भिन्न आय			
		क	लाभांश, सकल	1क	
		ख	व्याज, सकल	1ख	
		ग	मशीनरी, संयंत्र, भवन के किराए से आय	1ग	
		घ	अन्य, सकल	1घ	
		ड	योग (1क+1ख+1ग+1घ)		1ड
		च	धारा 57 के अधीन कटौतियां :-		
		i	व्यय/कटौतियां	चा	
		ii	अवक्षयण	चाii	
		iii	योग	चाiii	
		छ	अतिशेष (1ड-चाiii)		
2	लाटरी, वर्ग पहेली, पहेली दोड़ों आदि से जीत				2
3	अन्य स्रोतों से आय (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1छ + 2) (यदि हानि है तो 1छ के लिए शून्य लिखें)				3

4	दाङ्ग के घोड़ा के स्वामित्व और उनका रखने से आय		
क	प्राप्तियाँ	4 क	
ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	4 ख	
ग	अतिशेष (2 क - 2 ख)		4 ग
5	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभाप्य आय (3 + 4 ग) (यदि हानि है तो 4ग को शुद्ध लिखें और 4ग की हानि के अंक को अनुसूची सीएफएल में लें)		5

अनुसूची सीवाईएलए

चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्योरे

क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को संपत्ति की हानि केवल तभी भरे जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह (सट्टेबाजी से भिन्न) कारवार हानि कुल हानि (अनुसूची एचपी का 4ग)	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारवार हानि कुल हानि (अनुसूची डीपी का 31)	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ अन्य स्रोतों से हानि कुल हानि (अनुसूची ओएस का 3)	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष बची आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	समायोजित की जाने वाली हानि					
ii	गृह संपत्ति					
iii	कारवार (सट्टेबाजी लाभ को छोड़कर)					
iv	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ दीर्घकालिक अभिलाभ					
v	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ सहित किंतु लाटरी से जीत को छोड़कर)					
vi	मुजरा की गई कुल हानि					
vii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

अनुसूची डीएफएलए

पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय का विवरण

क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की हानियों का यदि कोई हो, मुजरा करने के पश्चात् आय के व्योरे (अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत अवक्षयण का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत चालू वर्ष की शेष आय भत्ते का मुजरा
		1	2	3	4
i	गृह संपत्ति				
ii	कारवार (सट्टेबाजी लाभ सहित)				
iii	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ				
iv	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ				
v	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ किंतु लाटरी से जीत को छोड़कर)				
vi	अग्रणीत हानियों के मुजरे का योग				
vii	योग का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + vi5)				

अनुसूची सीएफएल

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	फाइनल करने की तारीख (ता/ मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि सट्टेबाजी कारवार से हानि से भिन्न कारवार हानि	सट्टेबाजी कारवार से हानि	अल्पकालिक पूँजी हानि दीर्घकालिक पूँजी हानि	अन्य स्रोतों से हानि (घुड़दौड़ से भिन्न)
i	2002-03					
ii	2003-04					
iii	2004-05					
iv	2005-06					

i	2006-07						
vi	2007-08						
vii	2008-09						
viii	2009-10						
ix	पूरे वर्ष की हानियों का योग						
x	अनुसूची सीएफएलए में पूर्वोक्त हानियों का समायोजन						
xi	2010-11 (चालू वर्ष की हानियाँ)						
xii	भावी वर्षों में अधनीत की गई कुल हानि						

अनुसूची 10 क धारा 10 क के अधीन कटीती

धारा 10क के अधीन कटीती	1	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटीती					
	क	उपक्रम संख्या 1	1क				
	ख	उपक्रम संख्या.2	1ख				
	ग	उपक्रम संख्या.3	1ग				
	घ	उपक्रम संख्या.4	1घ				
	ङ	उपक्रम संख्या .5	1ङ				
		योग (1 क+ 1 ख+ 1 ग + 1 घ + 1 ङ)					
	2	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटीती					
	क	उपक्रम संख्या 1	2क				
	ख	उपक्रम संख्या.2	2ख				
	ग	उपक्रम संख्या.3	2ग				
	घ	योग (2 क + 2 ख+ 2 ग)				2 घ	
	3	मुक्त व्यापार जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटीती					
	क	उपक्रम संख्या 1	3क				
	ख	उपक्रम संख्या.2	3ख				
	ग	उपक्रम संख्या.3	3ग				
	घ	योग (3 क + 3 ख+ 3 ग)				3घ	
	4	नियोजित प्रसंस्करण जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटीती					
	क	उपक्रम संख्या 1	4क				
	ख	उपक्रम संख्या.2	4ख				
	ग	उपक्रम संख्या.3	4ग				
	घ	योग (4 क + 4 ख+ 4 ग)				4घ	
	5	विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटीती					
	क	उपक्रम संख्या 1	5क				
	ख	उपक्रम संख्या.2	5ख				
	ग	उपक्रम संख्या.3	5ग				
	घ	योग (5 क + 5ख+ 5 ग)				5घ	
	6	(1घ + 2 घ + 3घ + 4घ + 5घ) का योग					6

अनुसूची 10कक धारा 10कक के अधीन कटीती

धारा 10कक के अधीन कटीती	विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटीती					
	क	उपक्रम संख्या 1	क			
	ख	उपक्रम संख्या.2	ख			
	ग	उपक्रम संख्या.3	ग			
	घ	योग (क + ख+ ग)				घ

अनुसूची 10ख धारा 10ख के अधीन कटीती

धारा 10ख के अधीन कटीती	शतप्रतिशत निर्यातमुख इकाइयों की बाबत कटीती					
	क	उपक्रम संख्या 1	क			
	ख	उपक्रम संख्या.2	ख			
	ग	उपक्रम संख्या.3	ग			
	घ	उपक्रम संख्या.4	घ			
	ङ	उपक्रम संख्या.5	ङ			
	च	योग (क + ख+ ग + घ + ङ)				च

धारा 10खक के अधीन कटौती	अनुसूची 10खक धारा 10खक के अधीन कटौती		हस्तनिर्मित काष्ठ वस्तुओं के निर्यात की बाबत कटौती	
	क	उपक्रम संख्या 1	क	
	ख	उपक्रम संख्या 2	ख	
	ग	उपक्रम संख्या 3	ग	
	घ	उपक्रम संख्या 4	घ	
	ङ	उपक्रम संख्या 5	ङ	
	च	योग (क + ख+ ग + घ + ङ)		च

संदानों के ब्यौरे	अनुसूची 80छ धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए पात्र संदानों के ब्यौरे			
	अ शतप्रतिशत कटौती के लिए पात्र संदान			
	संदानकर्ता का नाम और पता		संदान की रकम	
	i		आi	
	ii		आii	
	iii		आiii	
	iv		आiv	
	v		आv	
	vi	योग	आvi	
	आ जहां संदानकर्ता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है, 50% कटौती के लिए पात्र संदान			
	संदानकर्ता का नाम और पता		संदान की रकम	
	i		आi	
	ii		आii	
	iii		आiii	
	iv		आiv	
	v		आv	
	vi	योग	आvi	
	इ जहां संदानकर्ता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है, 50% कटौती के लिए पात्र संदान			
	संदानकर्ता का नाम और पता		संदानकर्ता का स्थायी लेखा संख्या	संदान की रकम
	i			इi
	ii			इii
	iii			इiii
	iv			इiv
	v			इv
	vi	कुल		इvi
	अब कुल संदान (आvi+ आvi+ इvi)			अब

धारा 80झक के अधीन कटौतियां	अनुसूची 80झक धारा 80झक के अधीन कटौतियां			
	क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क	
	ख	धारा 80झक (4) (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	ख	
	ग	धारा 80झक (4) (iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोनों में)	ग	
	घ	धारा 80झक (4) (iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत)	घ	
	ङ	धारा 80झक (4) (v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत उत्पादन संयंत्र का पुनरुज्जीवन और धारा 80 झक (4) (vi) में निर्दिष्ट किसी उपकरण के लाभों के संबंध में कटौती पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ	
	च	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख + ग + घ)		च

अनुसूची-80- झख		धारा 80झख के अधीन कटौतियां	
क	धारा 80झख (3) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (लघु उद्योग)	क	
ख	जम्मू-कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (4))	ख	
ग	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (4))	ग	
घ	औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (5))	घ	
ङ	बहुविध धियटरो की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (7 क))	ङ	
च	कन्वेंशन केन्द्रों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (7ख))	च	
छ	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौतियां (धारा 80झख (8 क))	छ	
ज	ऐसे उपक्रमों की दशा में, जो वाणिज्यिक उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ करता है की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (9))	ज	
झ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो आवसीय परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80झख (10))	झ	
ञ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो प्रशीतन श्रृंखला सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए हैं (धारा 80झख (11))	ञ	
ट	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80झख (11))	ट	
ठ	खाद्यानों की उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की बाबत कटौती (धारा 80झख (11 क))	ठ	
ड	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80झख (11 ख))	ड	
ढ	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियां (क से ड का योग)	ढ	

अनुसूची-80- झग या 80झड.		धारा 80झग या 80झड. के अधीन कटौतियां	
1	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	1	
2	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	2	
3	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	3	
4	पूर्वोत्तर में में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां		
	क असम	4क	
	ख अरुणाचल प्रदेश	4ख	
	ग मणिपुर	4ग	
	घ मिजोरम	4घ	
	ङ मेघालय	4ङ	
	च नागालैंड	4च	
	छ त्रिपुरा	4छ	
ज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का कुल योग (4क से 4छ का योग)	4 ज	
5	धारा 80झग के अधीन कुल कटौतियां (1 + 2 + 3 + 4 ज)	5	

अनुसूची-VI- क		अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां	
क	80छ	छ	80झख (अनुसूची 80 झख का ढ)
ख	80छछक	ज	80 झग/झड. (अनुसूची 80 झग/80 झड. का 5)

ग	80 छछग	अ	80 झघ/ जजकक
घ	80 छछग	ब	80 जजकक
ङ	80 झक (अनुसूची 80 झक का च)	ट	80 ढक
घ	80 झकख		
प	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (क से ट का कुल योग)		
			ड

अनुसूची एसआई विशेष दर पर आय आय-कर से झक (कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश सं. 9(iii) देखें)

क्रम सं.	धारा कोड	विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii	क्रम सं.	धारा कोड	विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii
1	1क	15			6				
2	22	10			7				
3	21	20			8				
4	5खख	30			9				
5					10				
11									
								योग (ii से 10 ii)	

अनुसूची : ईआई छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय)

1	व्याज से आय	1
2	लाभांश से आय	2
3	दीर्घकालिक पूंजी अभिलेख जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया गया है	3
4	शुद्ध कृषि आय (नियम 7, 7क, 7ख या 8 के अधीन अपयोजित की जाने वाली आय से भिन्न)	4
5	फर्म के लाभ में शेयर/एओपी इत्यादि	5
6	अन्य	6
7	योग (1+2+3+4+5+6)	7

अनुसूची एमएटी धारा 115अख के अधीन संदेय न्यूनतम वैकल्पिक कर की संगणना

1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 और 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 1 लिखें, यदि नहीं तो 2 लिखें)	
2	क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षय की संगणना करने के लिए दसों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिस्थित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है? (यदि हां तो 1 लिखें यदि नहीं तो 2 लिखें)	
3	लाभ और हानि लेखा में यथावर्षित कर पूर्व लाभ भाग क पी एड एल की मद 42 प्रविष्ट करें)	3
4	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)	
	क संदेय या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफीटी से भिन्न)	4क
	ख आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	4ख
	ग अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	4ग
	घ समनुषंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	4घ
	ङ संदेय या प्रस्तावित लाभांश	4ङ
	च धारा 10, 10कक, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	4च
	छ आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षय	4छ
	ज अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	4ज
	झ कुल कटौतियां (4क+4ख+4ग+4घ+4ङ+4च+4छ+4ज)	4 झ
5	कटौतियां	
	क आरक्षित से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	5क
	ख धारा 10, 10कक, 11 और 12 के अधीन आय धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5ख

ग	मुन्मूल्यांकन आराक्षात आर लाभ आर हानि लेखा म जमा का गड़ 5ग रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षय की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक		
घ	अग्रनीत की गई हानि या अवक्षय जो भी कम हो	5घ	
ङ	रुग्ण औद्योगिक कर्पनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है।	5ङ	
च	अन्य (अयशित असमायोजित मदों सहित)	5च	
छ	कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च)		5छ
6	धारा 115इख के अधीन कुल लाभ (3+ 4i - 5छ)		6
7	धारा 115इख के अधीन संदेय कर [(6) का 10%]		7

नुसूची एमएटीसी धारा 115 कक के अधीन जमा कर की संगणना

1	निर्धारण वर्ष में 2009-10 में धारा 115ख के अधीन कर	1	
2	निर्धारण वर्ष में 2009-10 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2	
3	पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्ष में जमा के लिए उपलब्ध निर्धारण वर्ष 2009-10 के बाबत एमएटी दायित्व की रकम [(1-2 लिखे यदि 2 से बड़ा है अन्यथा शून्य लिखें)] निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए एमएटी प्रत्यय को अंग्रेणित किया जाए	3	
4	निर्धारण वर्ष में 2010-11 में धारा 115.....ख के अधीन कर	4	
5	निर्धारण वर्ष में 2010-11 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	5	
6	कर जिसके संबंध में उसे बाबत जमा उपबंध है रकम (5-4) प्रविष्ट करें यदि 5 4 से अधिक है, अथवा शून्य प्रविष्ट करें)	6	
7	धारा 115.....कक के अधीन जमा कर की रकम [3 6 का लिए प्रविष्ट करें]	7	
8	निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 की बाबत एमएटी शेष जो पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के प्रत्यय के लिए उपलब्ध है (प्रविष्ट करें (3-7) यदि 3, 6 से अधिक अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)	8	
9	निर्धारण वर्ष 2010-11 की बाबत एमएटी शेष जो पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के प्रत्यय के लिए उपलब्ध है (प्रविष्ट करें (3-7) यदि 4, 5 से अधिक अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)	9	

नुसूची - डीडीटी देशी कंपनियों को वितरित लाभ पर कर और व्याज की संगणना

1	देशी कंपनियों के किसी लाभांश लाभ के वितरण या संदाय की घोषणा की तारीख	1	
2	पूर्व वर्ष के दौरान वितरित या संदात लाभांश की दरें		
	क अंतरिम (दर %)	2क	
	ख अंतिम (दर %)	2ख	
3	घोषित, वितरित या संदात लाभांश की रकम	3	
4	घोषित लाभांश पर संदेय कर वितरित या संदात		
	क धारा 115त के अधीन संदेय अतिरिक्त आय कर	4क	
	ख 4क पर अधिभार	4ख	
	ग शिक्षा उपकर (4क + 4ख)	4ग	
	घ कुल संदेय कर (4क + 4ख + 4ग)	4घ	
5	धारा 115त के अधीन संदेय व्याज	5	
6	अतिरिक्त आयकर + संदेय व्याज (4घ+ 5)	6	
7	संदात कर और ब्याज (नुसूची 5 डीडीटी की का योग)	7	
8	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (6-7)	8	

अनुराजी डीडीटीपी		वितरित लाभ पर कर के संचाय के ब्यौरे									
क्र.सं	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड				निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		चालान का क्रम सं०			रकम (रु०)
कर संचाय	i										
	ii										
	iii										
	iv										
	v										

नोट: अनसची डीडीटी के 7 में v का योग प्रविष्ट करें

साधारण

(iii) वैधता की अवधि		-		-		से		-		-	
---------------------	--	---	--	---	--	----	--	---	--	---	--

10. क्या धारा 164 के अधीन अधिकतम सीमांत दर से कर के लिए दायी हैं? हाँ ☐ नहीं ☐

11. वार्ड / सर्किल/रेंज

12. निर्धारण वर्ष - 13. निवासीय प्रास्थिति (कृपया अनुदेश देखिए)

14. यदि अधिकारिता में परिवर्तन है तो पुराना वार्ड / सर्किल/ रेंज बताएं

15. वह धारा जिसके अधीन यह विवरणी फाइल की जा रही है आय की विवरणी सीमांत फायदों की विवरणी
(कृपया अनुदेश देखिए)

16. विवरणी मूल है या संशोधित
यदि संशोधित है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख । और -

17. क्या यह आपकी पहली विवरणी है? हाँ ☐ नहीं ☐

केवल कार्यालय उपयोग के लिए	अभिस्वीकृति केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए पावती सं०. तारीख
प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा	

भाग ख
(क) कुल आय की संगणना

18. गृह संपत्ति - आय [अनुसूची- (च-1क)]	000	
19. (i) कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची- (च-1ख)]	000	
(ii) उपरोक्त(i) में सम्मिलित प्रतिभूति संव्यवहार कर को प्रभार्य संव्यवहारों से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची- (ख-26(ii))]	000	
20. पूँजी अभिलाभ		
(क) अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन) [(अनुसूची च-1ग(i))]	000	
(ख) अल्पकालिक (अन्य) [(अनुसूची च-1ग(ii))]	000	
(ग) दीर्घकालिक [(अनुसूची च-1ग(iii))]	000	
21. अन्य स्रोतों से आय [(अनुसूची च-1घ)]	000	
22. धारा 11 के अधीन समझी गई आय [(अनुसूची च-4(iv))]	000	
23. कुल [(18)+(19)+(20)+(21)+(22)]	000	
24. घटाएँ : आय पर छूट [(अनुसूची च 3(ix))]	000	
25. धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय [(अनुसूची -ख (34))]	000	
26. कुल आय [(23)-(24)+(25)]	000	
शब्दों में		

(ख) कुल आय पर करों की विवरणी

27. शुद्ध कृषि आय [(अनुसूची च-9)]	000	
28. कुल आय पर कर [(अनुसूची छ-6)]	000	
29. अधिभार, यदि लागू हो [(अनुसूची छ-7)]	000	
30. शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर भी है [(अनुसूची छ-9)]	000	
31. कर +अधिभार + शिक्षा उपकर [(अनुसूची छ-10)]	000	
32. स्रोत पर काटा गया/संगृहीत कर [(अनुसूची छ-14ख)]	000	

33. संदत्त अग्रिम कर [(अनुसूची छ-14क)]	000	
34. संदत्त स्वतः निर्धारण कर [(अनुसूची छ-14ग)]	000	
35. संदेय अतिशेष कर[(31)-(32)-(33)-(34)]	000	
36. धारा 234क/234ख/234ग के अधीन संदेय ब्याज [(अनुसूची छ-11)]	000	
37. संदेय कर और ब्याज [(अनुसूची छ-16)]	000	
38. शोध्य प्रतिदाय, यदि कोई हो [(अनुसूची छ-17)]	000	

संलग्न दस्तावेजों/विवरणियों की संख्या

	वर्णन	अंको में	शब्दों में		वर्णन	अंको में	शब्दों में
क.	स्रोत पर काटा गया कर प्रमाणपत्र			च.	धारा 11(1) के अधीन विकल्पों के प्रयोग के लिए आवेदन		
ख.	प्ररूप सं० 10ख में संपरीक्षा रिपोर्ट			छ.	प्ररूप 10घख/10घग		
ग.	प्ररूप सं० 10खख में संपरीक्षा रिपोर्ट			ज.	आय/व्यय लेखा और तुलन पत्र		
घ.	धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट			झ.	अन्य		
ड.	धारा 11(2) के अधीन विकल्पों के प्रयोग के लिए प्ररूप सं० 10						

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्या.....का धारक हूँ सत्यानिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस विवरणी और इसके साथ संलग्न अनुसूचियों, विवरणों, आदि में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय/अनुषंगी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियाँ सत्य रूप से कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2010-11 से सुसंगत पूर्व वर्ष के आय-कर के लिए प्रभावी आय/अनुषंगी फायदों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की हैसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने के लिए और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

तारीख.....

स्थान.....

.....

नाम और हस्ताक्षर

- | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|
| 1. | पत्नों की संख्या | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | | (एक से अधिक संपत्ति की दशा में) | पन्ना सं० | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> |
| 2. | संपत्ति का पता | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | | | |
| | (फ्लैट सं०/ द्वार/मकान सं०./ परिसर,
मार्ग, अवस्थान/ग्राम/ नगर/जिला,
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, क्रमानुसार) | | | | | |
| | पिन | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | | | |
| 3. | उम्र दर्शित संपत्ति का विवरण दें क्या वह | | | | | |
| | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> स्वयं की है | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> या किराए पर है | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> या अदखलकृत है | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> (यथा लागू पर टिक लगाएं) | | |
| 4. | विनिर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में) | अनुलग्न भूमि का क्षेत्र (वर्गमीटर में) | | किराया योग्य वार्षिक मूल्य | | |
| | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> |
| 5. | वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त योग्य वार्षिक किराया (जो भी उच्चतर हो) | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | | | | |
| 6. | घटाएं : धारा 23 के अधीन दावाकृत कटौती | | | | | |
| | (क) स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त वास्तविक कर | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | | | |
| | (ख) अप्राप्त किराया | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | | | |
| | (ग) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | | | |
| 7. | उपरोक्त 6 का योग | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | | |
| 8. | अतिशेष [(5)-(7)] | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | | |
| 9. | घटाएं : धारा 24 के अधीन दावाकृत कटौतियाँ | | | | | |
| | (क) वार्षिक मूल्य का 30% | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | | |
| | (ख) उधार ली गई पूंजी पर ब्याज | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | | |
| 10. | उपरोक्त 9 का योग | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | | |
| 11. | अतिशेष [(8)-(10)] | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | | |

12. धारा 25क/और या 25कक के अधीन वर्ष में प्राप्त किया गया अप्राप्त किराया
13. (क) धारा 25ख के अधीन वर्ष में प्राप्त किराए के बकाए की रकम
- (ख) घटाएं : धारा 25ख के अधीन अनुज्ञेय कटौती (प्राप्त बकाए किराए का 30%)
14. धारा 25ख के अधीन प्रभार्य आय [13(क)-13(ख)]
15. अतिशेष [(11)+(12)+(14)]
16. 15 का योग (एक से अधिक संपत्ति की दशा में, सभी पन्नों का योग दीजिए)
17. "गृह संपत्ति से आय" (16) शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय

अनुसूची ख : कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ

(I) साधारण

1. कारबार या वृत्ति की प्रकृति : विनिर्माण व्यापार
- विनिर्माण-सह-व्यापार सेवाएं वृत्ति अन्य
2. शाखाओं की संख्या पूरे पता/पते के साथ सूची संलग्न करें
-
-
3. लेखा पद्धति वाणिज्यिक नकद
4. क्या लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ? हां नहीं
5. यदि हां, तो परिवर्तन का विवरण दीजिए
-
-
6. स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति.....
7. क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ? हां नहीं
8. यदि हां, तो परिवर्तन का विवरण दीजिए.....
9. क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे का अनुरक्षण करने के लिए दायी हैं? हां नहीं

10. क्या आप धारा 44ख(क)/(ख) के अधीन कर संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? हां ☐ नहीं ☐
11. क्या आप धारा 44 कघ/44कड/44कच के साथ पठित धारा 44कख(ग) के अधीन कर संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? हां ☐ नहीं ☐
12. यदि 'मद 10 या मद 11' का उत्तर हां है तो क्या आपने विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखे संपरीक्षित कराए हैं ? हां ☐ नहीं ☐
13. यदि हां, तो क्या संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ? हां ☐ नहीं ☐

यदि हां, तो रसीद सं० और उसको फाइल करने की तारीख दीजिए (प्रति भी संलग्न करें)

(II) सट्टे वाले कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

(यदि आप एक से अधिक कारबार या वृत्ति रखते हैं और पृथक लेखा पुस्तकें अनुरक्षित करते हैं तो प्रत्येक ऐसे कारबार या वृत्ति के लिए संगणना देते हुए पृथक पन्ना (पन्ने) संलग्न करें और विभिन्न मदों के सामने संकलित अंक दर्शाएं)

14. समेकित लाभ और हानि लेखे के अनुसार शुद्ध लाभ या हानि
15. जोड़े : लेखे की पद्धति और/या स्टॉक के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण समायोजन

धारा 44कघ/44कड/44कच के अंतर्गत आय वाले निर्धारितियों के लिए :—

16 (i) जोड़े/घटाएं- कारबार(कारबारों) की लाभ/हानि, जिसमें (जिनमें) नीचे दर्शायी गई धारा के अधीन मद 14 में, यदि उपरोक्त किसी मद 9, 11, 12 या 13 का उत्तर 'नहीं' है, सम्मिलित है।

- (क). धारा 44कघ के लिए
- (ख). धारा 44कड के लिए
- (ग). धारा 44कच के लिए
- योग

(ii) यदि आप धारा 44कघ में वर्णित सिविल सन्निर्माण के कारबार या सिविल सन्निर्माण के लिए श्रम प्रदाय में लगे थे :

- (क). सकल प्राप्तियां
- (ख). सकल प्राप्ति की 8% की दर से शुद्ध लाभ
- (ग). जोड़े : उपरोक्त (i)(क) और (ii)(ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो

(iii) यदि आप दस माल वाहनों से अनधिक के स्वामी थे और धारा 44कड में वर्णित ऐसे वाहनों के चलाने, भाड़े या पट्टे पर लेने के कारबार में लगे थे :

	यानों/वाहनो की सं०	महीनों की सं० जिसके दौरान वे स्वामित्व में थे	धारा 44कड के अधीन समझा गया लाभ
(क) भारी माल यान			
(ख) अन्य माल वाहन			
		योग	

(ग). जोड़ें : उपरोक्त (i)(ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो और धारा 44कड के अधीन उपरोक्त समझे गए लाभ के रूप में अवधारित रकम

000

(iv) यदि आप किसी माल के फुटकर व्यापार के कारबार या वाणिज्य में लगे थे, जिसके कारण धारा 44कच में यथा वर्णित कुल व्यापारवर्त चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं था :

(क). ऐसे कारखानों के कारण कुल व्यापारवर्त

000

(ख). व्यापारवर्त के 5% की दर से समझा गया लाभ

000

(ग). जोड़े : 16 (i) (ग) और 16 (iv) (ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो

000

17. घटाएं- मद 14 में सम्मिलित निम्नलिखित के कारण छूट प्राप्त आय की रकम :

(i) धारा 10(2क) के अधीन छूट प्राप्त फर्म (फर्मों) से आय का अंश

000

(ii) एओपी/ बीओआई से आय का अंश

000

(iii) कर से छूट प्राप्त कोई अन्य आय (धारा विनिर्दिष्ट करें)

000

18. क्या धारा 10क/10ख/10ग लागू है ?

ॐ

नहीं

यदि हां, तो क्या आपने धारा 10क(8)/10ख(8)/10ग(6) के अधीन विहित घोषणा का फाइल किया जाना चयनित किया है ?

ह

नहीं

यदि नहीं, तो निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें

धारा	वर्ष सं०	कुल आय में दावा की गई कटौती योग्य रकम/सम्मिलित न की जाने वाली रकम

226/10

N/S

off-set

240X2

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

89

घटाएँ : उपरोक्त मद 18 के अनुसार रकम

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19. जोड़ें : ऐसी आय जो धारा 28(ii) से 28(vi) में विनिर्दिष्ट की गई हैं, किन्तु मद 14 में सम्मिलित नहीं हैं

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20. जोड़ें : समझी जाने वाली ऐसी आय जो धारा 33कख, 33कखक, 35कखख, आदि के अधीन मद 14 में सम्मिलित नहीं है

- (i) धारा..... रकम.....
- (ii) धारा..... रकम.....
- (iii) धारा..... रकम.....
- (iv) धारा..... रकम.....

योग

000									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

21. घटाएँ : धारा 35क, 35कख, 35कखख, आदि के अधीन भत्ता

धारा	वर्ष सं०	किश्त	लेखे में विकलित रकम	अनुज्ञेय रकम

योग

000									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22. जोड़ें : धारा 44ख, 44खख और 44खखक के अधीन सम्मिलित होने योग्य लाभ के कारण समायोजन

000									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

23. जोड़ें/घटाएँ : धारा 28 से 44घक के अनुसार समायोजन, यदि आवश्यक हो

धारा के अधीन

रकम

.....

.....

.....

.....

.....

.....

योग

000									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

24. जोड़ें/घटाएँ : लेखा पुस्तकों में और अधिनियम के अनुसार अनुज्ञेय विकलित चालू अवक्षयण के कारण समायोजन

000									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

25. जोड़ें/घटाएँ : धारा 35(1)(iv) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान व्ययों के कारण समायोजन

000									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

26. (i) सट्टे के कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ

000									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1769G/10-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

7. धारा 48 के अधीन कटौतियां

(i) अर्जन की लागत 000 000

(ii) अभिवृद्धि की लागत 000 000

(iii) अंतरण पर व्यय 0000 000

8. उपरोक्त 7 का योग 000 000

9. अतिशेष [(6)-(8)] 000 000

10. धारा 11(1क) के अधीन छूट 000 000

11. अतिशेष [(9)-(10)] 000 000

(कृपया धारा 111क/अन्य के अधीन

अल्पकालिक विनिर्दिष्ट करें)

12. 11 का योग (एक से अधिक 000 000

अल्प/दीर्घकालिक आस्ति की दशा में, सभी पन्नों का योग दीजिए)

13. अवक्षयण के योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (धारा 50) 000

14. "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभाय आय

क. अल्पकालिक [(12)+(13)] 000 ख. दीर्घकालिक (12) 000

ग. धारा 111क के अधीन 000 घ. अल्पकालिक 000

अल्पकालिक, जो 14क में सम्मिलित है

(अन्य) (14क-14ग)

अनुसूची घ : अन्य स्रोतों से आय

1. घुड़दौड़ (घुड़दौड़ी) के स्वामित्व से भिन्न आय :--

(क) लाभांशों 000

(ख) ब्याज, सकल 000

(ग) मशीनरी, संयंत्रों, भवनों आदि से किराया संबंधी आय 000

(घ) स्वैच्छिक अभिदायों/दानों जिनमें समग्र के लिए दान सम्मिलित हैं 000

(ड) अन्य	000	
2. उपरोक्त 1 का योग	000	
3. धारा 57 के अधीन कटौतियां		
(क) अवक्षयण		
(ख)		
(ग)		
4. उपरोक्त 3 का योग	000	
5. अतिशेष [(2)-(4)]	000	
6. (क) घुड़दौड़ों के घोड़े रखने और उनके रखरखाव से आय	000	
(ख) धारा 57 के अधीन व्यय/कटौतियां	000	
7. दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व या उनके रखरखाव से अतिशेष आय [6(क)-6(ख)]	000	
8. लाटरियों, पहेलियों, घुड़दौड़ों, आदि से जीतना (धारा 115खख देखिए)	000	
9. “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [(5)+(7)+(8)]	000	

[मद 7 में ऋणात्मक अंक, यदि कोई हो तो यहां पर विचार न किया जाए]

अनुसूची ड : धारा 71 के अधीन चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के विवरण

यह अनुसूची केवल तभी भरे यदि किसी अन्य स्रोत से आय के विरुद्ध मुजरे के लिए निम्नलिखित स्रोतों में से किसी से हानि होती है, अन्यथा लागू नहीं लिखें

1. गृह संपत्ति से उद्भूत हानि की रकम [मद क-17 देखिए]	0000	
2. कारबार से हानि की रकम (सट्टे से हानि को छोड़कर) [मद ख-26 देखिए]	0000	
3. अन्य स्रोतों से हानि की रकम (घुड़दौड़ों से हानि को छोड़कर) [मद घ-5 देखिए]	0000	

क्रम सं०	आय का शीर्ष/स्रोत	पूर्व वर्ष की आय	मुजरा की गई पूर्व वर्ष की गृह संपत्ति की हानि*	मुजरा की गई पूर्व वर्ष की कारबार की हानि (सट्टे से हानि को छोड़कर)*	मुजरा की गई पूर्व वर्ष की अन्य स्रोतों की हानि (घुड़दौड़ों के घोड़ों के स्वामित्व से हानि से भिन्न)*	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
	समायोजित की जाने वाले हानि					
1.	गृह संपत्ति					
2.	कारबार (जिसके अंतर्गत सट्टा लाभ भी है)					
3.	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ					
4.	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ					
5.	अन्य स्रोत (जिसके अंतर्गत घुड़दौड़ों के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ भी है किन्तु लॉटरी से जीत को छोड़कर)					

स्तंभ (i) के अधीन पंक्ति (1) से (5) में वर्णित आय के शीर्ष/स्रोतों से होने वाली केवल धनात्मक आयों को लिखें

0000

*स्तंभ (ii) (iii) और (iv) के अधीन आय के शीर्ष/स्रोत के सामने मुजरा की गई हानि की समुचित रकम लिखें ।

अनुसूची च- कुल आय का विवरण

1. क. गृह संपत्ति से आय [अनुसूची क-17 या ड.1.(v)]

000

ख. लेखा पुस्तकों के अनुसार- कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची ख-33 या ड.2.(v)]

000

ग. पूँजी अभिलाभ

(i) अल्पकालिक, धारा 111क के अधीन [(अनुसूची ग.14ग)]

000

(ii) अल्पकालिक (अन्य) [(अनुसूची ग.14घ)]

000

(iii) दीर्घकालिक [(अनुसूची ग.14ख)]

000

घ. अन्य स्रोतों से आय [(अनुसूची घ.9 या ड.5.(v)]

000

2. कुल [(क) से (घ)], अर्थात् सकल आय

000

000
000

000								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

000								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

000								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

000									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(.....)

000

000									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

000									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

000									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

000									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

000									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

000									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

000							
-----	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

क्रिस्ट की तारीख	15/9 तक	16/9 से 15/12	16/12 से 15/03	16/03 से 31/03	योग
	000	000	000	000	000
रकम					

[illegible][illegible][illegible][illegible]

off Set 240 X 2

[illegible]

000

अनुसूची ज. साधारण जानकारी

1. पते में परिवर्तन की दशा में, कृपया नया पता दें (टिक लगाएं) :

या ख, कार्यालय

फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०

परिसरों/भवन/ग्राम

मार्ग/स्ट्रीट/लेन/डाकघर

क्षेत्र/परिक्षेत्र/तालुक/उपखंड

करखा/शहर/जिला

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

पिन

2. बैंक खाते की विशिष्टियां (प्रतिदाय मामलों में आज्ञापक)

बैंक का नाम	एमआईसीआर कोड (9 अंकीय)	बैंक शाखा का पता	खाते का प्रकार (बचत/चालू)	खाता संख्या	ईसीएस (हां/नहीं)

अनुसूची अक : धारा 115अकक के अधीन जमा कर

क्रम सं.	मद	निर्धारण वर्ष 2009-10	निर्धारण वर्ष 2010-11
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	धारा 115अख के अधीन कर		
2.	अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर		
3.	115अख के अधीन अधिक कर		
		[1(iii)-2(iii) यदि 1(iii) 2(iii) से अधिक है + एवाई + 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए प्रत्यय एमएटी अग्रणीत किया जाए = 3 (v)]	[1(iv)-2(iv) यदि 1(iv) 2(iv) से अधिक है]
4.	अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिक कर		
			[2(iv)-1(iv) यदि 2(iv) 1(iv) से अधिक है]
5.	धारा 115अकक के अधीन जमा कर		
	(3(iii) और 4(viii) से अन्यून)		

**अनुसूची ट- न्यास या संस्था की सभी निधियों के, जो पूर्ववर्ष के अंतिम दिन थी,
विनिधान को दर्शाते हुए विवरणी**

भाग क- धारा 11(5) के अधीन किए गए विनिधान/निक्षेपों के ब्यौरे (पृथक पन्ने पर दिए जा सकेंगे यदि जगह समुचित नहीं है)

भाग ख- पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान [उस संबंध में जिसमें धारा 13(3) में किसी सारवान हित को रखने वाले व्यक्ति निर्दिष्ट हैं]

क्र०सं०	संबद्ध का नाम और पता	जहां संबद्ध कोई कंपनी है तो शेयरों की सं० और वर्ग	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ 4 की रकम पूर्ववर्ष के दौरान संबद्ध की पूंजी का 5 प्रतिशत से अधिक है- हां/नहीं लिखें
1	2	3	4	5	6
		योग			

भाग ग- अन्य विनिधान, जैसे पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के अंतिम दिन थे

क्र०सं०	संबद्ध का नाम और पता	जहां संबद्ध, कोई कंपनी है, तो धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान की सं० और अभिहित मूल्य
1	2	3	4

**अनुसूची ठ - संस्था के न्यास के
कर्ता(कर्ताओं)/संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों)/न्यासी(न्यासियों)/प्रबंधक(प्रबंधकों), आदि
के संबंध में विशिष्टियों की विवरणी**

- कर्ता(कर्ताओं)/संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों) का(के) नाम और पता (पते), यदि जीवित है(हैं)
- वह तारीख जिसको न्यास सृजित किया गया था या संस्था स्थापित की गई थी या कंपनी निगमित की गई थी
- पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के दौरान उस(उन) व्यक्ति (व्यक्तियों) का(के) नाम जो न्यासी/प्रबंधक था (थे)
- उस व्यक्ति का (उन व्यक्तियों के) नाम जिसने/जिन्होंने धारा 13(3)(ख) के निबंधनों के अनुसार न्यास/संस्था में सारवान अभिदाय किया है ।
- नातेदार का (नातेदारों के), कर्ता का (कर्ताओं के) संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों), न्यासी (न्यासियों), प्रबंधक (प्रबंधकों) का(के) नाम और सारवान अभिदाय (अभिदायों) और जहां कोई ऐसा कर्ता, संप्रवर्तक, न्यासी, प्रबंधक या सारवान अभिदायकर्ता हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का है तो कुटुम्ब के सदस्यों और उनके नातेदारों के नाम भी दीजिए

अनुसूची ठक (राजनैतिक दल के मामले में)

- क्या लेखा पुस्तक रखी जाती है ? हां नहीं
- क्या बीस हजार रुपए से अधिक प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख रखा जाता है
(व्यक्ति का नाम और पता जिसने ऐसा अभिदाय किया है) हां नहीं
- क्या लेखा की संपरीक्षा की जाती है,
यदि हां, तो संपरीक्षा की तारीख हां नहीं
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा(3) के अधीन रिपोर्ट जमा की गई है हां नहीं

प्ररूप	आकवि V	भारतीय आयकर विवरणी सत्यापन प्ररूप [जहां आयकर विवरणी प्ररूप सरल-II (आईटीआर-1), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4, आईटीआर-5, और आईटीआर-6 में बिना अंकीय हस्ताक्षर के इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित किए गए हैं] [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (संलग्न अनुदेश भी देखिए)	निर्धारण वर्ष				
			2	0	1	0	11

वैयक्तिक जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषण की तारीख	नाम		स्थायी लेखा सं०. (पैन)		
	फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं०	परिसर/भवन /गांव का नाम	प्ररूप सं. जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित किया गया है (कोड भरें) ☒		
	मार्ग/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थान			
	नगर/शहर/ जिला	राज्य	प्रास्थिति (कोड भरें)		
निर्धारण अधिकारी का पदनाम (वार्ड/ सर्किल)			मूल या पुनरीक्षित		
ई फाइलिंग पावती संख्या			तारीख (दिन/मास/वर्ष) / /		
आय की संपादन और उस पर कर	1	सकल कुल आय	1		
	2	अध्याय VI-क के अधीन कटीती	2		
	3	कुल आय	3		
	3क	चालू वर्ष की हानि (यदि कोई हो)	3क		
	4	कुल संदेय कर	4		
	5	संदेय ब्याज	5		
	6	कुल कर और संदेय ब्याज	6		
	7	संदत्त कर			
		क	अग्रिम कर	7 क	
		ख	स्रोत पर कर कटीती	7 ख	
	ग	टीसीएस	7 ग		
	घ	स्वनिर्धारण कर	7 घ		
	ङ	कुल संदत्त कर (7क+7ख+7ग+7घ)	7ङ		
8	संदेय कर (6-7ङ)	8			
9	प्रतिदाय (7ङ-6)	9			

सत्यापन

मैं.....(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्या.....का धारक हूँ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी जो मेरे द्वारा ऊपर निर्दिष्ट पावती संख्या से इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित की गई है, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दर्शित कुल आय/अनुषंगी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2010-11 से सुसंगत पूर्व वर्ष के कर के लिए प्रभावी अनुषंगी फायदों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं -----की हैसियत में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

यहां हस्ताक्षर करें →

तारीख

स्थान

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार किया गया है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.

कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम

कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए	प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर और मुहर
रसीद सं०	
तारीख	

[अधिसूचना सं. 33/2010/फा. सं. 142/12/2010-एसओ(टीपीएल)]

अल्का गौतम, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और आय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2010, अधिसूचना सं. का.आ. 943(अ) तारीख 23-4-2010 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।